20वीं वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

AIESL
AI ENGINEERING SERVICES LIMITED

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय
द्वितीय तल, सीआरए भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
दिल्ली–110003
फ़ोनः +91–11–24600763
ईमेलः marketing.aiesl@aiesl.in; वेबसाइटः www.aiesl.in
CIN: U74210DL2004GOI125114

वैधानिक लेखा परीक्षक
मेसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

कर लेखा परीक्षक
मेसर्स रजनीश एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफ़र एजेंट (आरटीए)
मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट
लिमिटेड
सी101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400083

विषय–सूची

1.	निदेशक मंडल	3
2.	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)	4
3.	वरिष्ठ प्रबंधन	5
4.	अध्यक्ष का संदेश	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	11
6.	प्रबंधन विचार और विश्लेषण रिपोर्ट	40
7.	वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट	71
8.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर	77
9.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	82
10.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	114
11.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण	115
12.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	116
13.	31 मार्च, 2024 को शेयर में परिवर्तन का विवरण	118
14.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के नोटस	119
15.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	164

विजन

विनियामक तथा संरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट दर्जे एवं समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना।

मिशन

ग्राहक

- उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक रखरखाव की प्रणाली द्वारा ग्राहकों के विमानों को निरंतर उड़ानयोग्यता की स्थिति में बनाए रखना।
- ग्राहकों को "एक ही जगह" समाधान अर्थात "वन स्टॉप" सोल्यूशन उपलब्ध कराना।
- तीव्र टर्न अराउंड समय।
- भारतीय और विदेशी एयरलाइनों से अधिकतम बाजार भाग पर अधिकार प्राप्त करना।
- रक्षा क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करना।

प्रकिया

- नागर विमानन अपेक्षा–145 और 147 के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अपने सभी सस्थापनों तथा सुविधाओं के लिए एफएए तथा ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करना।
- सवंर्धित बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु आक्रामक विपणन नीति।
- नियमित लेखापरीक्षाओं के माध्यम से गुणवत्ता और सुरक्षा की निरतंर मॉनीटरिगं।
- सेवाओं के उन्नयन हेतु निरंतर प्रयास, गुणवत्ता सेवा तथा लागत प्रभाविता के सबंध में उच्चतम ग्राहक सतुंष्टि प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण संबंध को दीर्घावधि तक बनाए रखने का सुनिश्चिय करना।
- गुणवत्ता मानकों के साथ समझौता किए बगरै विश्व स्तर का एमआरओ बनने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना।
- कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपस्करों के जरिए क्षमता का उन्नयन तथा बढ़ोतरी।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता अद्यतन और संवर्धन।
- प्रचालनात्मक लागत को इष्टतम बनाना।

निदेशक मंडल

श्री अमित कुमार
अध्यक्ष और नामित निदेशक

श्री शोभित गुप्ता
नामित निदेशक

श्री पदम लाल नेगी
नामित निदेशक

श्री मनोज कुमार
नामित निदेशक

श्रीमती नयोनिका दत्ता
नामित निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी)

श्री शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुश्री साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

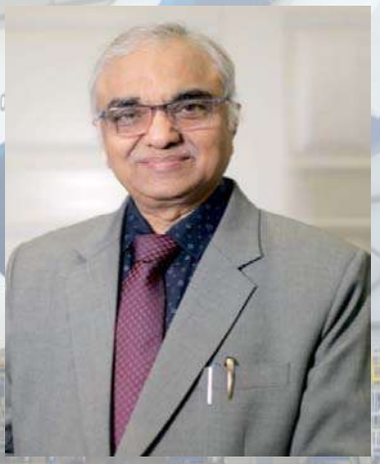

श्री राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधक

श्री बी. जेना
कार्यकारी निदेशक (इंजी.)–डब्ल्यूबी

श्री आर. एस. ठाकुर
कार्यकारी निदेशक (इंजी.)–एनबी

श्री डी. के. तलवार
कार्यकारी निदेशक (इंजी.)–मुख्यालय

श्री नितिन अस्थाना
मुख्य मानव संसाधन अधिकारी

श्री आलोक अग्रवाल
महाप्रबंधक (पीपीएमएम)–मुख्यालय

श्री वी. पी. प्रजापति
महाप्रबंधक (गुणवत्ता)–मुख्यालय

वरिष्ठ प्रबंधक

श्री संजय वाजे
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री शेख फेयाज
महाप्रबंधक (ई–एसएस)–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री संजय द्विवेदी
महाप्रबंधक–नागपुर

श्री विकास लक्ष्मण खावले
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री राजेश कुमार पाटीदार
महाप्रबंधक (ई–एसएस)–उत्तरी क्षेत्र

श्री सुरेश थिरुवम्बलम
महाप्रबंधक–उत्तरी क्षेत्र (डब्ल्युबी)

श्री रवि शंकर पूचा
महाप्रबंधक–हैदराबाद

श्री अविनाश धनोरकर
महाप्रबंधक–पश्चिमी क्षेत्र

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की बीसवीं (20वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं इस अवसर पर वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन को साझा करना चाहता हूँ:

कंपनी का कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

- कुल राजस्व पिछले वर्ष के 2044.78 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वर्ष में 2180.35 करोड़ रुपये हो गया, अर्थात लगभग 135.57 करोड़ रुपये की वृद्धि (जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है) हुई है।
- कंपनी का कुल व्यय इसी अवधि में लगभग 1418.81 करोड़ रुपये से बढ़कर 1552.45 करोड़ रुपये हो गया अर्थात 133.64 करोड़ (पिछले वर्ष से लगभग 9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 254.98 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में 643.39 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

गैर–वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में, वित्त वर्ष 2023–24 में, एआईईएसएल ने एआईएल, एअर इंडिया एक्सप्रेस, फ्लाई 91 और एलाइंस एअर के साथ–साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों जैसे कुवैत एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, क्विकजेट, प्रधान एयर, मंटा एविएशन, एम जेट्स इंटरनेशनल, बुद्ध एयर, ड्रुकेयर, अकासा एयर को लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान कीं हैं।

एआईईएसएल प्रमुख ग्राहकों जैसे एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलाइंस एअर, आईएएफ, प्रधान एयर, क्विकजेट, फ्लाई 91, ताशी एयर, स्पाइस जेट, ग्लोबल एयरोटेक, विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूएलएफसी), सोजित्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीमन एविएशन सर्विसेज को बेस रखरखाव/इंजन रखरखाव सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, एआईईएसएल दिल्ली और मुंबई में विभिन्न समूहों के लिए विमान रखरखाव, स्टोरेज रिकवरी, आरटीएस और पुनः डिलीवरी के लिए भी पट्टेदारों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। पट्टेदार को दी जाने वाली सेवाओं में बीएसआई, इंजन स्टोरेज/संरक्षण और अन्य संबंधित रखरखाव कार्य भी शामिल हैं। प्रमुख पट्टेदार जिन्हें एआईईएसएल सक्रिय सेवाएं प्रदान करता है, वे हैं आईसीबीसी, जैक्सन स्क्वायर एविएशन (जेएसए), सीसीबी लीजिंग और एविएशन कैपिटल ग्रुप।

आपकी कंपनी को 15 विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त है, जैसे ईएएसए, एफएए, कतर, कुवेत, जीएसीए (यूएई), सीएए सिंगापुर, सीएए श्रीलंका, सीएए नेपाल, सीएए मलेशिया, सीएए बांग्लादेश, पीएसीए ओमान, सीएए मिस्र आदि। एआईईएसएल ने ब्रुनेई के सीएए के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।

एआईईएसएल एनआर ने सीएफएम लीप1ए इंजन जांच के लिए क्षमता वृद्धि का काम शुरू किया है और भविष्य की मांगों को लेकर आशान्वित है। इसी तरह, एआईईएसएल के पश्चिमी क्षेत्र में, एयरबस नियो विमान के पीडब्लू1100 इंजनों के लिए प्रैट एंड व्हिटनी इंजनों की चरण–1 जांच के लिए समझौता पूरा हो गया है। नागपुर एमआरओ में, इंजन परीक्षण प्रकोष्ठ ने जीईएनएक्स और जीई90 इंजनों के परीक्षण के लिए ईएएसए और एफएए से मंजूरी हासिल कर ली है। जीईएनएक्स इंजनों को क्यूटी (क्विक टर्न) रखरखाव जांच की आवश्यकता होती है, नागपुर एमआरओ में, हमने 4 क्यूटी जांच की हैं।

दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में एटीआर और नियो और मैक्स विमानों की भविष्य की माँगों को ध्यान में रखते हुए क्षमता वृद्धि की गई है, जिन्हें भविष्य में एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जाएगा।

शक्तियां

पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशेषज्ञता विकसित की है :

- प्रमुख हवाईअड्डों पर अखिल भारतीय फुटप्रिंट के साथ डीजीसीए/एफएए/ईएएसए द्वारा अनुमोदित सुविधाएँ, सभी इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के लिए प्रभावी रूप से वन स्टॉप शॉप हैं।
- राजस्व, बुनियादी ढाँचे और पेशेवर जनशक्ति के मामले में भारतीय एमआरओ में सबसे बड़ा पक्ष खिलाड़ी है।
- भारत में एकमात्र एमआरओ जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पर भारी रखरखाव जाँच प्रदान करता है।
- सीएफएम 56–5बी/7बी, जीई, पी एंड डब्ल्यू और लीप 1ए/लीप 1बी के इंजन ओवरहाल शॉप के आला बाजार में उपस्थिति।
- भारत भर में 07 प्रमुख हवाईअड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, नासिक, नागपुर, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम में बेस रखरखाव में उपस्थिति।

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर 101 से अधिक स्टेशनों पर लाइन रखरखाव में उपस्थिति
- ए320 और बी737 विमानों के लिए लैंडिंग गियर ओवरहाल सुविधाएँ।
- घटकों की मरम्मत और ओवरहाल दुकानों और एपीयू ओवरहाल शॉप में उपस्थिति।
- संशोधन/ संरचना मरम्मत, एनडीपी, लीज रेंटल, स्पेयर सपोर्ट, सीएएमअपे सेवाएँ, प्रशिक्षण, आदि जैसी विशिष्ट सेवाओं में उपस्थिति।
- ए320 परिवार सहित विमान मॉडल की विविध रेंज को संभालने में अनुभव रखने वाला भारत का एकमात्र एमआरओ अर्थात बी737 एनजी/मैक्स, बी747, बी777, बी787 और एटीआर।
- सीएफएम 56–5बी/7बी और जीई इंजन के लिए 03 स्थानों पर जेट इंजन ओवरहाल सुविधाएँ और साथ ही टेस्ट सेल।

भारत सरकार ने एमआरओ उद्योग के लिए कई बड़े लाभ पेश किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :

- एमआरओ आयात पर 5 प्रतिशत जीएसटी की समान अनुमति देकर जीएसटी संरचना से संबंधित मुद्दों का समाधान, जबकि घटक विशेष शुल्क 40 प्रतिशत तक था।
- हवाईअड्डों पर एमआरओ सुविधाओं के लिए पहले अल्पकालिक पट्टे के बजाय दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराना। चूंकि एमआरओ के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए दीर्घकालिक पट्टे से एमआरओ को सुविधाओं के उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय करना होगा।
- एमआरओ सेवाओं पर रॉयल्टी शुल्क हटाना। पहले, रॉयल्टी (10–20 प्रतिशत के बीच की दरों के साथ) के कारण, भारत में एमआरओ सेवाएँ विदेशी एमआरओ की तुलना में महंगी और अक्षम हो जाती थीं।
- सुरक्षा और गुणवत्ता की आवश्यकता को एकल विनियमन में विलय करके एमआरओ अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया है।

इसके अलावा, सरकार एएमई लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के उदारीकरण पर भी काम कर रही है।

भविष्य की योजनाएँ

हम लाइन मेंटेनेंस सहायता के लिए बाटिक एयर, कतर एयरवेज, चाम विंग्स, एयर एस्ट्रा, रॉयल ब्रुनेई, थाई एयर एशिया, यूएस बांग्ला, रोम कार्गो, स्काई अंगकोर एयरलाइंस आदि के संपर्क में हैं।

आने वाले कुछ महीनों में, आपकी कंपनी यूएस बांग्ला एयर और डीआरडीओ को उनके ए319 और ए320 विमानों के लिए बेस मेंटेनेंस सेवाएँ प्रदान करेगी।

इसके अलावा, हम विमान रखरखाव और पुनः डिलीवरी आदि के लिए मिनशेंग फाइनेंशियल लीजिंग कंपनी लिमिटेड (एमएसएफएल), सीडीबी एविएशन के साथ बातचीत कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है और समाज में सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से सीएसआर नीति निर्धारित की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, एआईईएसएल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 9.10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान दिया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का पालन करती है, जैसा कि लागू हो। स्व–मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–2023 और 2023–2024 के लिए डीपीईकॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए उत्कृष्ट ग्रेड के अंतर्गत आती है। डीपीई ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीईकॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एआईईएसएलको उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्रदान की है और वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए डीपीईग्रेडिंग प्रतीक्षाधीन है।

आभार

मैं निदेशक मंडल की ओर से नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, बीसीएएस, ऐरा, एएआई, डीआईएएल, एमआईएएल, एआईएएचएल, प्रमुख ग्राहक जैसे भारतीय वायु सेना, डीआरडीओ, एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, स्पाइसजेट, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड और अन्य एयरलाइन ऑपरेटरों आदि, लेखापरीक्षकों और विक्रेताओं द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहायता और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रयासों को स्वीकार करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनकी लगन, बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और मूल्यों की गहरी समझ आपकी कंपनी के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।

हम आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं क्योंकि हम एमआरओ उद्योग के उज्ज्वल भविष्य के युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी कंपनी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय सारांश और मुख्य विशेषताओं सहित व्यवसाय और संचालन पर अपनी बीसवीं (20वीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. सामान्य सूचना

तत्कालीन मूल कंपनी, एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वर्ष 2010 में एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में एअर–इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड) (एआईईएसएल) को एअर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अलग करने और सेवा प्रदान करने के लिए, एक पृथक लाभ केंद्र को मंजूरी दी थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के तीसरे पक्ष के ग्राहक से वर्कलोड के अलावा एअर इंडिया और इसकी अन्य सहायक कंपनियों के कैप्टिव लोड की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियां का कार्य सौंपा गया।

तदनुसार, एआईईएसएल के संचालन के लिए वर्ष 2012 में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभिन्न वैधानिक और नियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद, एक स्वतंत्र एमआरओ के रूप में काम करने के लिएसीएआर–145 के तहत दिनांक 01.01.2015 को डीजीसीए से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

दिनांक 03.08.2020 से कंपनी का नाम ''एअरइंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड'' से बदलकर ''एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड'' कर दिया गया था।

इससे पहले, एआईईएसएल, एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, हालांकि एआई के विनिवेश और एअर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार दिनांक 12.01.2022 एआईईएसएल की संपूर्ण शेयरधारिता एअर इंडिया से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेडको स्थानांतरित कर दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 12.01.2022 से एआईईएसएल, एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

2 वित्तीय सारांश और मुख्य बिंदु

वर्ष के दौरान कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है :–

(करोड रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (पुनर्स्थापित)
कुल राजस्व	2180.35	2044.78
कुल व्यय	1552.45	1418.81
आपवादिक मदों से पूर्व लाभ (हानि)	627.90	625.97
जमाः आपवादित मदें	-259.50	233.42
कर पूर्व लाभ (हानि)	368.40	859.39
घटाः आस्थगित कर सहित कर व्यय	113.41	216
कर पश्चात लाभ	254.99	643.39
अन्य वृहत आय	-19.26	1.04
कुल वृहत आय	235.73	644.43
पिछले वर्ष से अग्रेणीत लाभ का शेष	-941.76	-1586.20
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष	-706.03	-941.76

3. पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रुपये 1000 करोड़ रुपये थी जो प्रति 10 रूपए के 100 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 166,66,65,000 रुपये थी, जिसे प्रति 10 रूपए 16,66,66,500 रुपये के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और संपूर्ण शेयरधारिता एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और इनके नामितियों के अधिकार क्षेत्र में है।

4. वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का विवरण

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) में उल्लिखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरण या बोर्ड रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है। हालाँकि, इस वर्ष की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022–23 के वित्तीय विवरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

5. लाभांश

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

6. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश का अंतरण

चूंकि विगत वर्षों से कोई अदत्त/अदावा लाभांश नहीं था, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

7. आरक्षित निधि में अग्रेणीत किए जाने हेतु प्रस्तावित राशि

कंपनी के बोर्ड ने शून्य राशि को अपने रिजर्व में ले जाने का निर्णय/प्रस्ताव किया है।

8. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एआईईएसएल ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं :

i. मुंबई और दिल्ली में फैसेलिटी को ए320 परिवार के विमानों पर 10 वर्ष की जांच तक रखरखाव गतिविधि करने के लिए एफ.ए.ए मंजूरी मिली।

ii. नई दिल्ली में अपने अत्याधुनिक जेट इंजन ओवरहाल कॉम्प्लेक्स के लिए ईएएसए की मंजूरी मिली।

iii. सीएफएम 56–5बी और लीप 1 इंजनों को संभालने के लिए ईएएसए 145 की मंजूरी प्राप्त की गई – इन इंजनों के लिए ईएएसए की मंजूरी पाने वाली यह देश की एकमात्र सुविधा है।

iv. बी737 मैक्स पर संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत सहित 15000 एफएच या 5500 एफसी या 36 एमओ बोइंग एमपीडी कार्य करने के लिए मंजूरी प्राप्त की।

v. पूर्व गो एयर विमानों पर रखरखाव जांच करने के लिए सीएवाईएमएएन की मंजूरी मिली।

vi. नागपुर एमआरओ सुविधा 15 दिनों के टीएटी के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय वाइड बॉडी (डब्ल्यूबी) विमान पर सी–चेक करने वाली पहली एमआरओ बन गई है।

vii. मुंबई फेसेलिटी में ए–चेक के लिए केयू एयरवेज के कई बी777 को शामिल किया गया।

viii. ईएएसए ने एआईईएसएल एमआरओ, नागपुर में इंजन ओवरहाल सुविधा के लिए बी1 रेटिंग के तहत जीईएनएक्स इंजन और सी7 रेटिंग के तहत जीईएनएक्स इंजन के विभिन्न घटकों की त्वरित टर्न (क्यूटी) मरम्मत को मंजूरी दी।

ix. भारत में हमारे एक सम्मानित ग्राहक से 36 महीने की जांच के लिए पहला बोइंग 737 मैक्स विमान शामिल किया।

x. रखरखाव कार्य पर सफलतापूर्वक करने और अल्पावधि अंतराल में इंजन परीक्षण करने के बाद ग्लोबल एयरोटेक के वी2500 इंजन को सफलतापूर्वक वापस किया।

xi. गो–फर्स्ट विमान, जो एक वर्ष से दिल्ली में खड़ा था, अंतत अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर चुका है। एआईईएसएल ने इस उड़ान को संभव बनाने के लिए व्यापक एंड–टू–एंड सेवाएं प्रदान कीं।

xii. जेईओसी टीम ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ग्राहकों के लिए ऑनसाइट एजीबी+टीजीबी प्रतिस्थापन सफलतापूर्वक किया।

xiii. कंपनी भारत में एकमात्र एमआरओ बन गई है, जिसके पास बी737–800 और ए320 परिवार के विमानों के एल/जी के ओवरहॉलिंग करने की विशेषज्ञता है।

xiv. एआईईएसएल मुंबई टीम ने 6 दिनों की अवधि में आईएनएस राजाली पर पी8आई विमान के लैंडिंग गियर को बदलने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की।

xv. एआईईएसएल कोलकाता बेस ने ताशी एयर के एयरबस ए319 विमान के लिए दोष रहित सी–चेक किया।

xvi. एआईईएसएल ने भारत में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा विकसित करने के लिए बोइंग के साथ सहयोग किया।

xvii. एआईईएसएल ने नागपुर में एफएए मान्यता के तहत ए320 नियो की पहली सी चेक शामिल की।

कंपनी के संचालन को विभिन्न क्षेत्रों/बेसों अर्थात लाभ केंद्रों में विभाजित किया गया है। वर्ष के दौरान उनका प्रदर्शन, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाएँ नीचे दी गई हैं :

I. नागपुर एमआरओ :

'मिहान' के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि पर स्थित एमआरओ संपत्ति को एअर इंडिया लिमिटेड से एआईईएसएल को हस्तांतरित कर दिया गया है। हाल ही में 200 से अधिक बेस अनुरक्षण जांच कार्य पूरा किया।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नागपुर एमआरओ का कार्यनिष्पादन और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क. बेस रखरखाव

विनियामक स्वीकृतियाँ : ए320 विमान बेडे के विमानों के आधार रखरखाव के लिए डीजीसीए अनुमोदन को ए320 नियो/लीप–1ए को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था और इसके दायरे को 12 वार्षिक जांच तक बढ़ाया गया था। नागपुर–एमआरओ ने दिनांक 11 सितंबर 2023 को कुवैत एयरवेज के लिए डीजीसीए केसीएएसआर पार्ट 145 अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

ए320 परिवार के विमानों के बेस रखरखाव के लिए एफएए अनुमोदन फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था और ए320 नियो की पहली ''6 वर्ष'' की बेस जांच मई 2023 में सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। इसके साथ, नागपुर बेस रखरखाव में बोइंग 777 और एयरबस ए320 विमानों के लिए एफएए अनुमोदन और बोइंग 777, एयरबस ए320 और बोइंग 737 के लिए डीजीसीए से अनुमोदन प्राप्त है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान :

- सी–जांच (बी777 विमान) की गई – 07
- एआईएल विमान – 02
- विदेशी ग्राहक (के यू एयरवेज) – 05
- चरण जांच (बी777 विमान) की गई – 25
- आइसोलेशन और अन्य जांच (बी777 विमान) की गई – 03
- 6 वर्ष' और पैकेज जांच (ए320 परिवार) की गई – 01

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पूरी की गई जांचों की संख्या 36 थी और इसमें विदेशी ग्राहक 'कुवैत एयरवेज' के 05 बी777 सी जांच वाले विमान शामिल हैं और वे सभी सफलतापूर्वक सेवा में वापस आ गए हैं। आरंभ से अब तक कुल 207 बेस रखरखाव जांच पूरी हो चुकी हैं।

ख. इंजन शॉप

जीईएनएक्स इंजन असेंबली

- वित्त वर्ष 2023–24के दौरान दो जीईएनएक्स इंजनों पर क्विक टर्न (क्यूटी) मरम्मत पूरी की गई।
- स्थापना के बाद से अब तक कुल 15 जीईएनएक्स इंजनों की क्विक टर्न मरम्मत पूरी की गई।

इंजन परीक्षण कक्ष

- वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल तीन जीईएनएक्स–1बी इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- स्थापना के बाद से अब तक नागपुर इंजन शॉप में कुल 5 जीईएनएक्स–1बी इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

विंग सपोर्ट

- शॉप और टेस्ट सेल गतिविधियों के अलावा, नागपुर में बेस जांच से गुजरने वाले बी777 विमानों को ऑन–विंग सहायता प्रदान की जा रही है।

ग. बैक शॉप

(1) कंपोनेंट ओवरहाल प्रभाग (सीओडी)

सीओडी – संरचनात्मक समूह :

नागपुर एमआरओ के पास बोइंग {बी777–200एलआर/300ईआर (जीई90), बी737–700/800/900 (सीएफएम56), बी787–8 (जीईएनएक्स)} और एयरबस {एयरबस ए319/ए320/ए321 (सीएफएम56–5बी), ए320 (वी2500 श्रृंखला)} मिश्रित सामग्री की मरम्मत, संरचनात्मक मरम्मत और संशोधन, पैनल – निर्माण और मरम्मत, फास्टनर छेद के कोल्ड वर्किंग कार्य, मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील्स के ताप उपचार और धातुओं की वेल्डिंग जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए डीजीसीए सी20 रेटिंग प्राप्त है।

सीओडी – केबिन जीवन रक्षा सुरक्षा उपकरण समूह :

नागपुर एमआरओ के पास बी777–200एलआर/300ईआर (जीई90), बी737–700/800/900 (सीएफएम56), बी787–8

(जेनेक्स) घटक सर्विसिंग जैसे विमान सीट कुशन कवर, विमान पर्दे की सिलाई, विमान ध्वनि प्रूफिंग, जिपर पैनल, कालीन और इन्सुलेशन कंबल, ऑक्सीजन सिलेंडर की चार्जिंग, संपीड़ित गैस सिलेंडर का हाइड्रोस्टैटिक तनाव परीक्षण और आग बुझाने की बोतलों के वजन की जांच के लिए डीजीसीएसे सी6, सी15, सी18 रेटिंग प्राप्त है।

(2) मानक कक्ष :

नागपुर एमआरओ के मानक प्रभाग के पास अल्ट्रासोनिक परीक्षण, एड़ी करंट परीक्षण, रेडियोग्राफिक परीक्षण, फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण और चुंबकीय कण निरीक्षण के लिए डीजीसीए डी1 रेटिंग प्राप्त है और यह बेस रखरखाव के लिए विंग समर्थन प्रदान करता है।

घ. बेसिक 147 ओजेटी प्रशिक्षण

एमआरओ सीएआर 147 रखरखाव प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए बुनियादी ओजेटी प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में सात संस्थानों ने एआईईएसएल, नागपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ड. प्रशिक्षुओं की भर्ती

प्रशिक्षु अधिनियम–1961 के अनुपालन के तहत, वित्त वर्ष 2023–24 में 12 प्रशिक्षुओं को भर्ती किया गया।

च. भविष्य की योजनाएं

- बी777 और ए320 परिवार के विमानों के आधार रखरखाव के लिए ईएएसए अनुमोदन।
- इंजन शॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए पीआरएसवी (परफॉर्मेंस रिस्टोरेशन शॉप विजिट) टूल की खरीद।
- बैटरी/एक्सेसरीज/इलेक्ट्रिकल/एवियोनिक्स/आईएफई शॉपों की स्थापना।

II. त्रिवेंद्रम (टीआरवी) एमआरओ

टीआरवी एमआरओ सुविधा में बेस मेंटेनेंस, 21 स्टेशनों का लाइन मेंटेनेंस शामिल है – मुख्य रूप से एअर इंडिया एक्सप्रेस के बी737 विमानों की सर्विसिंग और ऑक्सीजन चार्जिंग, बैटरी ओवरहाल और एनडीटी शॉप का सहयोग करने वाले शॉप मेंटेनेंस। वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में, केरल रीजन की स्थापना की गई जिसमें त्रिवेंद्रम एमओरओ और केरल बेल्ट के 4 लाइन स्टेशन शामिल हैं, अर्थात् एलएम – त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कालीकट, कन्नूर और अगत्ती।

टीआरवी एमआरओ की प्रमुख उपलब्धियाँ :

i. ए320–परिवार के विमानों पर 12 वर्ष तक प्रमुख रखरखाव जाँच के लिए बढ़ी हुई क्षमता।

ii. बी737एनजी और ए320 परिवार के विमानों के लिए एफएए की स्वीकृति।

iii. एअर इंडिया ए320 विमानों पर 6 वार्षिक प्रमुख जाँच की गई।

iv. बी737–700/800/900 बीसीएफ और बीडीएसएफ के लिए डीजीसीए और एफएए की स्वीकृति।

v. स्पाइसजेट के लिए मालवाहक रखरखाव से पर्याप्त राजस्व

vi. टीआरवी एमआरओ सुविधा बी737 और ए320 परिवार के विमानों के लिए 12 वार्षिक जाँचों तक के लिए ईएएसए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी तैयारी कर रहा है।

आधार रखरखाव क्षमता और अनुमोदन :

i. सुविधा क्षमता : दो विमानों की एक साथ बड़ी जाँच की जा सकती है, साथ ही खुले एप्रन क्षेत्र में दो और विमानों के लिए अतिरिक्त क्षमता है।

ii. अनुमोदन : ए320 परिवार के विमानों पर 12 वार्षिक तक की प्रमुख जाँचों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। तब से एमआरओ ने एफएए प्रमाणन के तहत छह वार्षिक जाँचों सहित 12 एअर इंडिया ए320 सीईओ और नियो विमानों पर भारी जाँच की है। यह बी737एनजी और बी737 बीडीएफ/बीडीएसएफ विमानों के अतिरिक्त है।

वर्ष 2023–24 के दौरान कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

क) **बेस मेंटेनेंस –टीआरवी एमआरओ :** वित्त वर्ष 2023–24 में बीएमडी का गतिविधिवार विवरण इस प्रकार है :

i.	चरण जांच	:	306
ii.	मासिक जांच	:	181
iii.	वार्षिक जांच	:	28
iv.	सी जांच	:	14

ख) **ओवरहाल/मरम्मत की शॉप** वित्त वर्ष 23–24 में ओवरहाल शॉप का गतिविधिवार विवरण इस प्रकार है :

i.	पहिए (मेन और नोज)	:	1415
ii.	ब्रेक	:	143
iii.	ऑक्सीजन	:	291
iv.	बैटरी	:	138

ग) **लाइन मेंटेनेंस :** त्रिवेंद्रम के लाइन मेंटेनेंस डिवीजन के तहत, हमने वित्त वर्ष 2023–24 में विभिन्न एयरलाइनों की लगभग 27,831 उड़ानों को संभाला है।

त्रिवेंद्रम एमटीओ

एमटीओ, टीआरवी को बोइंग और एयरबस बेड़े के प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए और ईएएसए के तहत मंजूरी दी गई है। इस सुविधा ने वित्त वर्ष 23–24 के दौरान बी737 मैक्स टाइप डिफरेंस और ए320 फैमिली सीईओ से नियो डिफरेंस कोर्स के लिए स्वीकृति प्राप्त की और एमटीओ, टीआरवी ने 6 मैक्स डिफरेंस कोर्स, एक बी737 बी1.1 टाइप कोर्स (डीजीसीए द्वारा अनुमोदित) और एक बी737 बी2 कोर्स (डीजीसीए और ईएएसए द्वारा अनुमोदित) आयोजित किए। इसके अलावा, सर्विस इंजीनियरों को काम करने में सक्षम बनाने के लिए मात्र मैक्स के लिए लगभग 20 परिचय पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

एमआरओ, टीआरवी स्वयं के प्रयासों से इन–प्लांट ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और सीएआर 147 बेसिक स्कूल ट्रेनिंग (10 कॉलेज) भी प्रदान करता है और इससे कंपनी को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है।

एआईईएसएल टीआरवी एमटीओ को ए320, बी737 एनजी और बी737 मैक्स विमानों पर बी1/बी2 प्रकार के प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, एमटीओ टीआरवी को ए320, बी737 एनजी और बी777 विमानों पर बी1/बी2 प्रकार के रेटेड पाठ्यक्रमों के लिए ईएएसए की मंजूरी प्राप्त है।

एमटीओ, त्रिवेन्द्रम में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का प्रकार	पाठ्यक्रमों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या
1	ऑफलाइन पाठ्यक्रम	79	973
2	ऑनलाइन पाठ्यक्रम	87	1394
3	सीएआर 147 बेसिक पाठ्यक्रम	38	653

भावी योजनाएँ

भावी प्रचालन और क्षमताएँ :

i. डीजीसीए और एफएए अनुमोदन के तहत बी737–8/9 मैक्स विमान को शामिल करने के लिए क्षमताओं का विस्तार करना।

ii. बी737 और ए320 विमानों के लिए मूल अनुरक्षण हेतु ईएएसए अनुमोदन।

iii. समग्र सामग्री/संरचनात्मक मरम्मत अनुमोदन।

iv. बी737–8/9 मैक्स और ए320 नियो पहियों और ब्रेक के लिए सीओडी (घटक ओवरहाल प्रभाग) क्षमताओं को बढ़ाना।

v. केबिन की मरम्मत और नवीनीकरण, हीट एक्सचेंजर की सफाई और परीक्षण।

vi. ईएएसए के दायरे में मैक्स प्रशिक्षण को शामिल करना।

vii. पूर्ण स्कोप बी 737–मैक्स अनुमोदन (प्रक्रिया पहले से ही अंतिम चरण में है)।

viii. बी787 सहित वाइड बॉडी विमानों की मंजूरी के साथ एमटीओ क्षमता को बढ़ाना।

ix. दो और कक्षाओं का निर्माण और सुविधा का उन्नयन।

प्रस्तावित भावी परियोजनाएँ :

i. क्षमता बढ़ाने के लिए पेंट सुविधा सहित एक डब्ल्यूबी या दो एनबी एयरक्राफ्ट रखने के लिए खाली भूमि पर एक हैंगर का निर्माण।

ii. एवियोनिक्स एक्सेसरीज रिपेयर शॉप।

iii. गैली इंसर्ट रिपेयर शॉप।

iv. केबिन सेफ्टी और सर्वाइवल इक्विपमेंट शॉप।

v. एटीईसी और कंपोनेंट ओवरहाल के लिए एनेक्स बिल्डिंग के साथ एनबी पेंटिंग हैंगर का निर्माण।

III. जेईओसी (जेट इंजन ओवरहाल परिसर)

- जेईओसी, दिल्ली एआईईएसएल का एक अभिन्न अंग है जो कंपनी में इसके राजस्व के एक बड़ा हिस्सा के रूप में योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जेईओसी, दिल्ली का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :

- उत्पादित इंजनों की कुल संख्या 17 थी (07 मेसर्स एअर इंडिया, 02 मेसर्स एअर इंडिया एक्सप्रेस, मेसर्स ग्लोबल एयरोटेक के 03 और मेसर्स डब्ल्यूएलएफसीके 05 इंजन परीक्षण)

- एमएसए के अनुसार 07 सीएफएम 56–5बी इंजनों का उत्पादन और लीप1ए और सीएफएम 56–5बी इंजनों पर लीज रिटर्न निरीक्षण, वीडियो बीएसआई, नोजल परिवर्तन, इन्वेंट्री जांच आदि सहित अतिरिक्त कार्य किए गए।

- मेसर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के 02 सीएफएम 56–5बी इंजनों का उत्पादन, मेसर्स ग्लोबल एयरोटेक के 03 वी2500 इंजनों का परीक्षण, और मेसर्स विलिस से संबंधित 05 सीएफएम 56–5बी इंजनों की मॉड्यूल स्वैपिंग, साथ ही मेसर्स इंडिगो, मेसर्स विस्तारा और मेसर्स स्पाइस जेट से संबंधित घटकों पर मामूली सुधार कार्य।

वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

- जेईओसी को मैसर्स ग्लोबल एयरोटेक, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कार्य करने के लिए भारतीय एएमओ (अनुमोदित रखरखाव संगठन) के रूप में एसएसीएए (दक्षिण अफ्रीकी नागर विमानन प्राधिकरण) से सीमित स्वीकृति मिली है। इससे जेईओसी, दक्षिण अफ्रीकी ऑपरेटरों और ग्राहकों को लक्षित करके अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

- जेईओसी भारतीय वायु सेना को जेटी8डी इंजन और डीआरडीओ को सीएफएम56–5बी इंजन के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है, जिससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है।

- हमारी वर्तमान क्षमताओं के साथ लगातार संपर्क करके बाहरी पक्षों के कार्यों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2023–24 में बाहरी पक्षों से संबंधित राजस्व में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

- जेईओसी तकनीकी जानकारी, टूलींग और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए मैसर्स सैफरान के साथ संपर्क और निरंतर चर्चा के माध्यम से सीएफएम लीप 1ए इंजन पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर है।

- अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से टेस्ट सेल उन्नयन प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

IV. **मुंबई बेस (पश्चिमी क्षेत्र):** इस अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) का प्रदर्शन निम्नानुसार है :

❖ **ग्रुप–ए**

वर्ष 2023–24 वित्तीय वर्षों के दौरान नैरो बॉडी, पश्चिमी क्षेत्र, एयरबस समूह की प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे संक्षेप में दी गई हैं :

क. **पश्चिमी क्षेत्र, ग्रुप–ए की एमआरओ क्षमताएँ :**

➢ **लाइन रखरखाव :**

✓ विमान प्रमाणन के लिए मुंबई बेस सहित 14 सक्रिय स्टेशनों की हैंडलिंग।

➢ **बेस रखरखाव :**

➢ ए320 (सीएफएम एवं पीडब्लू), ए330 (पीडब्लू एवं जीई) और एटीआर72 विमानों के लिए बेस रखरखाव को डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त है।

➢ **बेस अनुरक्षण शॉप :**

✓ एनडीटी निरीक्षण / एक्स–रे

✓ संरचना मरम्मत शॉप

- ✓ कम्पोजिट मरम्मत शॉप
- ✓ मशीन शॉप
- ✓ पेंटिंग/शॉप
- ✓ टेलरिंग शॉप
- ✓ कारपेंटरी शॉप
- ✓ एयरफ्रेम सहायक उपकरण/कम्पोसिटओवरहाल शॉप
- ✓ वैमानिकी शॉप

- इलेक्ट्रिकल और ओवरहॉल शॉप
- इंस्ट्रूमेंट और ओवरहॉल शॉप
- रेडियो और ओवरहॉल शॉप

➢ **गुणवत्ता आश्वासन और तकनीकी सेवाएं**

- ✓ तेल और ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला
- ✓ लाइसेंसिंग, प्रमाणीकरण
- ✓ ऑडिट, तकनीकी पुस्तकालय

➢ **इंजीनियरिंग सुविधाएं**

- ✓ ट्रेसल्स आदि के सभी फैब्रिकेशन का रखरखाव और अनुरक्षण
- ✓ बिजली, कंप्रेस्ड वायु, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जैसी उपयोगिताओं का अनुरक्षण

➢ **डीजीसीए अनुमोदित प्रशिक्षण केंद्र**–एएमई और सर्विस इंजीनियरों हेतु :

➢ **उत्पादन नियोजन और सामग्री प्रबंधन** :

- ✓ विमान के कलपुर्जों के लिए प्रावधान
- ✓ बजट और नियंत्रण
- ✓ बाहरी पक्षों के लिए बिलिंग
- ✓ प्रगति नियंत्रण और कार्य आदेश प्रकोष्ठ
- ✓ अनुरक्षण और सामग्री योजना
- ✓ बीमा/वारंटी दावा प्रबंधन

➢ **औद्योगिक इंजीनियरिंग:**

- इंजीनियरिंग निष्पादन निगरानी और उत्पादन विश्लेषण।
- अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए मानव–घंटों के मानदण्डों का निर्धारण।
- जॉब कॉस्टिंग/इंजीनियरिंग कार्मिक नियोजन।
- शिफ्ट विश्लेषण प्रणालियों के लिए उत्पादकता सुधार के उपाय आदि।
- जनशक्ति अनुबंध निगरानी और विशेष अध्ययन।

- क्षेत्रीय हेल्पडेस्क (आरएचडी) (रैमको सिस्टम में प्री–फ्लाइट, नाइट–हॉल्ट, ले–ओवर, साप्ताहिक, 400 फ्लाइट प्रति घंटे, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट (सीआर), सामग्री अनुरोध (एमआर) से संबंधित विभिन्न पैकेज से संबंधित उड़ान डेटा को संभालना)।
- निविदा प्रक्रिया (हाउस कीपिंग, कार्यालय सहायक, रैंप वाहन और कर्मचारी परिवहन सेवाएं, हैंडीमेन हेल्पर सेवाएं, आदि)।
- पश्चिमी क्षेत्र, नेरो बॉडी, एयरबस समूह के लिए राजस्व और लाभप्रदता के साथ एआईएल और एएएएल बिलिंग।

❖ **ग्रुप–बी**

क. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रुप–बी द्वारा पूरे किए गए चेकों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

मुंबई में किए गए चेकों का विवरण

- o किए गए कुल 'डी' चेक – 0
- o किए गए कुल 'सी' चेक – 15
- o किए गए कुल 'फेज' चेक – 44
- o किए गए कुल 'ए' चेक – 177
- o किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक – 2962
- • कुल विदेशी एयरलाइन हैंडलिंग – 0864
- • कुल विदेशी एयरलाइन प्रमाणन – 0624
- • विदेशी एयरलाइंस स्टैंडबाय/ऑन कॉल हैंडलिंग – 0672

क. इंजन ओवरहाल (मुंबई) में मरम्मत/ओवरहाल किए गए इंजनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

माह/वर्ष	पीडब्ल्यू4056	सीएफएम 56–7बी	जीई 90	जनेक्स	कुल
अप्रैल–23 से मार्च–24	-	13	11	8*	32

* नागपुर टेस्ट सेल में 01 इंजन की जांच की गई।

- o किए गए कुल 'डी' चेक – 0
- o किए गए कुल 'सी' चेक – 2
- o किए गए कुल 'फेज' चेक – 6
- o किए गए कुल 'ए' चेक – 46
- o किए गए कुल 'ट्रांजिट' चेक – 718

ख. मुंबई में मरम्मत/ओवरहाल किए गए ए.पी.यू. का विवरण निम्नानुसार है:–

माह/वर्ष	131–9बी	331–500बी	एपीएस 5000ए	पीडब्ल्यूए 901ए	कुल
अप्रैल–23 से मार्च–24	5	6	3	-	14

ख. इस अवधि के दौरान किया गया तीसरे पक्ष संबंधी कार्य निम्नानुसार हैं:

कुवैत एयरवेज	विमान की जाँच 'ए'
भारतीय नौसेना	फ्लोर बोर्ड
स्पेक्टर एयर	एलपीटी का प्रतिस्थापन
रिलायंस सीडीएल	पृथक रखरखाव कार्य और काउल की पेंटिंग
बॉम्बे फ्लाइंग क्लब	मुंबई और दिल्ली में बी777–300 ईआर सीलिंग पैनल वजन हटाना और पुनः स्थापित करना
टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड	ईएसएन 956853 और सी–चेक, इन्वेंट्री चेक का बोरस्कोप निरीक्षण
सर्व एयर लिमिटेड एफजेडसीओ	कांगो में एएमएम टास्क 79–00–00–200–804 के अनुसार लाइन रखरखाव कार्य
एसीई एविएशन VIII लिमिटेड	इंजन आरएच और एलएच का बोरस्कोप निरीक्षण
एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	इंजन नंबर 2 पर तकनीकी जनशक्ति और रखरखाव कार्य और एडी करंट
स्पाइस जेट लिमिटेड	एलएच और आरएच मुख्य लैंडिंग गियर
द बोइंग कंपनी	राजाली में रेव–सी में पी8आई लैंडिंग गियर हटाना और स्थापित करना
एयरसेल	बी747 की पार्किंग रन–अप बे, एमपावर और एमआरओ सेवाएं
एआरसी	जीआईआईआई विमान जी–2961 का एनडीटी निरीक्षण करना
द बोइंग कंपनी	आईएचओएस विमान के7066 और के7067 पर रखरखाव एमआरपी कार्य
चाइना एयरलाइंस	मुंबई में एओजी आधार पर तकनीकी सहायता
स्पाइस जेट लिमिटेड	एलपीटी मॉड्यूल की अदला–बदली
लुफ्थांसा एयर	हैंगर स्पेस और रन अप बे
एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	इंजन/एयरफ्रेम भागों का एफपीआई

चालू वर्ष के दौरान, एकीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, एआईईएसएल ने संपूर्ण एनबी संसाधनों और अनुमोदनों को विश्व बैंक की ओर स्थानांतरित कर दिया।

v. दिल्ली बेस (उत्तरी क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र (ग्रुप–ए) की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:

- ग्रुप–ए के कुल **5074** थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन (एआई एवं ग्रुप के अलावा कंपनियों/एएएएल/भारतीय वायु सेना) दिल्ली और इसके बाहरी स्टेशनों में किए गए।

- **बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जाँच गतिविधि:**

बेस अनुरक्षण, उत्तरी क्षेत्र में, वर्ष 2023–24 के दौरान एअर इंडिया के एयरबस बेड़े पर की गई जांचों की संख्या इस प्रकार है:

- 1ए–चेक – 57
- 2ए–चेक – 54
- 3ए–चेक – 53
- 4ए चेक – 53
- पैकेज (पी1–पी25) – 01
- इंजन परिवर्तन गतिविधि – 98
- 6 वार्षिक चेक – 0
- 12 वार्षिक चेक – 0

- 1बी चेक – 8
- 2बी चेक – 1
- 1सीचेक – 11
- विमान में प्रमुख संरचनात्मक मरम्मत – 8

निष्पादित अतिरिक्त कार्य : वजन मापना, इंजन ट्रिम संतुलन, वीबीवी स्नैग, डिटर्जेंट वाटर–वॉश, रडर फिटिंग मॉड, फोम वॉश, आदि – कुल 372

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र (ग्रुप–बी) में प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं :

- एअर इंडिया की बी787/बी777 उड़ानों पर कुल 9833 ट्रांजिट जांच की गईं।
- **बेस रखरखाव पर प्रमुख जांच गतिविधि :**

  उत्तरी क्षेत्र (ग्रुप–बी) में बेस मेंटेनेंस, 2023–24 के दौरान एअर इंडिया के बोइंग बेड़े पर की गई जांच की संख्या इस प्रकार है :

- बी787 ए–चेक –155
- बी777 ए–चेक –233
- बी777 150 दिन की जांच – 03

VI. हैदराबाद बेस (दक्षिणी क्षेत्र):

वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

हैदराबाद में एआईईएसएल एमआरओ अपने अत्याधुनिक और एआईईएसएल नेटवर्क में सबसे नवीनतम एमआरओ के साथ विमान अनुरक्षण सेवा में सबसे अग्रणी है। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं और इन राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उत्तरदायी है। हम विनियामक और सुरक्षा अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए ग्राहकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं।

एआईईएसएल हैदराबाद के पास ए320 (वी2500, सीएफएम56 और लीप) और एटीआर72 प्रकार के विमानों के लिए आधार रखरखाव क्षमता है।

इसके अतिरिक्त, ए320 इंजन परिवर्तन, इंजनों का बोरस्कोप निरीक्षण, रैम एयर टर्बाइन टेस्ट, चुंबकीय कण और फ्लोरोसेंट कण निरीक्षण, एनडीटी, ईटी और यूटी जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

क) दक्षिणी क्षेत्र में की गई रखरखाव गतिविधि की मुख्य विशेषताएं

➢ **दक्षिणी क्षेत्र में लाइन मेंटेनेंस गतिविधियां :**

ए320 बेडा विमान			एटीआर72–600 विमान		
परगमन	:	25871	परगमन	:	10734
रात्रि विश्राम	:	1736	रात्रि विश्राम	:	7
ले–ओवर निरीक्षण	:	1127	ले–ओवर निरीक्षण	:	1150
साप्ताहिक निरीक्षण	:	612	साप्ताहिक निरीक्षण	:	307
400एफएच निरीक्षण	:	15	400एफएच निरीक्षण व उच्चतर जांच*	:	51
			बीएसआई	:	30

नोट :

- लाइन मेंटेनेंस, बैंगलोर में एटीआर72–600 का "1" इंजन परिवर्तन किया गया।
- ट्रांजिट चेक में शामिल ग्राहकों (एयर एशिया बरहाद/एयर विस्तारा/भारतीय वायु सेना (एबी)/कुवैत/रॉयल

नेपाल /कतर/स्कूट टाइगर एयर) के इंजीनियरिंग प्रमाणन की कुल संख्या।

- उपरोक्त तालिका में "71" तकनीकी हैंडलिंग/हेडसेट समर्थन सेवाओं का विवरण शामिल नहीं है।
- *– ए और इसकी कई/वार्षिक/4000 एफएच और 8000 एफएच जांच
- विभिन्न विदेशी एयरलाइनों (एयर एशिया बरहाद, मलेशियाई एयरलाइंस आदि) को एओजी सहायता प्रदान की गई।
- हैदराबाद ने एआईईएसएल के त्रिवेंद्रम और बागपुर बेस पर ए320एफ की 6 वार्षिक और उच्चतर जांच करने के लिए अपने जनशक्ति समर्थन का विस्तार किया।

➢ **हैदराबाद के शमशाबाद हैंगर में प्रमुख जांच गतिविधि :**

बेस मेंटेनेंस, हैदराबाद में, 2023–24 के दौरान की गई जांचों की संख्या इस प्रकार है :

एटीआर बेडा												
जांच के प्रकार	लेओवर चेक	साप्ताहिक चेक	ए1 से ए–9 (ए4/ए8 को छोड़कर)	ए4/ए8	400 घंटे चेक	सी–चेक	1 एक वार्षिक चेक	2 वार्षिक चेक	4 वार्षिक चेक	4000 घंटे चेक	इंजन परिवर्तन	बीएसआई
जांचों की कुल संख्या	3	11	11	3	1	2	2	2	1	5	7	1

➢ **हैदराबाद में ओवरहाल शॉप पर उत्पादन रिपोर्ट :**

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एआईईएसआल, हैदराबाद में ओवरहाल शॉप्स पर सर्विस किए गए घटकों की संख्या इस प्रकार है :

- एक्सेसरी ओवरहाल शॉप – 243
- इलेक्ट्रिकल ओवरहाल शॉप – 121
- इंस्ट्रूमेंट ओवरहाल शॉप – 1173
- रेडियो ओवरहाल शॉप – 760

प्रत्येक ओवरहाल शॉप के लिए घटकवार ब्यौरा (ग्राफ)

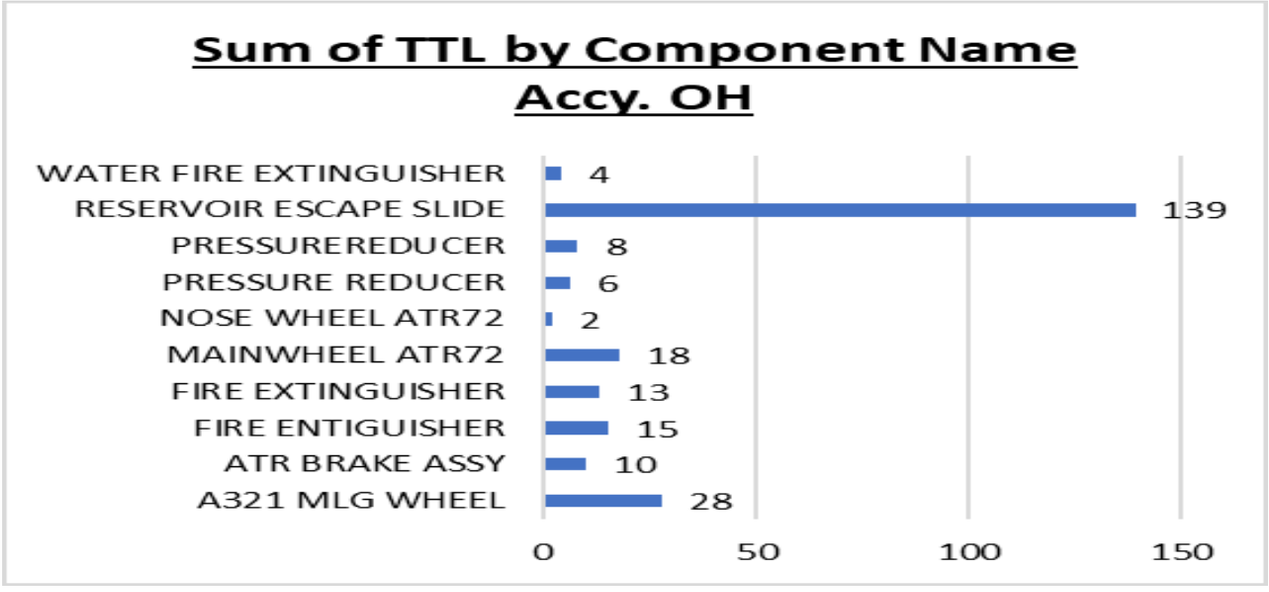

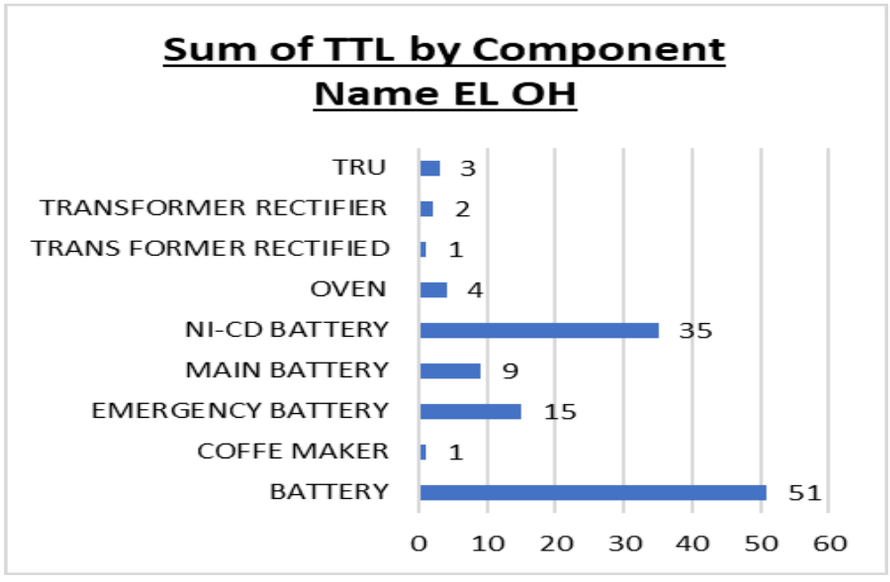
Sum of TTL by Component Name EL OH
TRU 3
TRANSFORMER RECTIFIER 2
TRANS FORMER RECTIFIED 1
OVEN 4
NI-CD BATTERY 35
MAIN BATTERY 9
EMERGENCY BATTERY 15
COFFE MAKER 1
BATTERY 51
0 10 20 30 40 50 60

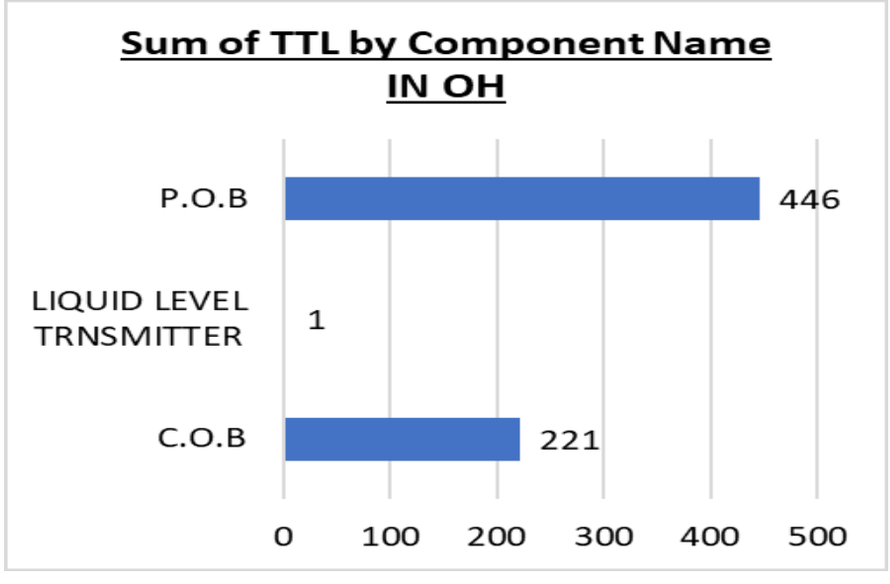
Sum of TTL by Component Name IN OH
P.O.B 446
LIQUID LEVEL TRNSMITTER 1
C.O.B 221
0 100 200 300 400 500

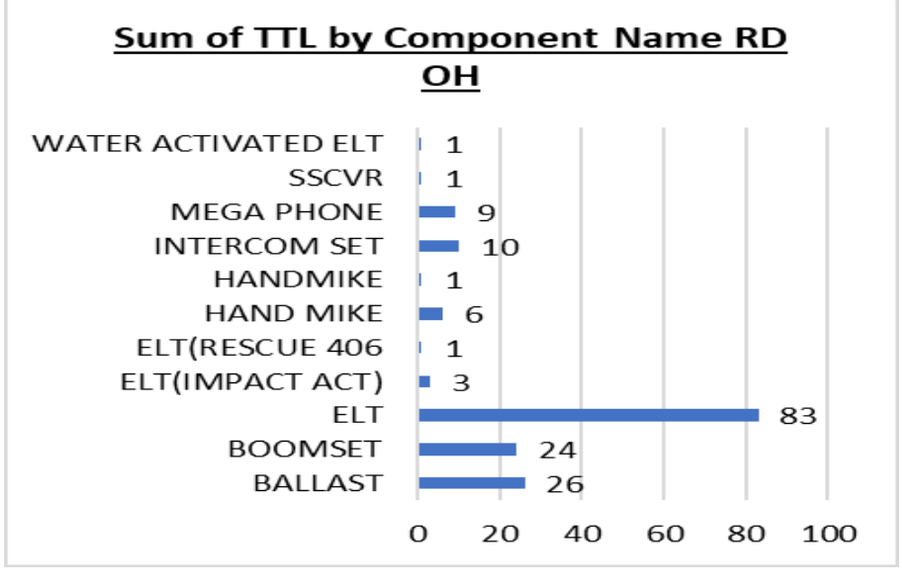
Sum of TTL by Component Name RD OH
WATER ACTIVATED ELT 1
SSCVR 1
MEGA PHONE 9
INTERCOM SET 10
HANDMIKE 1
HAND MIKE 6
ELT(RESCUE 406 1
ELT(IMPACT ACT) 3
ELT 83
BOOMSET 24
BALLAST 26
0 20 40 60 80 100

ख) भविष्य की योजनाएँ :

➢ **बी737 (एनजी और मैक्स) और ए321 नियो के लिए हैदराबाद की क्षमता वृद्धि (लाइन रखरखाव और बेस रखरखाव दोनों)**

बी737 (एनजी–मैक्स) और ए321 नियो के लिए हैदराबाद एमआरओ और एलएम की क्षमता वृद्धि अंतिम चरण में है। इन संवर्द्धनों का विवरण इस प्रकार है

(i) आधार रखरखाव

➢ **बी737–700 / 800 / 900 (सीएफएम 56)**

48000एफएच या 50000एफसी या 12 वार्षिक तक एमपीडी कार्य जिसमें संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है

➢ **बी737–7 / 8 / 9 जिसमें 8200 (सीएफएम लीप –1बी) शामिल है**

15000एफएच या 5500एफसी या 36 महीने तक एमपीडी कार्य जिसमें संषोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है

➢ **ए321 (सीएफएम लीप–1ए)**

18000एफएच या 14400एफसी या 6 वर्ष (72 महीने) तक एमपीडी कार्य जिसमें संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत के साथ आउट ऑफ फेज निरीक्षण (ओओपीएस) शामिल है।

(ii) लाइन रखरखाव

➢ **बी737–7 / 8 / 8200 / 9 (सीएफएम लीप –1बी)**

12000एफएच / 5500एफसी / 36 महीने तक एमपीडी कार्य जिसमें संशोधन और संरचनात्मक निरीक्षण शामिल है

इन क्षमता संवर्द्धनों से एआईईएसएल को राजस्व के मामले में महत्वपूर्ण मूल्य प्राप्त होगा और यह भारत में एमआरओ उद्योग में बढ़ते कार्यभार को पूरा करते हुए बड़ी संख्या में ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम होगा।

VII. कोलकाता बेस (पूर्वी क्षेत्र) : वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. लाइन अनुरक्षण:

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एयरबस उड़ानों (एआई) का प्रमाणन:

- कोलकाता में प्रीफ्लाइट – 4332
- ले–ओवर निरीक्षण – 546
- साप्ताहिक निरीक्षण – 275
- 400एफएच निरीक्षण – 23
- नाइट हॉल्ट निरीक्षण – 783
- बाहरी स्टेशनों पर प्रीफ्लाइट (घरेलू) – 7039
- बाहरी स्टेशनों पर प्रीफ्लाइट / ट्रांजिट चेक (अंतरराष्ट्रीय) – 1309

➢ बेस पर वाइड बॉडी (एआई) विमान का प्रमाणन :

- प्रीफ्लाइट – 11

➢ बेस और आउटस्टेशन पर बी737 (एआईएक्स) विमान का प्रमाणन :

- कोलकाता में ट्रांजिट / प्रीफ्लाइट – 117
- कोलकाता में साप्ताहिक निरीक्षण – 05
- आउटस्टेशन पर ट्रांजिट /प्रीफ्लाइट – 867

➢ बेस और बाहरी स्टेशनों पर एटीआर उड़ानों का प्रमाणनः

- ट्रांजिट जांच – 8777
- नाइट हॉल्ट – 19
- ले–ओवर निरीक्षण – 1150
- साप्ताहिक निरीक्षण – 227
- बीएसआई – 03
- 400एफएच जांच – 09

➢ ग्राहक एयरलाइंस को प्रदान किया गया तकनीकी प्रमाणनः

मैसर्स एयर विस्तारा, मेसर्स एयर एशिया, मेसर्स कतर, मेसर्स बिमान बांग्लादेश, मेसर्स सिंगापुर एयरलाइंस मेसर्स एयर एशिया बरहादके क्लाइंट एयरलाइंस विमान (ए320 परिवार विमान) का इंजीनियरिंग पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों और कोलकाता में प्रमाणन प्रदान किया गया है।

ख. बेस अनुरक्षण पर प्रमुख जांच गतिविधि :

➢ बेस मेंटेनेंस, कोलकाता में, वर्ष 2023–24 के दौरान ए–320 बेडा विमानों, बी–737 और एटीआर42/72 विमानों पर किए गए चेकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष 2023–24 में बेस मेंटेनेंस, पूर्वी क्षेत्र में ए320 बेडा (प्रमुख जाँच):

- ए–चेक – 37
- 3ए–चेक – 03
- 2ए–चेक – 18
- 4ए–चेक – 05
- सी1+सी2 – 01
- पैकेज (पी1 –पी31) – 08
- पैकेज (बी1 /बी2) – 04
- ब्रिज कार्य – 02
- एआईएल कार्य – 08
- एआरसी – 04
- बीएसआई – 20
- इंजन परिवर्तन – 14

वर्ष 2023–24 में बेस मेंटेनेंस, पूर्वी क्षेत्र में एटीआर 42/72 (प्रमुख जांच)

1) 1ए से 10ए चेक – 16
2) सी चेक – 01
3) वार्षिक चेक – 17
4) 4आर2/4आर4 चेक – 04
5) 4000एफएच चेक – 02
6) 5000एफएच चेक – 03

7)	10000एफएच चेक	–	01
8)	400एफएच चेक	–	03
9)	एआरसी	–	01
10)	बीएसआई	–	20
11)	इंजन परिवर्तन	–	06
12)	लेओवर चेक	–	04
13)	साप्ताहिक चेक	–	04
14)	लैंडिंग गियर परिवर्तन	–	01

वर्ष 2023–24 में बेस मेंटेनेंस, पूर्वी क्षेत्र में बी737 मैक्स (प्रमुख जाँच)

1) ए चेक – 01

2) 500एफएच चेक– 01

ग. एआईईएसएल ने निम्न द्वारा राजस्व अर्जित किया :

i. ईटीएस कोलकाता में बाहरी एजेंसियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

ii. भारतीय वायुसेना को एपीयू सेवा और घटक प्रदान करना।

घ. ओवरहाल शॉप का उत्पादन : ओवरहाल शॉप एआईईएसएल, पूर्वी क्षेत्र में सेवित घटकों की संख्या इस प्रकार है :

i.	एयरफ्रेम एक्सेसरी ओवर हाल शॉप		
	विमान घटक	–	289
	लाइफ जैकेट	–	2665
ii.	एपीयू और इंजन ओवरहाल शॉप		
	उत्पादित एपीयू की संख्या	–	11
iii.	इलेक्ट्रिकल ओवरहाल शॉप	–	194
iv.	इंस्ट्रूमेंट ओवरहाल शॉप		
	विमान घटक	–	457
	(डेटा रूपांतरण/रीडआउट आदि सहित)		
	कैलीब्रेशन की संख्या	–	1515
v.	रेडियो ओवरहाल शॉप	–	296

वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधि क्षेत्र में क्षमता में वृद्धि हुई :

1. बेस रखरखाव :

क) एटीआर 42–500 (पीडब्ल्यूसी पीडब्लू120) 4सी चेक /36000 एफसी / 15 वार्षिक एमपीडी कार्य और गुणक तक, जिसमें चरण से बाहर का कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है।

ख) बी737–700/800/900 (सीएफएम56) 48000 एफएच/36000 एफसी/12 वार्षिक एमपीडी कार्य और गुणक तक जिसमें चरण से बाहर के कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल हैं।

ग) बी737–7/8/9 जिसमें 8200 (सीएफएम लीप–1बी) 15000 एफएच/5500 एफसी/3 वार्षिक एमपीडी कार्य और गुणक तक जिसमें चरण से बाहर के कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल हैं।

2. लाइन रखरखाव :

क) एटीआर 42–500/600 (पीडब्ल्यूसी पीडब्लू120) : ए चेक और इसके गुणक, एमपीडी कार्य 5000 एफएच/5000 एफसी/2 वार्षिक तक जिसमें चरण से बाहर के कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है।

ख) बी737–700/800/900 (सीएफएम56) : 15000 एफएच/5500 एफसी/ महीने तक एमपीडी कार्य और गुणक, जिसमें चरण से बाहर के कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है।

ग) 8200 (सीएफएम लीप–1बी) सहित बी737–7/8/9: 15000 एफएच/5500 एफसी/36 महीने तक एमपीडी कार्य और गुणक जिसमें चरण से बाहर के कार्य, संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत शामिल है।

3. एपीयू शॉप :

क) हनीवेल एपीयू 131–9ए ऑयल कूलर (पी/एन : 160494–1) ओवरहाल और परीक्षण (स्तर 2)

4. बैटरी शॉप :

क) एयरक्राफ्ट बैटरी (पी/एनः 505सीएच2, 2726सीएच1, 024147–000, 40178–24, 416526/285सीएच) ओवरहाल, मरम्मत, निरीक्षण, संशोधन, परीक्षण (स्तर–3)।

5. एयरफ्रेम शॉप :

क हनीवेल हीट एक्सचेंजर (पी/एनः 2340356 सीरीज) – सफाई, निरीक्षण और परीक्षण (स्तर–2)।

VIII. विदेशी प्रचालन

क. काठमांडू

एआईईएसएल काठमांडू में अपने शाखा कार्यालय के माध्यम से एअर इंडिया लिमिटेड और टाटा एसआईए को उनके ए320 बेड़े के लिए लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान कर रहा है। एआईईएसएल का पहले से ही टर्मिनल भवन में एक कार्यालय है और लाइन रखरखाव के सुचारू संचालन के लिए एयरसाइड पर स्थल के लिए मेसर्स बुद्धा एयर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रारंभ में, हमारे पास ए320 की क्षमता है और बी737 बेड़े के लाइन रखरखाव को पूरा करने की व्यापक संभावना है। ओमान एयर और एयर एशिया पहले ही लाइन रखरखाव के लिए हममें अपनी रुचि दिखा चुके हैं। वर्तमान में एआईईएसएल प्रति सप्ताह लगभग 39 उड़ानों की हैंडलिंग कर रहा है।

हमने कराधान और अन्य वित्तीय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काठमांडू में एक सलाहकार को भी नियुक्त किया है।

ख. सैफजोन

एआईएएसएल ने एआई और एआईएक्स विमानों को लाइन अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2017 में शारजाह (एसएचजे) में अपना शाखा कार्यालय स्थापित किया है। इसके अलावा, एआईईएसएल ने दुबई और रास–एएल खैमा में अपने फ्लाइट हैंडलिंग ऑपरेशन का विस्तार किया है। एआईईएसएल यूएई अपने संचालन के दूसरे वर्ष में लाभदायक हो गया है।

माले में संभावित व्यवसाय के आधार पर, एआईईएसएल लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए माले (मालदीव) में एक शाखा कार्यालय खोलने की भी योजना बना रहा है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग (राभा), द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सभी विभागों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

एआईईएसएल द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

10. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

सरकार के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति लागू की गई थी।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सभी चार क्षेत्रों और निगमित कार्यालय में नोडल अधिकारियों/सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या : 34
- वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या : 34
- वित्त वर्ष के अंत तक लंबित आरटीआई आवेदनों की संख्या : शून्य

12. कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी में अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समय–समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति को रखा गया है। अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न के मामलों, यदि कोई हो, का विवरण निम्नानुसार है:

- वर्ष में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्याः 01
- वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्याः 01
- नब्बे से अधिक दिनों तक लंबित मामलों की संख्याः शून्य
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्याः 06
- कंपनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय : विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कर्मचारियों को अधिनियम और नीतियों के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जागरूक किया गया।

13. एमएसएमई अनुपालन

एआईईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाए। एआईईएसएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 2580.20 लाख रुपये थी।

14. प्रबंधन

14.1 निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के निदेशकों के गठन के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र	निदेशक (01–03–2023 से 01–01–2024 तक अध्यक्ष के रूप में चयनित)	02-02-2017	01-01-2024
2.	****श्री असंगबा चुबा आओ	निदेशक (01–01–2024 से अध्यक्ष के रूप में चयनित)	01-01-2024	--
3.	श्री पदम लाल नेगी	निदेशक	18-01-2023	--
4.	*श्रीमती. परमा सेन	महिला निदेशक	11-02-2022	12-12-2023
5.	*श्री राहुल जैन	निदेशक	12-12-2023	14-05-2024
6.	***श्रीमती नयोनिका दत्ता	महिला निदेशक	12-02-2024	--

* नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 12–12–2023 के अनुसरण में, श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (जेएस), डीआईपीएएम, को एआईईएसएल के बोर्ड में दिनांक 12–12–2023 से श्रीमती परमा सेन के स्थान पर नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्रीमती परमा सेन दिनांक 12–12–2023 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के पद से हट गई हैं। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से संदर्भ संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/02/2023–24 दिनांक 13–12–2023 को श्री राहुल जैन को एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में 12–12–2023 से नियुक्त किया था और दिनांक 13–12–2023 को अपेक्षित संकल्प पारित किया गया।

** इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 02–02–2024 के तहत श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव (जेएस), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01–01–2024 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर एआईईएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, दिनांक 01–01–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के पद से हट गए। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने अपने संचलन द्वारा संकल्प संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/03/2023–24 दिनांक 07–02–2024 के माध्यम से श्री असंगबा चुबा आओ को दिनांक 01–01–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से किसी भी अगले निर्देश तक दिनांक 07–02–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया था।

*** इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 08–02–2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में, एआईएएचएल और एआईईएसएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक की आवश्यकता पर विचार करते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड के कामकाज के लिए कोरम उपलब्ध है, एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और एआईईएसएल के बोर्ड में नीचे दिया गया परिवर्तन हुआ :

श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक, एमओसीए को दिनांक 12–02–2024 (अर्थात जिस तिथि को उन्होंने अपना निदेशक पहचान संख्या प्राप्त कियां) से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

****इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08–02–2024 और दिनांक 26–02–2024 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 14–05–2024 के अनुसार, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री राहुल जैन 14–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गए हैं। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने संदर्भ संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/01/2024–25 दिनांक 27–05–2024 के अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से श्री शोभित गुप्ता को 25–05–2024 से और डॉ. आलोक पांडे को दिनांक 16–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया था (अर्थात जिस तारीख से उन्होंने अपने संबंधित निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की है) और दिनांक 27–05–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही, श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी–एआईएएचएल होने के नाते, दिनांक 14–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पद रखते हैं और एमओसीए/एआईएएचएल से किसी भी आगे के संचार तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहेंगे।

*****इसके अलावा, नागर विमानान मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी आदेश फाइल संख्या ए.वी.17015/02/2015–एआई दिनांक 11–03–2025 के अनुसार, श्री अमित कुमार को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्थात 30.06.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

श्री अमित कुमार, सीएमडी–एआईएएचएल को एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के बोर्ड में उनकी पदेन क्षमता में नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 13–03–2025 अर्थात जिस दिन से उन्होंने अपना निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त किया और श्री असंगबा चुबा एओ 11–03–2025 से कंपनी के बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए।

बोर्ड ने श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा और श्री असंगबा चुबा एओ द्वारा अपने–अपने कार्यकाल में अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती परमा सेन और श्री राहुल जैन द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में नामित निदेशकों के रूप में प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

क.सं	नाम	पदनाम	नियक्ति की तिथि	पदमुक्त होने की तिथि
1	श्री शरद अग्रवाल	सी ई ओ	01-05-2022	-
2	श्री राकेश कुमार जैन	सी एफ ओ	20-05-2022	-
3	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव	09-11-2021	-

14.2 निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014, डीपीई (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देश 2010 के प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार छूट प्रदान की गई। बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	84वीं	09-06-2023	3	3
2.	85वीं	05-09-2023	3	2
3.	86वी	04-12-2023	3	2
4.	87वीं	20-12-2023	3	2
5.	88वीं	11-03-2024	4	3

14.3 बोर्ड समितियाँ:

कंपनी के बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं:

क) लेखापरीक्षा समिति

ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

क. लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति का गठन मूल रूप से संदर्भ शर्तों को अपनाने वाले निदेशक मंडल की स्वीकृति से मार्च 2016 में किया गया था और होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन होने पर समय समय पर इसका पुनर्गठित किया गया था। इसके अलावा, नागर विमानान मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर जारी किए गए अपने कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था और परिणामस्वरूप बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ लेखापरीक्षा समिति का भी पुनर्गठन किया था।

समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2024 को, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

ख. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुपालन में, बोर्ड ने मूल रूप से 08–11–2019 को एक सीएसआर समिति का गठन किया। हालाँकि, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय

ज्ञापनों द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद, एआईईएसएल के बोर्ड ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का भी पुनर्गठन किया।

समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2024 को, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति से संबंधित अन्य विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14.4 निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति

नियुक्ति नीतिः

एआईईएसएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद–96 के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम नहीं और पंद्रह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो यह निर्धारित करेंगे कि वे निदेशक कितने समय के लिए पद धारण करेंगे और उन्हें हटा सकते हैं और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सकते हैं और किसी भी रिक्ति को भर सकते हैं।

पारिश्रमिक नीतिः

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, कंपनी के निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में धारा–197, सरकारी कंपनी होने के कारण एआईईएसएल पर लागू नहीं होती है। कंपनी के निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। केएमपी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन वार्षिक रिटर्न में किया गया है।

14.5 निष्पादन मूल्यांकन

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन और इसकी समितियों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को प्रस्तुत करने वाला विवरण और सरकारी कंपनी होने के कारण व्यक्तिगत निदेशक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14.6 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि :

क. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) का अनुसरण किया गया है और इसमें वास्तविक विचलन के बार में उचित स्पष्टीकरण भी है।

ख. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे कंपनी के क्रियाकलापों और समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

ग. निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड.. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ई) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य कर रहीं थीं।

14.7 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन; अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा; धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना; लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता; और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप है।

कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की प्रणालियाँ और प्रथाएँ कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति से मेल खाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिजाइन की गई हैं।

इसके अलावा, कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि सभी क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित की जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

14.8 धोखाधड़ी के संबंध में प्रकटीकरण

लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

15. धारा 149(6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा का विवरण

यह प्रावधान लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

इसके अलावा, एआईईएसएल एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 5 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार, असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट दी गई है।

16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रभावित महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्ध ताओं का विवरण

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं हुई।

17. सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से संबंधित प्रकटन

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनी नहीं है।

18. जमा राशियों का विवरण

कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 76 के प्रावधानों के साथ कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के अंतर्गत कवर किया गया है।

19. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

ऋण, गारंटी और निवेश, यदि कोई हो, का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

20. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ के आधार पर थे।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निर्दिष्ट सीमाओं तक एमआरओ से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) और अन्य समूह कंपनियों (एएएएल, एआईएएसएल और एचसीआई) के साथ लेनदेन करने के लिए ऑडिट कमेटी और बोर्ड की सर्वव्यापी मंजूरी ली गई थी। फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी के निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता था।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर के लिए प्रावधान उस कंपनी के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक के दौरान हो। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 91.00 मिलियन रुपये खर्च किए हैं (जिसमें से 2,600 रुपये वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित थे, क्योंकि 2,576.87 रुपये अनजाने में लाखों में पूर्णांकित होने के कारण खर्च नहीं किए गए थे और ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय इसे खर्च न किए गए व्यय के रूप में माना गया था) यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देकर, अर्थात बोर्ड की मंजूरी के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत है। इसे कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

22. कर्मचारियों और औद्योगिक संबंधों का विवरण

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण थे,

विभिन्न श्रेणियों के तहत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

- कार्यपालक : 443
- कर्मचारी : 4874
- कुल : 5317
- उपरोक्त में से तकनीकी कार्मिक : 4330
- अन्य सहायक कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : शून्य
- अन्य कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी : शून्य

23. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और आउटगो

(क) ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण: आपकी कंपनी ने ऊर्जा के गैर–नवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सभी प्रयास किए हैं।

- एआईईएसएल ने गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से मुंबई और दिल्ली में अपने हैंगरों में एलईडी लाइटिंग का प्रयोग किया है।

- एआईईएसएल ने गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से दिल्ली में अपने जेट इंजन ओवरहाल कॉम्प्लेक्स में एलईडी लाइटिंग स्थापित की है।

- एआईईएसएल ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के उद्देश्य से नागपुर में अपनी एमआरओ सुविधा में सौर पैनल स्थापित किए हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत स्ट्रीटलाइट्स के लिए स्वच्छ ऊर्जा और शौचालयों के लिए गर्म पानी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आय और आउटगो में अंतर

विवरण	राशि (रूपए)
आय	979.58 मिलियन
आउटगो	2147.71 मिलियन

24. जोखिम प्रबंधन

कंपनी से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने की दृष्टि से एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई थी और इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 06–01–2022 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक *https://www.aiesl.in/RiskManagementPolicy.aspx*

हम समझते हैं कि विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र अपनी गतिशील और अनिश्चित प्रकृति के कारण काफी चुनौतीपूर्ण है। हमारा प्राथमिक ध्यान सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने पर है। हम परिचालन सुरक्षा बनाए रखने, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और अपने हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए संभावित जोखिमों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

हम विमानन एमआरओ उद्योग में एक विश्वसनीय नेता के रूप में अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए समर्पित हैं। जोखिम स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि जोखिम वर्तमान, पूर्ण हों और नियोजन, प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं में शामिल हों। वे पूर्वानुमान परिणामों में संभावित भिन्नताओं का मूल्यांकन करते हैं और शमन उपायों के माध्यम से जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन करते हैं। एआईईएसएल ने सक्रिय उपायों और रणनीतिक पहलों के माध्यम से विभिन्न जोखिमों को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है।

एआईईएसएल का व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि सभी संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। सक्रिय उपायों, विनियामक अनुपालन और रणनीतिक विपणन प्रयासों के माध्यम से, एआईईएसएल जोखिमों को कम करने और सतत विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

हम जोखिम प्रबंधन के उच्च मानकों को बनाए रखने में समर्थन के लिए अपनी समर्पित दल और हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

25. नियामकों के महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों या अदालतों या अधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान भविष्य में चल वर्तमान स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

26. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

वास्तविक चिंता संबंधी रिपोर्ट हेतु निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित धारा 177(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, होल्डिंग कंपनी का सतर्कता विभाग अर्थात एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एआईईएसएल सहित एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के सतर्कता कार्य करता है।

27. लेखापरीक्षक

संविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मैसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं, और आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर/टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स एस.एन कपूर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया था।

28. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई हैं। हालाँकि, प्राप्त होने पर, और उस पर प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हों, को वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाएगा।

29. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों को आपकी कंपनी द्वारा लागू सीमा तक अनुपालित किया गया था।

30. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

31. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय एकमुश्त निपटान और मूल्यांकन पर मूल्यांकन राशि के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का एकमुश्त निपटान नहीं किया गया है।

32. रिपोर्ट के अनुबंधः

निम्नलिखित प्रमाणपत्र/रिपोर्ट आदि संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैंः

क. प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विस्तृत प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **'अनुलग्नक–क'** के रूप में संलग्न है।

ख. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **'अनुलग्नक–ख'** के रूप में संलग्न है।

ग. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, दिनांक 31–03–2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट *https://www.aiesl.in/AnnualReturn.aspx* पर उपलब्ध है।

घ. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरणः

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन, होल्डिंग कंपनी और अन्य समूह कंपनियों के साथ थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में अनुमोदित थे। संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी–2 में इस रिपोर्ट के साथ '**अनुलग्नक–ग**' के रूप में संलग्न है।

ड. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और सीएफओ द्वारा सीएसआर उपयोग प्रमाणपत्र क्रमशः 'अनुलग्नक–घ', 'अनुलग्नक–ड.' और 'अनुलग्नक–ड.–1' के रूप में संलग्न है।

33. आभारोक्ति

बोर्ड, वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक और विभिन्न अन्य एजेंसियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए निष्ठापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मंडल इस अवसर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों के निरंतर समर्थन और योगदान की सराहना करता है। निदेशक मंडल भी इस अवसर पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए अपना आभार और निष्ठापूर्ण धन्यवाद व्यक्त करता है। निदेशक मंडल आपके विश्वास और निरंतर समर्थन को स्वीकार करता है और भविष्य में भी इसकी कामना करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन : 11001643

दिनांक:14.05.2025
स्थान : नई दिल्ली

'अनुबंध – क'

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणः

राजस्व

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अर्जित कुल राजस्व, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2044.78 करोड़ रुपये की तुलना में 2180.35 करोड़ रुपये था, यानी लगभग 135.57 करोड़ रुपये (7.00 प्रतिशत) की वृद्धि।

व्यय

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष के 1418.81 करोड़ रुपये (पुनः घोषित) की तुलना में 1552.45 करोड़ रुपये था, यानी लगभग 133.64 करोड़ रुपये (9.00 प्रतिशत) की वृद्धि।

उद्योग विश्लेषण

अवलोकन

भारतीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग, विमानन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो विमानों की उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। भारत में विमानन उद्योग के तेजी से विस्तार के साथ, एमआरओ क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालांकि, इसे कल–पुर्जों पर उच्च आयात शुल्क, सीमित बुनियादी ढांचे और वैश्विक एमआरओ हब से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

बाजार का आकार और वृद्धि

- **बाजार का आकार (2023)** : वर्ष 2023 में भारतीय एमआरओ बाजार का मूल्य लगभग 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
- **अनुमानित वृद्धि** : वर्ष 2030 तक बाजार के 10 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 4.33 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- **बेड़े में वृद्धि** : भारत के वाणिज्यिक विमान बेड़े के वर्ष 2023 में लगभग 700 विमानों से बढ़कर 2030 तक 1,200 से अधिक होने की संभावना है।

मुख्य चालक

- **बढ़ता हवाई यातायात** : बढ़ते यात्री यातायात और कार्गो संचलन ने एमआरओ सेवाओं की मांग को बढ़ावा दिया है।
- **बेड़े का विस्तार** : प्रमुख एयरलाइनें अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं, जिसके लिए अधिक रखरखाव और ओवरहाल सेवाओं की आवश्यकता है।
- **सरकारी पहल** : उड़ान योजना और राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) 2016 जैसी नीतियाँ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देती हैं और एमआरओ उद्योग का सहयोग प्रदान करती हैं।
- **लागत लाभ** : वैश्विक एमआरओ हब की तुलना में भारत में कम श्रम लागत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है।

चुनौतियाँ

- **उच्च कराधान** :कल–पुर्जों और उपकरणों पर आयात शुल्क 18 प्रतिशत तक हो सकता है, जिससे भारत में परिचालन महंगा हो जाता है।
- **बुनियादी ढाँचा** : सिंगापुर और दुबई जैसे स्थापित वैश्विक हब की तुलना में सीमित एमआरओ अवसंरचना और सुविधाएँ।

- **विनियामक बाधाएँ** : जटिल विनियामक आवश्यकताएँ परिचालन में देरी कर सकती हैं और लागत बढ़ा सकती हैं।
- **कुशल कार्यबल** : कुशल एमआरओ पेशेवरों की कमी सेवा की गुणवत्ता और दक्षता में बाधा डाल सकती है।

हाल के घटनाक्रम

- **नीति सुधार** : भारतीय सरकार ने भारतीय एमआरओ सेवाओं को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अप्रैल 2021 से एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया।
- **बुनियादी ढांचे का विस्तार** : बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में नई एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
- **तकनीकी उन्नति** : दक्षता बढ़ाने और डाउनटाइम को कम करने के लिए पूर्वानुमानित रखरखाव, आईओटी और एआई जैसी डिजिटल तकनीकों को अपनाना।

भविष्य का दृष्टिकोण

- **निवेश के अवसर** : अनुकूल नीतियों और बढ़ती बाजार क्षमता के कारण एमआरओ क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि।
- **तकनीकी एकीकरण** : सेवा पेशकश और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का अधिक एकीकरण।
- **स्थिरता पर ध्यान** : वैश्विक पर्यावरण मानकों को पूरा करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टिकाऊ पद्धतियों और हरित प्रौद्योगिकियों पर जोर।

विमान एमआरओ

व्यावसायिक सेवाओं के संवर्धन में विकास के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) बाजार में आगामी अवधि में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र को स्पेयर पार्ट्स के लिए एक विनिर्माण केंद्र माना जाता है, जो कि अपनी लागत–कुशलता के कारण इनकी आपूर्ति अन्य देशों को करता है, इस प्रकार, अनुरक्षण, मरम्मत और प्रचालन (एमआरओ) उद्योग के विकास को काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण विनिर्माण कार्यों के भीतर उपकरणों और सेवाओं के मानकीकरण के कारण, इस बाजार में महत्वपूर्ण मांग बढने की संभावना है। उद्योग रिपोर्ट, भारत की पहचान दुनिया के सातवें सबसे बड़े नागर विमानन बाजार के रूप में करती है। यह 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है, जो भारत में एमआरओ सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार की संभावनाओं को दर्शाताहै। भारत में लगभग 90 प्रतिशत एमआरओ आवश्यकताओं को वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत का स्वदेशी एमआरओ क्षेत्र एक प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है। इस क्षेत्र के विकास को मुख्य रूप से बढ़ते विमानन उद्योग (लगभग 90,000 नौकरियों के सृजन और लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत) की उम्मीद है। विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं की प्रमाणित विस्तार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर न हो जाए।

बाजार के रुझान

भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 5.6 प्रतिशत की अनुमानित वैश्विक सीएजीआर की तुलना में 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश के केवल अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। यह वार्षिक रूप से 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच संबंधी मांग में अंतरित होता है। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की

संभावनाएं बनती है। भारत एक बड़ा रक्षा विमान बाजार बनने की ओर भी अग्रसर है, जिससे सैन्य एमआरओ क्षमताओं की मांग भी बढ़ रही है।

विमानन उद्योग के दृष्टिकोण से, तीन मुख्य उपाय एमआरओ क्षेत्र के सतत विकास को अग्रसर करने में अत्यधिक योगदान देंगें:

देश में एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने में अग्रणी बनकर एमआरओ इंटीग्रेटर्स बनना। इसके अलावा, एमआरओ पक्ष, मजबूत एमआरओ अवसंरचना स्थापित करने के लिए विमान ओईएम और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ संबंधों का लाभ उठा सकते हैं।

अमेरिका के फेडरल एविएशन एजेंसी और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के नियमों का पालन करें। यह उद्योग में नए लोगों के प्रवेश सुलभ बनाएगा और प्रतिभा की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

महामारी के कारण वैश्विक विमानन क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालने के बावजूद, हाल के सप्ताहों में आकाश क्षेत्र के खुलने से एयरलाइन क्षेत्र को आशा मिली है। उद्योग एक स्थिर पुनरुद्धार के प्रति आशावान है।

इस सेक्टर के खुलने के साथ, वैश्विक वाणिज्यिक विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) बाजार के लिए उम्मीद बनी हुई है, जो कि अधिकांश एमआरओ गतिविधियों को ठंडे बस्ते में डालने वाले विमानों और एयरलाइनों के ग्राउंडिंग से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

उद्योग के सूत्रों ने अब संकेत दिया है कि वैश्विक एमआरओ सेक्टर, वर्ष 2022 से वर्ष 2029 तक सात साल की अवधि में 6 प्रतिशत की दर से एक स्थिर विस्तार दर्ज करना चाहता है, वैश्विक स्तर पर और भारत में इस सेक्टर के लगभग 8.9 प्रतिशत से भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

पिछले एक दशक में, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में विकसित अत्याधुनिक विमानन अवसंरचना में दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख पक्ष के रूप में उभरा है।

सिंगापुर के एमआरओ पक्षों ने पिछले कुछ वर्षों में स्वयं को उद्योग में प्रमुख पक्षों के रूप में स्थापित किया है और न्यूनतम प्रभाव के साथ कोविड–19 के परिणामों को कम करने में सफल रहे हैं। इस उद्योग में सिंगापुर की सफलता के बाद, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों के पक्ष, सिंगापुर के पक्ष की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एमआरओ क्षमताओं का भी विकास कर रहे हैं।

वर्तमान में सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशिया में विमान एमआरओ बाजार का नेतृत्व कर रहा है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के विकास में विमानन क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद, सिंगापुर पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होने वाले विमानन बाजारों में से एक बना है, जो देश में पर्यटकों की भारी वृद्धि और बढ़ती व्यापार यात्रा से प्रेरित है। भारत को भी घरेलू एमआरओ क्षेत्र पर जोर दते हुए इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

पिछले बीस वर्षों में भारतीय विमानन क्षेत्र के तेजी से बढ़ने के बावजूद, भारत में विभिन्न कारणों से उचित एमआरओ सुविधाओं का अभाव है, सबसे महत्वपूर्ण भारत में एमआरओ सेवाओं के प्रावधान पर लगाए गए उच्च कर हैं। भारतीय एमआरओ का 90 प्रतिशत कार्य, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका और अन्य देशों को आउटसोर्स किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत के लिए भारतीय एमआरओ में प्रतिस्पर्धा है।

यह स्थिर वृद्धि, भारत में एमआरओ सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण विस्तार की संभावना को उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र की वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ते विमानन उद्योग द्वारा संचालित होगी। विश्लेषकों का कहना है, कि ''विदेशी एमआरओ पर निर्भरता तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि घरेलू एमआरओ उद्योग आकार और सेवाओं के प्रमाणित विस्तार के मामले में अपने विदेशी समकक्षों के बराबर नहीं पहुंच जाता''।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय एमआरओ उद्योग का आकार वर्ष 2021 में 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसके वर्ष 2030 तक 4 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की संभावना है। वर्तमान में 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर के साथ, देश, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के वाणिज्यिक यात्री विमानों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनने की संभावना है। उद्योग का कहना है कि इससे वार्षिक स्तर पर 200–300 प्रमुख अनुरक्षण जांच की मांग उत्पन्न होगी। कई एयरलाइनों के बेड़े में पुराने विमानों को बदलने से भी एमआरओ के लिए पुनर्वितरण अनुबंधों को पूरा करने की संभावना बनती है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

भारतीय एमआरओ उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें विभिन्न पक्ष कीमत, गुणवत्ता और टर्नअराउंड समय जैसे कारकों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास तकनीकी लाभ है और वे व्यापक श्रेणी की सेवाएं देने में सक्षम हैं।

हालाँकि, घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों की तुलना में कई फायदे हैं, जिनमें शामिल हैं :

- भारतीय बाजार की बेहतर समझ
- भारतीय एयरलाइंस के साथ मजबूत संबंध
- कम श्रम लागत

भारत सरकार घरेलू एमआरओ उद्योग का समर्थन करती है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे वर्ष 2020 में एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

कुल मिलाकर, भारतीय एमआरओ उद्योग का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य गतिशील और विकसित हो रहा है। घरेलू पक्षों को विदेशी पक्षों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास कई फायदे हैं जो उन्हें प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकते हैं।

वर्तमान में, भारत सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका जैसे देशों को 90 प्रतिशत एमआरओ सेवाएं आउटसोर्स करता है। नागरिक और रक्षा विमानों की बढ़ती संख्या को पूरा करने और टर्नअराउंड समय को अनुकूलित करने के लिए देश में एक एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा, कई विमान के पुर्जे, विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित उपकरण खतरनाक सामान (डीजी) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे उत्पाद अनुरक्षण को भारत के भीतर रखने की आवश्यकता से देश में एमआरओ सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धी एमआरओ क्षेत्र से भारत को कई लाभ मिलेंगे। एयरलाइंस ईंधन और रसद लागत पर बचत करने और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सक्षम होंगी। भारतीय पट्टेदार वेट लीज पर प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने में सक्षम होंगे, जिससे विमान वित्तपोषण और पट्टे पर देने के देश के प्रयासों का समर्थन होगा। भारत गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विमान पट्टे पर देने और विमान वित्तपोषण को अधिसूचित करके इस क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अंत में, एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से नौकरी के अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एयर वर्क्स इंडिया (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड, डेक्कन चार्टर्स लिमिटेड, इंडैमर एविएशन प्रा. लिमिटेड, मैक्स एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड, ताज एयर, बर्ड एक्जीक्यूजेट और जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड सहित भारतीय एमआरओ बाजार में 8 प्रमुख पक्ष कार्य कर रहे हैं। इन 8 पक्षों के बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने और एआईईएसएल के पास कुल राजस्व का उच्चतम हिस्सा होने के कारण बाजार की प्रकृति केंद्रित हो गई है। इनमें से अधिकतर पक्ष, लाइन रखरखाव, भारी रखरखाव और घटक ओवरहाल प्रदान करते हैं। एआईईएसएल, भारत में पूर्ण विकसित इंजन ओवरहाल सुविधा प्रदान करने वाली एकमात्र कंपनी है। एआईईएसएल बाजार अग्रणी है, इसके बाद एयर वर्क्स का स्थान आता है, जिसका बाजार राजस्व के क्षेत्र में में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एयर वर्क्स की वैश्विक उपस्थिति है,हालांकि वह केवल भारत में एमआरओ सेवाएं प्रदान करता है।

विमान इंजन एमआरओ बाजार में प्रमुख पक्ष हैं – लुफ्थांसा टेक्निक, रोल्स–रॉयस होल्डिंग पीएलसी, रेथियॉन टेक्नोलॉजीस कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और सफरान एसए। प्रमुख इंजन एमआरओ प्रदाता, अपने इंजन एमआरओ ग्राहकों को विकसित करने के लिए लंबी अवधि की साझेदारी कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम बना रहे हैं। क्षेत्रीय जेट, जो आमतौर पर 150 से कम सीटों वाला एक छोटा विमान है, एक निश्चित क्षेत्र, देश या महाद्वीप के भीतर छोटी दूरी की उड़ानों की बढ़ती मांग को देख रहा है। उल्लेखनीय है कि, क्षेत्रीय विमानन वैश्विक स्तर पर वार्षिक हवाई यातायात के 700 बिलियन उपलब्ध सीट किलोमीटर को पार कर चुका है। क्षेत्रीय विमानन नेपिछले दो दशकों में सबसे मजबूत यातायात वृद्धि को दर्शाया है। यह अनुमान लगाया गया है कि टियर–2 और टियर–3 शहरों के उदय, शहरीकरण और मेट्रो शहरों से दूर आबादी के प्रवास के कारण कोविड–19 महामारी के बाद, क्षेत्रीय हवाईअड्डों और छोटे यात्री विमानों की अत्यधिक मांग होगी। इन कारकों के कारण, वाणिज्यिक विमान एमआरओ बाजार में क्षेत्रीय जेट खंड वर्ष 2027 तक लगभग 10 प्रतिशत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा।

इंजन एमआरओः

वर्ष 2024 में विमान इंजन एमआरओ बाजार का आकार 40.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और वर्ष 2029 तक 54.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पूर्वानुमान अवधि (2024–2029) के दौरान 6.37 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है। एशिया–प्रशांत ने पिछले दशक में कुल विमान बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने इंजन एमआरओ सेवाओं की मांग में वृद्धि की है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और यूरोप के कई एमआरओ सेवा प्रदाताओं ने इस क्षेत्र में अपनी रखरखाव सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, विदेशी रखरखाव लागत को कम करने के लिए, कई एयरलाइनों ने इन–हाउस क्षमताओं को विकसित करने के लिए इंजन एमआरओ सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है।

वैश्विक और एशिया–प्रशांत विमान इंजन एमआरओ बाजार की वृद्धि, वर्ष 2020 के बाद ग्राउंडेड विमानों के फिर से शुरू होने और विमान की अपेक्षित भावी डिलीवरी से प्रेरित है।

भारतीय एयरोस्पेस उद्योग दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एयरोस्पेस बाजारों में से एक है। छह दशकों के लंबे इतिहास के साथ, देश के पास वैश्विक मानकों के अनुरूप संसाधनों का एक उत्कृष्ट पूल विद्यमान है। भारत की उदारीकृत अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती है, जो निर्माण के साथ–साथ रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों को आउटसोर्स करती हैं। जबकि पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा अपेक्षित है कि इंजन अगले दशक में वाणिज्यिक जेट एमआरओ व्यवसाय का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहेगा, बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है और इसकी गतिशीलता अधिक जटिल होती जा रही है। एयरो–इंजन ओईएम ने एक दशक से अधिक समय से आफ्टरमार्केट को लक्षित किया है और एमआरओ व्यवसाय के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यह चलन जारी रहेगा और अन्य एमआरओ प्रदाताओं के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा।

वैश्विक विमान इंजन एमआरओ बाजार के प्रमुख पक्ष हैं – जीई एविएशन (यूएस), रोल्स–रॉयस (यूके), प्रैट एंड व्हिटनी (यूएस), लुफ्थांसा टेक्निक (जर्मनी), सफरान एयरक्राफ्ट इंजन (पेरिस), एसआईए इंजीनियरिंग कंपनी (सिंगापुर), एयर फ्रांस इंडस्ट्रीज केएलएम इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस (फ्रांस), एमटीयू एयरो इंजन (जर्मनी), एसटी एयरोस्पेस (सिंगापुर) और डेल्टा टेकऑप्स (यूएस)।

इंजन एमआरओ में ओईएम का वर्चस्वः

एयरो–इंजन निर्माताओं ने उपयोग–आधारित बिक्री, अर्थात उपलब्धता–आधारित अनुबंधों का उपयोग करके व्यवसाय मॉडल की पेशकश की है। इसने ओईएम को एमआरओ सेवा प्रदाताओं के निर्माताओं के रूप में अपने मुख्य व्यवसाय का विस्तार करने की अनुमति दी है। ओईएम एमआरओ अब एयरो–इंजन की सभी प्रचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप ग्राहकों से सेवा प्रदाता को जोखिम और अनिश्चितताएं स्थानांतरित हो जाती हैं। जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे कि वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी और

पूर्वानुमान के संबंध में संवर्धित सेंसर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। इस डेटा का उपयोग रखरखाव के शर्त–आधारित सिद्धांत से लाभ लेने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से, ओईएम ने आफ्टरमार्केट एमआरओ सेवा प्रावधान में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

भारतीय सैन्य एयरो–इंजन एमआरओ कैनवासः

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इंजन के क्षेत्र में एकमात्र वास्तविक भारतीय पक्ष है, जिसके इंजन डिवीजन का विभिन्न आयातित डिजाइनों के लाइसेंस–उत्पादन का लंबा इतिहास रहा है। बेड़े के प्रतिस्थापन कार्यक्रमों, आधुनिकीकरण रणनीति और भारतीय वायु सेना के विमान उन्नयन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा व्यय में वृद्धि के साथ, भारतीय सैन्य विमान इंजन बाजार वर्ष –दर–वर्ष बढ़ने की ओर अग्रसर है। निकट भविष्य में कुछ प्रमुख इंजन खरीद कार्यक्रम एवरो, एएन–32, एलसीए तेजस, एएमसीए के लिए होंगे और इनमें लगभग 3400 से 4000 इंजनों की खरीद शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सबसे बड़े हेलीकॉप्टर खरीद कार्यक्रमों की शुरुआत की है और उनकी आवश्यकताओं का उद्देश्य वर्ष 2027 के अंत तक हमले, उपयोगिता, बहु–भूमिका और एयरलिफ्ट प्लेटफार्मों सहित 1000 से अधिक रोटरी–विंग प्लेटफार्मों की खरीद के माध्यम से सैन्य हेलीकॉप्टर संपत्ति को मजबूत करना है।

अवसर और जोखिमः

आईएटीए के अनुसार, भारत के वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की उम्मीद है। त्वरित टीकाकरण अभियान, आर्थिक गतिविधियों की उच्च दर के साथ, जुलाई 2021 में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर भारत के घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि हुई है। जुलाई 2021 में, राजस्व यात्री किलोमीटर (आरपीके) की दृष्टि से भारत की घरेलू हवाई यात्री मात्रा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, जापान, रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख विमानन बाजारों में सबसे अधिक थी। जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 में देश में आरपीके की वृद्धि 123 प्रतिशत तक बढ़ी है। विमान मरम्मत सेवाओं और रखरखाव की मांग भी बढ़ेगी।

वर्ष 2021 में भारत के एमआरओ उद्योग का आकार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसके वर्ष 2031 तक 8.9 प्रतिशत सीएजीआर पर 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

चार एमआरओ उद्योग क्षेत्रों (एयरफ्रेम, इंजन, घटक और लाइन) में इंजन रखरखाव, सबसे आकर्षक क्षेत्र है और मूल्य की दृष्टि से इंजन और एयरफ्रेम की भागीदारी 50–55 प्रतिशत की है।

एमआरओ क्षेत्र की संभावनाएँ

भारत में एमआरओ क्षेत्र की संभावनाएँ :

भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है, जो नागर विमानन बाजार के विस्तार, सरकारी पहलों और विमान रखरखाव सेवाओं की बढ़ती माँग से प्रेरित है।

बाजार का आकार और वृद्धि

भारतीय एमआरओ उद्योग का मूल्य वर्ष 2021 में लगभग 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था और वर्ष 2031 तक 8.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर वर्ष 2031 तक लगभग 4.0 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, भारत का वार्षिक एमआरओ राजस्व वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 18 बिलियन अमरीकी डॉलर से तीन गुना बढ़कर 55–60 बिलियन अमरीकी डॉलर हो सकता है।

विकास के प्रमुख चालक

विमानन बाजार का विस्तार :

भारत वैश्विक स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार है और वर्ष 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा बनने की उम्मीद है। यह वृद्धि विमानों की बढ़ती संख्या का समर्थन करने के लिए एमआरओ सेवाओं की मांग को बढ़ाएगी।

देश में 1,000 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया गया है, जो इसे वाणिज्यिक यात्री विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बनाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख रखरखाव जांच की आवश्यकता बढ़ जाती है।

सरकारी पहल :

भारत सरकार ने एमआरओ सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिससे घरेलू एमआरओ क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

सेवाओं की ''आपूर्ति के स्थान'' की परिभाषा में संशोधन और लाभांश वितरण कर व्यवस्था को संरेखित करने जैसे नीतिगत सुधारों से विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कुशल श्रम को बनाए रखने के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है।

लागत और प्रतिभा लाभ :

भारत कम श्रम लागत और कुशल पेशेवरों के एक बड़े प्रतिभा पूल के कारण महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करता है। हालांकि, इनमें से कई पेशेवर वर्तमान में विदेश में काम करते हैं और उनके रिटर्न को प्रोत्साहित करना इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ और अवसर

जबकि भारतीय एमआरओ क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विदेशी एमआरओ सेवाओं पर निर्भरता कम करने, सामग्रियों और उपकरणों के आयात पर कर विसंगतियों को हल करने और घरेलू स्तर पर पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और क्षमताएँ विकसित करने की आवश्यकता शामिल है। इन मुद्दों को हल करना इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी ने हमेशा ऊर्जा बचत और प्रौद्योगिकी अवशोषण को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा से संबंधित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर के लिए प्रावधान उस कंपनी के लिए लागू किया जाना चाहिए, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए 91.00 मिलियन रुपये खर्च किए हैं (जिनमें से 2,600 रुपये वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित थे, क्योंकि 2,576.87 रुपये अनजाने में लाखों में पूर्णांकित होने के कारण खर्च नहीं किए गए थे और ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय इसे खर्च न किए गए व्यय के रूप में माना गया था) और इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान दिया है, अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी ने अपने व्यवसाय के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। इसके अलावा, मेसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सावधानी कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिए गए कथन भविष्योन्मुखी कथन हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण और उद्योग परिदृश्य तथा भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा, जहाँ भी उल्लेख किया गया है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी और विश्लेषण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और प्रबंधन द्वारा भरोसा किए जाने पर आधारित है। जो महत्वपूर्ण कारक स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बताए गए कथन में अंतर ला सकते हैं, उनमें आर्थिक स्थितियाँ, घरेलू और वैश्विक जैसे बाजार में कार्यरत माँग और आपूर्ति शक्तियाँ, कर कानून और अन्य कानूनों सहित समय–समय पर संशोधित सरकार की नीतियाँ, नियम और विनियमन और साथ ही व्यावसायिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाले अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन : 11001643

दिनांक:14.05.2025
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–ख

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन के कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी को अच्छे निगमित शासन पर पूरा विश्वास है और इसका लगातार पालन कर रही है। कंपनी की अनिवार्य प्रकृति पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित है। कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए प्रतिबध्द है। निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत इसके सभी प्रचालनों में पारदर्शिता, विवरण प्रस्तुत करना तथा कानून और विनियमों के अंतर्गत अंशधारकों की कीमत में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने समय–समय पर एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था। तदनुसार, दिनांक 31–03–2024 को बोर्ड की संरचना नीचे दी गई है :

क) 31 मार्च 2024 तक बोर्ड की संरचना

क्र.सं	निदेशक का नाम	पद नाम
1.	श्री असंगबा चुबा आओ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एवं संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष और नामिति निदेशक
2.	श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार (जेएस एंड एफए), नागर विमानन मंत्रालय	नामिति निदेशक
3.	श्री राहुल जैन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	नामिति निदेशक
4.	श्रीमती नयोनिका दत्ता, स्युक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामिति निदेशक (महिला निदेशक)

*नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 12–12–2023 के अनुसरण में, श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव (जेएस), डीआईपीएएम, को एआईईएसएल के बोर्ड में दिनांक 12–12–2023 से श्रीमती परमा सेन के स्थान पर नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्रीमती परमा सेन दिनांक 12–12–2023 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के पद से हट गई हैं। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से संदर्भ संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/02/2023–24 दिनांक 13–12–2023 को श्री राहुल जैन को एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में 12–12–2023 से नियुक्त किया था और दिनांक 13–12–2023 को अपेक्षित संकल्प पारित किया गया।

**इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 02–02–2024 के तहत श्री असंगबा चुबा एओ, संयुक्त सचिव (जेएस), नागर विमानन मंत्रालय को दिनांक 01–01–2024 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर एआईईएसएल के बोर्ड में नामित किया गया है। इसके मद्देनजर, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, दिनांक 01–01–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक और अध्यक्ष के पद से हट गए। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने अपने संचलन द्वारा संकल्प संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/03/2023–24 दिनांक 07–02–2024 के माध्यम से श्री असंगबा चुबा एओ को दिनांक 01–01–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से किसी भी अगले निर्देश तक दिनांक 07–02–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया था।

***इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 08–02–2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसरण में, और एआईईएसएल के साथ–साथ एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड के गठन के संबंध में, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक की आवश्यकता पर विचार करते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड के कामकाज के लिए कोरम उपलब्ध है, एआईएएचएल की सहायक कंपनियों के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और एआईईएसएल के बोर्ड में नीचे दिया गया परिवर्तन हुआ :

श्रीमती नयोनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक, मंत्रालय को दिनांक 12–02–2024 (अर्थात जिस तिथि को उन्होंने अपना निदेशक पहचान संख्या प्राप्त कियां) से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

****इसके बाद, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 26–02–2024 और दिनांक 08–02–2024 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फाइल संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 14–05–2024 के अनुसार, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री राहुल जैन 14–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड से नामित निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गए हैं। इसके अलावा, एआईईएसएल बोर्ड ने संदर्भ संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/01/2024–25 दिनांक 27–05–2024 के अपने संचलन प्रस्ताव के माध्यम से श्री शोभित गुप्ता को 25–05–2024 से और डॉ. आलोक पांडे को दिनांक 16–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक (निदेशकों) के रूप में नियुक्त किया था (अर्थात जिस तारीख से उन्होंने अपने संबंधित निदेशक पहचान संख्या प्राप्त की है) और दिनांक 27–05–2024 को अपेक्षित प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही, श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी–एआईएएचएल होने के नाते, दिनांक 14–05–2024 से एआईईएसएल के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में केवल एक पद रखते हैं और एमओसीए/एआईएएचएल से किसी भी आगे की सूचना तक बोर्ड और आम बैठकों के लिए कंपनी के बोर्ड में अपनी पदेन क्षमता में अध्यक्ष बने रहेंगे।

*****इसके अलावा, नागर विमानान मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार फाइल संख्या ए.वी. 17015/02/2015–एआई दिनांक 11–03–2025 के अनुसार, श्री अमित कुमार को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पदभार ग्रहण करने

की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्थात 30.06.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एआईईएसएल के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

श्री अमित कुमार, सीएमडी–एआईएएचएल को एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के बोर्ड में उनकी पदेन क्षमता में नामित निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनांक 13–03–2025 अर्थात जिस दिन से उन्होंने अपना निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त किया और श्री असंगबा चुबा एओ 11–03–2025 से कंपनी के बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए।

बोर्ड ने श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा और श्री असंगबा चुबा एओ द्वारा अपने–अपने कार्यकाल में अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती परमा सेन और श्री राहुल जैन द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में नामित निदेशकों के रूप में प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की।

वर्ष के दौरान, बोर्ड और शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष द्वारा की गई।

ख) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

एआईईएसएल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, इसके निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है।

नामांकित (अंशकालिक) निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

कंपनी के पास कंपनी के किसी भी निदेशक को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देने की नीति नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाने से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

कंपनी ने कोई स्टॉक विकल्प योजना शुरू नहीं की है।

ग) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

i) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की आठ बैठकें आयोजित की गईं:

क्र.सं	बैठक	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	84वीं	09-06-2023	3	3
2.	85वीं	05-09-2023	3	2
3.	86वीं	04-12-2023	3	2
4.	87वीं	19-12-2023	3	2
5.	88वीं	11-03-2024	4	3

ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–167(1)(ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

iii) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरणः

निदेशक	शैक्षिक योग्यता	वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या		पिछली एजीएम में शामिल हुए और आस्थगित एजीएम		अन्य कंपनियों का विवरण	
		आयोजित (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)	उपस्थिति हुए	21.12.2023	27.03.2024 (आस्थगित)	कंपनियों में निदेशक	समितियों में सदस्यता
श्री एस.के. मिश्रा, निदेशक (02–02–2017 से 01–01–2024 तक) (एआईईएसएल बोर्ड ने श्री एस.के. मिश्रा को 01–03–2023 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित और निर्वाचित किया था और परिणामस्वरूप 13–03–2023 से 01–01–2024 तक सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए)	एम.टेक (अप्लायड जियोलॉजी), एम. ए. (पब्लिक पालिसी), आईआरएस (आईटी : 1990)	4	4	हां	लागू नहीं	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** : 1 एआईएएचएल, दिनांक 01–03–2023 से **अध्यक्षः**4 दिनांक 01–03–2023 से [एआईईएसएल, एआईएएसएल, एएएएल और एचसीआई] **निदेशक** :3 एआईएएचएल (22–01–2018 से) एआईईएसएल (02–02–2017 से) और एआईएएसएल (02–02–2017 से)	**अध्यक्ष** : 5 क. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल (13–03–2023 से) और एआईएएसएल **(14–03–2023 से)**] ख मानव संसाधन समिति : 1 (एएएएल) ग. उड़ान सुरक्षा समिति : 1 (एएएएल) घ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति : 1 (एआईएएचएल) **सदस्यः 6** क. लेखापरीक्षा समिति : 4 [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल और एएएएल] ख. सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल (13–03–2023 से पहले) और एआईएएसएल (14–03–2023 से पहले)]
श्रीमती परमा सेन, महिला निदेशक (11–02–2022 से 12–12–2023 तक)	एमएससी भौतिकी, आईए और एएस (1994)	3	1	लागू नहीं	लागू नहीं	**निदेशक : 4** [एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएलऔर एनएफएचसीएल]	**सदस्य : 5** क. लेखापरीक्षा समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. सीएसआर समितिः2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ग. नामांकन और पारिश्रमिक समितिः (एनआरसी): 1 [एआईएएचएल]
श्री पदम लाल नेगी, निदेशक (18–01–2023 से)	आईडीएएस 1992, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) एवं एम.ए. (समाजशास्त्र)	5	5	हां	हां	**निदेशक : 7** [एएआई, एआईएएचएल, एआईईएसएल, आईआरईडीए एवं पीएचएल और एसईसीआई]	**अध्यक्ष : 3** लेखापरीक्षा समितिः3 एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल] **सदस्य : 2** सीएसआर समितिः2 [एआईईएसएल, एआईएएसएल]

श्री अंसंगबा चुबा आओ (01–01–2024 से 11–03–2025)	एमए (अंग्रेजी लिट्रेचर और एमएम (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)	1	1	लागू नहीं	हां	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** : 1 एआईएएचएल 01–01–2024 से **अध्यक्ष** 4 01–01–2024 से एआईईएसएल, एआईएएसएल, एचसीआई और एएएएल, **निदेशकः** 6 [पीएचएल, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, एएएएल (18–01–2023 से), एआईएएचएल, एआईईएसएल, एआईएएसएल]	**अध्यक्षः** 3 लेखापरीक्षा समितिः 1 [एएएएल] सीएसआर समितिः 2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] **सदस्यः 7** क. लेखापरीक्षा समिति : 2 [एआईईएसएल और एआईएएसएल] ख. नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः 2 [एआईएएचएल, पीएचएल] ग. मानव संसाधन समिति : 1 (एएएएल) घ. हितधारक संबंध समिति : 1 [एआईएएचएल] ड. उड़ान सुरक्षा समिति : 1 (एएएएल)
श्री राहुल जैन (12–12–2023 से 14–05–2024 तक)	सीए और आईएएस	2	0	हां	नहीं	**निदेशकः 6** [एआईएएचएल एआईईएसएल, एआईएएसएल, एनएफएचसीएल, आईटीसी लिमिटेड, एनएलएमसीएल]	**सदस्य : 7** लेखापरीक्षा समितिः 2 [एआईईएसएल, एआईएएसएल] सीएसआर समिति : 2 [एआईईएसएल, एआईएएसएल] नामांकन और पारिश्रमिक समिति : 1 [एआईएएचएल] हितधारक संबंध समिति : 1 [एआईएएचएल, प्रशासक/ सलाहकार मंडल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का निकाय : 1 [एनएफएचसीएल]
सुश्री नयोनिका दत्ता (12.02.2024 से)	अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री	1	1	लागू नहीं	हां	**निदेशक –3** एआईईएसएल, एआईएएसएल,एएएएल	**शून्य**

टिप्पणियाँ :

1. निदेशकों की संख्या अधिकतम सीमा के भीतर है : कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 20 कंपनियां (जिनमें अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं)।

2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं है।

4. डीपीई कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की सदस्यता की संख्या दस की अधिकतम सीमा के भीतर है, जिसमें पांच अध्यक्षता की अनुमति सीमा शामिल है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना के लिए है।

5. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

क)	एएआई	–	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ख)	एआईईएसएल	–	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
ग)	एआईएएसएल	–	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
घ)	एएएएल	–	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
ड.)	एचसीआई	–	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
च)	एनएफएचसीएल	–	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड
छ)	पीएचएल	–	पवन हंस लिमिटेड
ज)	एसईसीआई	–	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
झ)	आईआरईडीए	–	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
ट)	आरएचएल	–	रोहिणी हेलिकाप्टर लिमिटेड
ठ)	एनआईसीएसआई	–	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं शामिल
ड)	एनएलएमसीएल	–	राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम लिमिटेड

3. बोर्ड की प्रक्रियाएं :

बोर्ड की बैठकें सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या होल्डिंग कंपनी के कार्यालय अर्थात नई दिल्ली के सफदरजंग हवाईअड्डे पर स्थित एआईईएसएल कार्यालय में आयोजित की गईं थीं। बैठकें आम तौर पर पहले से निर्धारित होती हैं। अत्यावश्यकता या तात्कालिक मामले में, परिपत्रण द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं। बैठक की कार्यसूची संबंधित अधिकारियों/सीईओ द्वारा तैयार की जाती है और इसे कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के अभिलेख, आमतौर पर बोर्ड के सदस्यों को पहले से परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं तक पहुंच उपलब्ध है और सदस्य चर्चा की कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और आवश्यकता पढ़ने पर स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

4. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को स्वीकार किया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख–1** के साथ संलग्न है।

5. बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

कॉरपोरेट गवर्नेंस के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में, लेखापरीक्षा समिति मूल रूप से मार्च 2016 में निदेशक मंडल की स्वीकृति के साथ संदर्भ की शर्तों को अपनाते हुए गठित की गई थी और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया गया था, जब होल्डिंग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित निदेशकों में कोई परिवर्तन होता है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर जारी किए गए अपने कई कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से एआईईएसएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया था और परिणामस्वरूप बोर्ड ने समय–समय पर बोर्ड समितियों के साथ–साथ ऑडिट समिति का भी पुनर्गठन किया था।

क) समिति की संरचना :

दिनांक 31–03–2024 की स्थिति के अनुसार, पदेन क्षमता में निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
श्री राहुल जैन संयुक्त सचिव, डीआईपीएएम	सदस्य

संदर्भ की शर्तें : लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (4) के तहत निर्धारित हैं :

i. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना,

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना,

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना,

iv. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन को स्वीकृति प्रदान करनाया बाद में संशोधन की स्वीकृति देना,

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना,

vi. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो,

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना,

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ग) समिति की बैठकें :

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वित्तीय विवरण सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान चार बार बैठकें कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं	बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या
1	36 वीं	09-06-2023	3
2	37 वीं	05-09-2023	2
3	38 वीं	19-12-2023	3
4	39 वीं	11-03-2024	3

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बोर्ड ने मूल रूप से दिनांक 08–11–2019 को सीएसआर समिति का गठन किया। हालाँकि, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा लागू प्रावधानों के अनुपालन में समय–समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों द्वारा बोर्ड के पुनर्गठन के बाद, एआईईएसएल बोर्ड ने समय–समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का भी पुनर्गठन किया।

दिनांक 31–03–2024 तक, सीएसआर समिति में पदेन क्षमता में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

निदेशक का विवरण	समिति में धारित पद
श्री असंगबा चुबा आओ, सीएमडी, एआईएएचएल एवं संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर समिति की 1 बैठकें आयोजित की गईं।

क्र.सं.	बैठक संख्या	बैठक की तारीख	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	तीसरी	20-12-2023	2

6. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम बैठकें :

कंपनी की आम बैठकों अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का विवरण नीचे दिया गया है :

एजीएम /ईजीएम	बैठक की तिथि व समय	बैठक का स्थान	विशेष संकल्प
18 वीं स्थगित एजीएम	27-03-2024 को 1130 बजे	पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, सीआरए भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा मध्य दिल्ली, दिल्ली–110003	नहीं
18 वीं एजीएम	21-12-2023 को 1100 बजे	पंजीकृत कार्यालय : दूसरा तल, सीआरए भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा मध्य दिल्ली, दिल्ली–110003	नहीं
17 वीं स्थगित एजीएम	30-01-2023 को 1230 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
17 वीं एजीएम	30-12-2022 को 1200 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	नहीं
04 वीं ईजीएम	14-01-2022 को 1500 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां
16 वीं एजीएम	13-12-2021 को 1430 बजे	पंजीकृत कार्यालय : एयरलाइंस हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली 110 001	हां

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पता : सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400083 है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है।

7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन : –

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यहार, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें आवधि रूप में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे उचित निर्णय ले सकें और बोर्ड व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण के लिए स्पष्ट नीति का अनुसरण करता है। प्रकटन, सूचना, दस्तावेजों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग को समयबद्ध तरीके से किया जाता है और इसमें कोई मामला लंबित नहीं है। स्व–मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 और 2023–2024 तीनों के लिए डीपीई कॉर्पोरेट के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्रेड के तहत आती है। डीपीई ने वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान डीपीई शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु एआईएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग भी प्रदान की है एवं वर्ष 2023–24 के लिए ग्रेडिंग की प्रतीक्षा है

8. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणों, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता और निष्पक्षता के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है, जिसे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था (इस रिपोर्ट में **'अनुलग्नक–ख–2'** के रूप में रखा गया है)।

9. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के लिए **'अनुलग्नक–बी–3'** के रूप में रखा गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन : 11001643

दिनांक: 14.05.2025
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध–'ख–1

आचार संहिता
घोषणापत्र

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/–
(शरद अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

दिनांक : 14.05.2025
स्थान : नई दिल्ली

'अनुलग्नक –'ख–2'

प्रमाणपत्र

दिनांक : 24.03.2025

हमने वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

(क) (1) इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई भी असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

(2) ये विवरण समग्र रूप से कंपनी के मामलों का एक सत्य और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन संबंधी कमियों, यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उल्लेख किया है कि :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन,

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोटों में उनका प्रकटन किया गया है, और

(3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, जिनके बारे में हमें पता चला है और उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो, जो सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ह/–
(राकेश कुमार जैन)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ह/–
(शरद अग्रवाल)
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

अनुलग्नक–'ख–3

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर प्रमाणपत्र डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 8.2.1 के अनुसार

सेवा में,

सदस्य,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
(सीआईएन : U74210DL2004GOI125114)
दूसरी मंजिल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग एयरपोर्ट एरिया,
सफदरजंग एयरपोर्ट, सेंट्रल दिल्ली, भारत–110003

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएनः U74210DL2004GOI125114) के कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों और विवरणों की जांच की है। दिनांक 31.03.2024 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों पर दिशानिर्देश, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा घोषित किया गया है, में निर्धारित किया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी रिपोर्ट/प्रमाणन न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत अभिलेखों, स्पष्टीकरणों और प्रदान की गई सूचनाओं की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि कार्यात्मक निदेशक 50 प्रतिशत से अधिक हैं और बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की प्रभावकारिता है जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
पीयर रिव्यू नंबर 3020/2023
फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31–12–2024
यूडीआईएन : F005430F003532206

ह/–
सौरभ अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस नं. : 5430
सी.पी. नं. 4868

अनुबंध–ग

फार्म सं. एओसी–2

[अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी लेखा नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण संबंधी फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ आर्म लैंथ लेनदेन शामिल हैं:

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण, जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं: शून्य

2. आर्म लैंथ आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन, व्यापार के सामान्य क्रम में एक आर्म लैंथ के आधार पर थे, जिन्हें दिनांक 20.12.2023 को आयोजित कंपनी की 87वीं बोर्ड बैठकद्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण इस प्रकार है:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संव्यवहार की अवधि	लेन–देन की प्रकृति	राशि (मिलियन में)
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	1 अप्रैल 2023–31 मार्च 2024	एमआरओ सेवाओं से राजस्व	577.34
		अन्य आय (ब्याज)	210.70
		कुल राजस्व (आय)	**788.04**
		व्यय	-
		कुल व्यय	-
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	1 अप्रैल 2023–31 मार्च 2024	**एमआरओ सेवाओं से राजस्व (कुल आय)**	**28.81**
		हैंडलिंग प्रभार	120.87
		जनशक्ति लागत	2.57
		बकाया राशि पर ब्याज	1.36
		कुल व्यय	**124.80**
भारतीय होटल निगम (एचसीआई) (सेंटूर होटल्स)	1 अप्रैल 2023–31 मार्च 2024	होटल के कमरे का शुल्क और अन्य (ड्यूटी पर कर्मचारी)	18.48
		कुल व्यय	**18.48**

एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी	1 अप्रैल 2023–31 मार्च 2024	**सुरक्षा सेवाओं के लिए प्राप्य राशि (कुल आय)**	**23.56**
		बकाया राशि पर ब्याज	1,840.76
		किराया व्यय	396.72
		प्रतिपूर्ति	38.84
		कुल व्यय	**2276.32**
कुल आय (क)			**840.41**
कुल व्यय (ख)			**2419.60**
कुल राशि (क + ख)			**3260.01 जो कि 326 करोड रूपए के समतुल्य है।**

टिप्पणी :

1. लेखांकन मानकों के अनुसार "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" का विवरण वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 11001643

दिनांकः 14.05.2025
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–घ

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

(दिनांक 04 जून 204 को बोर्ड द्वारा संशोधित अनुसार)

1. **प्रस्तावना :**

एआईईएसएल का लक्ष्य है कि हम जिन स्थानीय समुदायों में काम करते हैं, जैसे हवाईअड्डों और शहर के कार्यालयों के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करें, मजबूत, विकसित संधारणीय समुदायों का निर्माण करके और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं।

2. **परिभाषाएँ :**

इस नीति में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

क) **'अधिनियम'** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम।

ख) **'प्रशासनिक व्यय'** का अर्थ है कंपनी द्वारा कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए किए गए खर्च, किन्तु इसमें किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

ग) **'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)'** का अर्थ है इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा–135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में किसी कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात

i. कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियाँ।

ii. राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर कंपनी द्वारा की जाने वाली कोई गतिविधि।

iii. अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान।

iv. वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली गतिविधियाँ।

v. अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ और

vi. भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ।

घ) **'सीएसआर समिति'** का अर्थ है अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।

ङ) **'सीएसआर नीति'** का अर्थ उस कथन से है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए दृष्टिकोण और निर्देश शामिल हैं, और इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

च) **'शुद्ध लाभ'** का अर्थ है अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का शुद्ध लाभ, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे, अर्थात–

i. कंपनी की किसी विदेशी शाखा या शाखाओं से होने वाला कोई लाभ, चाहे वह एक अलग कंपनी के रूप में संचालित हो या अन्यथा हो।

ii. भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त कोई लाभांश, जो अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं और उनका अनुपालन करती हैं।

छ) **'चालू परियोजना'** का अर्थ है कंपनी द्वारा अपने सीएसआर दायित्व की पूर्ति में शुरू की गई एक बहु–वर्षीय परियोजना, जिसकी समय–सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं है, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल नहीं है जिसमें इसे शुरू किया गया था और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में बहु–वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि को उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है।

इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

3. उद्देश्य और सीएसआर विजन :

इस नीति को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (यदि कोई हो, मौजूदा और आगामी संशोधनों सहित, जैसा भी मामला हो) और ऐसे अन्य नियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं (सामूहिक रूप से 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुरूप पढ़ा जाएगा, जो लागू हो सकते हैं और समय–समय पर संशोधित किए जा सकते हैं और अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेंगे :

- सामाजिक परियोजनाओं/सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी के लाभ का एक प्रतिशत समर्पित करने के लिए लागू प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक दिशानिर्देश स्थापित करना और
- उचित प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग के माध्यम से सीएसआर पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- कर्मचारियों के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार पहलों में भाग लेने के अवसर पैदा करना।

4. सीएसआर गतिविधियों का दायरा :

यह नीति मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व केवल अनुपालन नहीं है, यह अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निम्नलिखित ध्यानार्थ क्षेत्रों में से एक या अधिक द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है :

i. भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना शामिल है।

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं।

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करनाय वृद्धाश्रम, डे–केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।

iv. पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।

v. ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास।

vi. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत्त कार्मिकों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

viii. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या किसी अन्य कोष में योगदान देना।

ix. **(क)** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान, और

(ख) सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ।

xi. झुग्गी क्षेत्र विकास।

स्पष्टीकरण – इस मद के प्रयोजनों के लिए, 'झुग्गी क्षेत्र' शब्द का अर्थ किसी भी कानून के तहत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित कोई क्षेत्र होगा।

xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

कंपनी समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में सूचीबद्ध विषयों में से सीएसआर गतिविधियों का चयन और संचालन करेगी। अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध विषयों के सार को समझने के लिए सीएसआर नीति के दायरे में विषयों की

उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। अधिनियम की अनुसूची VII में कोई भी संशोधन या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) या नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के निर्देश भी सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे परिवर्तन की तारीख से कंपनी की सीएसआर नीति के दायरे में शामिल किए गए माने जाएंगे (जहां भी यह अनिवार्य होगा)।

5. सीएसआर समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया जाएगा, जो सीएसआर गतिविधियों और नीति पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। सीएसआर समिति का कोरम बैठक में उपस्थित दो सदस्यों से होगा।

6. सीएसआर समिति की जिम्मेदारी :

- अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में संशोधनों सहित बोर्ड को एक सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।
- समय–समय पर नीति की निगरानी करना और बोर्ड को बदलावों की सिफारिश करना।
- सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना, और
- सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करना।

7. सीएसआर कार्य दल :

सीएसआर कार्य दल के सदस्य होंगे :

i. मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii. मुख्य वित्तीय अधिकारी
iii. मुख्य मानव संसाधन अधिकारी
iv. कंपनी सचिव

उपर्युक्त सीएसआर कार्य दल का नेतृत्व कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेंगे।

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में शामिल हैं :

- विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रस्तावों की समीक्षा करना और उन्हें विचार–विमर्श, विचार–विमर्श और अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश के लिए सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. निदेशक मंडल की जिम्मेदारी :

- सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर नीति को मंजूरी देना, बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों/संशोधनों के अधीन।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ' का कम से कम 2 प्रतिशत (या एमसीए द्वारा निर्धारित कोई सीमा और उससे भी अधिक) खर्च करे।

* **औसत शुद्ध लाभ** की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल की गई गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों से संबंधित हों।
- यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए इसके परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए।
- अपने वार्षिक रिटर्न में सीएसआर समिति के सदस्यों के नाम, सीएसआर नीति की विषय–वस्तु का प्रकटन करना तथा कंपनी की वेबसाइट पर अपनी सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना तथा किसी भी समय एमसीए द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी अन्य प्रावधान का अनुपालन करना।

9. <u>वार्षिक व्यय/निधि का आवंटन :</u>

क. कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करेगी। सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या उसे अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख. सीएसआर समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप एक वार्षिक सीएसआर योजना तैयार करेगी और कंपनी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित अपनी वार्षिक सीएसआर योजना में शामिल सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित करेगी। समिति को मौजूदा वार्षिक सीएसआर योजना में किसी भी संशोधन को मंजूरी देने या वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नए कार्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए अधिकृत किया गया है। अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात–

(i) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ii) नियम 4 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।

(iii) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन अनुसूचियों की कार्यविधि।

(iv) परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र, और

(v) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव आकलन, यदि कोई हो, का विवरण।

बशर्ते कि बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।

10. सीएसआर परियोजनाओं का प्रशासन/कार्यान्वयनः

1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर गतिविधियां कंपनी द्वारा स्वयं या इसके माध्यम से की जाएंः–

(क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क और 80छ के तहत पंजीकृत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया हो, या

(ख) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, या

(ग) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई, या

(घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क और 80छ के तहत पंजीकृत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, और इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड।

2) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शामिल कर सकती है।

3) कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

4) कंपनी का बोर्ड इस बात से संतुष्ट होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा।

5) चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समयसीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमोदित समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, यदि कोई हो, तो संशोधन करने के लिए सक्षम होगा।

11. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग :

क. प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

ख. कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर कार्यक्रम की प्रगति पर रिपोर्ट नियमित आधार पर किए गए खर्च और प्राप्त परिणामों के पूर्ण विवरण के साथ सीएसआर समिति के समक्ष रखी जाएगी।

ग. कार्य केंद्र क्षेत्र में कार्यान्वित कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

घ. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, कार्यान्वयन भागीदारों और व्यय का उचित दस्तावेजीकरण नियमित आधार पर किया जाएगा।

ड. कंपनी की सीएसआर पहलों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 135 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में रिपोर्ट किया जाएगा, और

च. कंपनी सीएसआर व्यय का उचित लेखा–जोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।

12. **निष्कर्ष** : सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल अपनी नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है। सीएसआर नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों को समय–समय पर प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए जाने वाले विषय पर विनियमों के अनुसार संशोधन/संशोधन के अधीन किया जाएगा।

नीति के किसी भी प्रावधान के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में और यहां शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में, सीएसआर समिति को संदर्भ दिया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में, समिति की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा।

****

अनुलग्नक–ड.

वित्तीय वर्ष (वि.व) 2023–24 के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :**

- एआईईएसएल हमारे द्वारा संचालित स्थानीय समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की परिकल्पना करता है। हवाई अड्डों और शहर के कार्यालयों ने सुदृढ निर्माण करके, टिकाऊ समुदायों का विकास किया और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया।
- कंपनी के निदेशक मंडल ने एक सीएसआर नीति अपनाई है, जो मानती है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी केवल अनुपालन नहीं है, यह उन पहलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता है, जो अधिनियम की अनुसूची–VII में निर्दिष्ट एक या अधिक फोकस क्षेत्रों द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय को लाभान्वित करती हैं।
- प्रत्येक कार्य केंद्र पर किए गए सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, कार्य केंद्र प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- कंपनी सीएसआर खर्चों का उचित लेखाजोखा सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा प्रणाली स्थापित करेगी।
- प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.aiesl.in पर देखी जा सकती है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना :**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1.	*श्री एस.के. मिश्रा	अध्यक्ष (01.01.2024 तक)	1	1
2.	*श्री असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष (01.01.2024 से)	1	0
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	1	1
4.	श्रीमती परमा सेन	सदस्य (12-12-2023 तक)	1	0
5.	श्री राहुल जैन	सदस्य (12-12-2023 से)	1	0

* नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02–02–2024 के अनुसरण में एआईईएसएल बोर्ड द्वारा लागू प्रावधानों के अनुपालन में, संदर्भ संख्या एआईईएसएल/मुख्यालय/सीएस/10/03/2023–24 दिनांक 07–02–2024 वाले परिपत्रण द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके एआईईएसएल की सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके द्वारा एआईईएसएल के अध्यक्ष और नामित निदेशक श्री असंगबा चुबा आओ, दिनांक 01–01–2024 से श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर सीएसआर समिति के अध्यक्ष बन गए हैं।

** सीएसआर समिति की वर्ष के दौरान एक बार अर्थात दिनांक 20–12–2023 को बैठक हुई।

3. **वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है :**

क्र.सं	विवरण	वेबलिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना	https://www.aiesl.in/Composition-of%20CSR-Committee.aspx
2.	सीएसआर नीति	https://www.aiesl.in/CSRPolicy.aspx
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना	लागू नहीं *

* कंपनी ने बोर्ड के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान करके (अर्थात् 27–03–2024 को 1000/– रुपये और 30–03–2024 को 9,09,99,000/– रुपये और 31–03–2024 को 2,950/– रुपये) संपूर्ण सीएसआर व्यय 9,10,02,950/– रुपये खर्च किए हैं (जिनमें से वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित 2,600/– रुपये यानी 2,576.87/– रुपये अनजाने में लाखों में पूर्णांकित होने के कारण खर्च नहीं किए गए और एमसीए पोर्टल पर ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय इसे खर्च नहीं किया गया)।

4. **यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें) :**

लागू नहीं (एनए)।

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण :**

लागू नहीं।

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ** : 4,55,00,16,955.34/- रूपए

7. **(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत** : 9,10,00,339.11/- रुपये

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख – 7ग) : 9,10,00,339.11/-रुपये।

8. (क) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि** : 9,10,00,339.11/- रुपये।

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि. (रूपये में)	खर्च न की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रु. 9,10,02,950/-	-	-	-	-	-

* कंपनी ने बोर्ड के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान करके (अर्थात् 27–03–2024 को 1000/– रुपये और 30–03–2024 को 9,09,99,000/– रुपये और 31–03–2024 को 2,950/– रुपये) संपूर्ण सीएसआर व्यय 9,10,02,950/– रुपये खर्च किए हैं (जिनमें से वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित 2,600/– रुपये यानी 2,576.87/– रुपये अनजाने में लाखों में पूर्णांकित होने के कारण खर्च नहीं किए गए और एमसीए पोर्टल पर ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय इसे खर्च नहीं किया गया)।

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं से इतर परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष तरीका (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ+ 8ड.) : शून्य

(छ) सेटऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	9,10,00,339.11
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	9,10,02,950
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि, (ii)–(i),	संदर्भ नोट –1
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि, (iii)–(iv),	-

* नोट–1 : कंपनी ने बोर्ड के अनुमोदन/अनुसमर्थन के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देकर (अर्थात् दिनांक 27–03–2024 को 1000/– रुपये और दिनांक 30–03–2024 को 9,09,99,000/– रुपये और दिनांक 31–03–2024 को 2,950/– रुपये) संपूर्ण सीएसआर व्यय राशि 9,10,02,950/– रुपये खर्च की है (जिसमें से वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित 2,600/– रुपये, 2,576.87/– रुपये एमसीए पोर्टल पर ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय लाखों में पूर्णांकित होने के कारण अनजाने में अव्ययित रह गए थे और अव्ययित व्यय के रूप में माने गए थे)।

9. **(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:** रु.2576.87/– (वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित, जो लाखों में पूर्णांकन के कारण अनजाने में छोड़ दिया गया था और ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय अप्रयुक्त व्यय के रूप में माना गया था, इसलिए, कंपनी ने एक कोर्स सुधार किया और 03–31–2024 को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान करके रु.2,600/– खर्च किए थे)।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजनाके लिए आवंटन कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	पूर्ण/चालू परियोजना कीस्थिति
1.		-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-

10. **पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण) : लागू नहीं**

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(ग) बनाई गई या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) : लागू नहीं

(घ) यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें : लागू नहीं

***** कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर उपयोग प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट में **'अनुलग्नक ड.–1'** के रूप में रखा गया है।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लिए

ह/–
अमित कुमार
सीएसआर समिति के अध्यक्ष

ह/–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

ह/–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

'अनुलग्नक –ड.–1'

प्रमाणपत्र

दिनांक : 03–04–2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि 9,10,02,950/– रुपये की धनराशि (जिसमें से 2,600/– रुपये वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित हैं, क्योंकि 2,576.87/– रुपये एमसीए पोर्टल पर ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय लाखों में पूर्णांकित करने और अप्रयुक्त व्यय के रूप में माने जाने के कारण अनजाने में अव्ययित रह गए थे), जिसे कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 और कंपनी अधिनिय 2013 की अनुसूची VII के अनुसार क्रमशः 20–12–2023 और 04–06–2024 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में अनुमोदन/अनुसमर्थन के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए वितरित किया गया है।

सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**रूपए**
राशि परिव्यय (बजटीय)	9,10,02,950.00*
व्यय की गई राशि : 27.03.2024 30.03.2024 31.03.2023	 1000.00 9,09,99,000.00 2,950.00*
व्यय न की गई राशि	शून्य
व्यय की गई राशि अतिरिक्त राशि	शून्य

* कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 9,10,02,950/– रुपये की पूरी सीएसआर राशि खर्च की है (जिसमें से 2,600/– रुपये वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित हैं क्योंकि 2,576.87/– रुपये अनजाने में लाखों में पूर्णांकित होने के कारण अव्ययित रह गए थे और एमसीए पोर्टल पर ई–फॉर्म सीएसआर–2 दाखिल करते समय अव्ययित व्यय के रूप में माने गए थे) (अर्थात 27–03–2024 को 1000/– रुपये और 30–03–2024 को 9,09,99,000/– रुपये और 31–03–2024 को 2,950/– रुपये)।

कृते एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
(राकेश कुमार जैन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी

(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
(सीआईएन: U74210DL2004GOI125114)
दूसरा तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

हमने **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड**, (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए सामान्यतः इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 एवं समय समय पर यथा संशोधित उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम– लागू नहीं है क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक– लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निमोध) विनियम, 2015; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्ती प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2021; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नही;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नही; एवं

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;

(vi) विमानन क्षेत्र में निम्नलिखित कानून विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू होते है–

- वायुयान अधिनियम, 1934
- डीजीसीए द्वारा जारी नागर विमानन की आवश्यकताएं

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने विमानन कानूनों के तहत उपरोक्त सीएआर का अनुपालन किया है और कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन की समीक्षा, इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, जो डीजीसीए और अन्य नामित पेशेवरों/प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन हैं।

हमने निम्नलिखित की भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक; और

ii) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015–ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमने ऑडिट के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी/डेटा पर विश्वास किया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन, 2010 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 178 के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4(2) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के तहत दायर आवेदन पर वार्षिक आम बैठक (जो दिनांक 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले आयोजित होने वाली थी) आयोजित करने के उद्देश्य से 15 सितंबर, 2023 के आदेश के माध्यम से समय का विस्तार दिया गया था और कंपनी की वार्षिक आम बैठक 21 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई थी। हालांकि, कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों को 27 मार्च 2024 को आयोजित कंपनी की स्थगित एजीएम में सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारण करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल और समिति की बैठक के सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसका कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामले पर कोई बड़ा असर पड़ा हो।

कृते सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पीयर रिव्यू संख्या : 3020/2023
फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100

दिनांक :31.12.2024
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएनः F005430F003532096

सीएस सौरभ अग्रवाल
साझेदार
एफसीएसः एफ5430;सी.पी.सं. 4868

यह रिपोर्ट हमारे दिनांक के पत्र के साथ पढी जाए जो परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है।

अनुलग्नक–क

सेवा में
सदस्यगण,
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड,
(सीआईएन: U74210DL2004GOI125114)
दूसरा तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

➢ **प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

1. सचिवीय अभिलेखों को बनाए रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम करती हैं, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है;

➢ **लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

2. हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है;
3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारे लिए अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है;
4. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं;
5. जहाँ भी आवश्यक हुआ हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है;

➢ **प्रकटन**

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविश्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया हैय
7. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता और विनियोगों को सत्यापित नहीं किया है।

कृते सौरभ अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पीयर रिव्यू संख्या : 3020/2023
फर्म पंजीकरण संख्या P2002DE043100

दिनांक :31.12.2024
स्थान : नई दिल्ली
यूडीआईएन : F005430F003532096

सीएस सौरभ अग्रवाल
साझेदार
एफसीएसः एफ5430;सी.पी.सं. 4868

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
क	कंपनी के निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन डीपीई दिशानिर्देशों पर कॉर्पोरेट प्रशासन, 2010 के प्रावधान के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जो असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 178 के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2014 के नियम 4 (2) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
ख	कंपनी को वार्षिक आम बैठक (जो दिनांक 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले आयोजित होने वाली थी) आयोजित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–96 के तहत दायर आवेदन पर 3 महीने के लिए दिनांक 15 सितंबर 2023 के आदेश के माध्यम से समय का विस्तार दिया गया था और कंपनी की वार्षिक आम बैठक दिनांक 21 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी। हालांकि, कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों को दिनांक 27 मार्च 2024 को आयोजित कंपनी की स्थगित एजीएम में सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को बोर्ड द्वारा 20–12–2023 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित किया गया था। बोर्ड के अनुमोदन के बाद वित्तीय विवरणों को रिपोर्ट के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भेजा गया और उसके बाद लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। सीएंडएजी की शून्य टिप्पणियाँ 23–02–2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्राप्त हुईं और उन्हें लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा दिनांक 11–03–2024 को आयोजित अपनी–अपनी बैठकों में नोट किया गया। इसके बाद, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को दिनांक 27–03–2024 को आयोजित कंपनी की स्थगित 18वीं वार्षिक आम बैठक में अपनाया गया।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
एआई इंजीनियंरिंग सर्विसेस लिमिटेड
के सदस्यों हेतु
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (पहले एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस के रूप में जानी जाती थी) (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधी ब्यौरा एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी (जिसे यहां आगे ''स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कहा जाएगा')सहित वित्तीय विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') में यथाअपेक्षित तरीके, से अपेक्षित सूचना देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप उचित दृष्टिकोण, यथासंशोधित (इंड एएस) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2024 को कंपनी के कार्यकलापों तथा इसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तनों एवं उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए बल एवं प्रमुख नोट मुद्दे के साथ पठित उसके नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के भाग–वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ–साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई हमारी रिपोर्ट के भाग–''वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व'' में उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया है और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मत है कि विषय पर बल और प्रमुख लेखापरीक्षा मुद्दे में इंगित मुद्दों के मद्देनजर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01.09.2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।

2. क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक–2 के पैरा–9 के अनुसारः

   एआईईएसएलखातों को बनाए रखने के लिए दो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, बिलिंग, सामग्री आंदोलन, इन्वेंट्री के लिए रैमको और वित्तीय खातों को सैप पर बनाए रखा जाता है जो आपस में जुड़ा नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर स्वतंत्र डेटा पर काम करते हैं जबकि रैमको प्राइम डेटा है जो विमान इन्वेंट्री बनाए रखता है और गैर–विमान इन्वेंट्री केवल सैप में बनाए रखा जाता है। लेखांकन प्रविष्टियों के लिए रैमको डेटा को स्वचालित प्रक्रिया द्वारा

सैप में खींचा जाता है और डेटा के समाधान की कोई प्रक्रिया नहीं है। बैलेंस शीट के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का मूल्य सैप सॉफ्टवेयर से लिया गया है और दोनों सॉफ्टवेयर में प्रारंभिक शेष के बिना वर्ष 2023–24 में 9,15,68,819.56/– रुपये का अंतर है जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सैप जीआरआईआर और आपूर्तिकर्ता सस्पेंस समाधान का स्वचालित डेटा प्रविष्टि नियंत्रण भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता। मार्च 2024 के अंत तक सैप के अनुसार इन्वेंट्री 683958784.58/– रूपए है, जिसमें पिछले वर्ष से जारी 50 करोड़ की असत्यापनीय इन्वेंट्री का प्रावधान है। कुछ मामलों में रैमको सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा का विवरण नकारात्मक है जबकि मूल्यांकन के लिए मात्रा सकारात्मक मूल्य दिखाती है। इन्वेंट्री के किसी भी क्रॉस/भौतिक सत्यापन और रैमको और सैप इन्वेंट्री मूल्य रिपोर्ट के गैर–समायोजन डेटा के अभाव में भरोसा नहीं किया जा सकता है। मूल्य के समायोजन की अनुपस्थिति में, हम कंपनी के लाभ, संपत्ति और देनदारियों के आंकड़े पर उपरोक्त के प्रभाव के लिए टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ शेष राशि उद्घाटन के बाद से नकारात्मक हैं। चूंकि लंबे समय से सामग्री और सेवाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से आयात से संबंधित चालान बुक नहीं किए गए हैं और यहां तक कि विक्रेता में पुराने डेबिट शेष सहित विक्रेता को अग्रिम भी। बोइंग/एमएमडी विभाग से चालान प्राप्त नहीं होने के कारण सामग्री या सेवाओं के एक वर्ष से अधिक समय बाद कई मामलों में चालान बुक किए गए हैं।

इन्वेंटरी को लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर मापा जाएगा। कंपनी ने वर्ष के दौरान भारित औसत लागत पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन इंड–एएस 2 के अनुसार नहीं किया गया है। इसलिए, हम इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. अचल संपत्तियों का पूंजीकरण अधिग्रहण की तिथि या उपयोग की तिथि पर नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में संपत्ति का पूंजीकरण वर्ष के अंत में किया जाता है और अचल संपत्तियों में वृद्धि के मामले में पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया जाता है। कंपनी के पास परिसंपत्तियों के पूंजीकरण मूल्य की उचित प्रणाली नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में परिसंपत्तियों की खरीद के समय आकस्मिक व्यय के परीक्षण जांच मूल्य का उचित हिसाब नहीं रखा जाता है और एक मामले में चालान मूल्य में बेमेल के कारण खरीद आदेश पर अचल संपत्ति का पूंजीकरण किया गया था। परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में अधिशेष और अज्ञात मदें हैं जिनमें से 4,59,18,152.27/– रुपए इन्वेंट्री में समायोजन के साथ पूंजीकृत किए गए हैं। हम सत्यापन करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ परिसंपत्तियाँ काफी पुरानी हैं जिनका अब तक मूल्यह्रास हो चुका होगा और अज्ञात मदों के लिए कार्रवाई लंबित है।

4. एमएसएमई विक्रेताओं के भुगतान और ब्याज की प्रयोज्यता को मैन्युअल आधार पर बनाए रखा जाता है क्योंकि सैप के पास पहचान की पूरी प्रणाली है जो चालू नहीं है। इसलिए, हम एमएसएमई भुगतान और ब्याज को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

5. कंपनी ने सैप द्वारा तैयार रिपोर्ट से मैन्युअल रूप से एजिंग की गणना की है, एक ही ग्राहक खाते में कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां हैं। चूंकि ग्राहकों से खातों की पुष्टि की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम एजिंग रिपोर्ट को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

6. चालू वर्ष के बिलिंग में से वार्षिक आधार पर गैर–बिलित राजस्व की पहचान की जाती है, जिसे दो तरीकों से डेबिट किया जाता है, एक सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट करके और दूसरा बकाया वसूलियों में अनबिलित राजस्व को सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाता है, जहां इसे एक अलग शीर्ष में और तिमाही आधार पर हिसाब में रखना चाहिए, जबकि बेहतर नियंत्रण के लिए वार्षिक की मौजूदा प्रथा है। वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता सस्पेंस ऋण आदेश आईएएफ एसईएसएफ (रुपये 53,83,77,810.05/–) के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखा–जोखा नहीं रखा गया। रुपये 1956056851.98/– में से बिल रहित राजस्व दर्ज किया गया, जिसमें से रुपये 149218039.28/– पिछले वर्ष से संबंधित है। इस सिस्टम त्रुटि को रैमको/ सैप में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी बिलिंग नहीं हो पाई।

7. कंपनी के पास कई असंगत कर्मचारी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हैं, जैसे कि दो परीक्षण मामलों में आर. कालीचेलवन के पास वर्ष 2012 से 1631471.75/– रुपये और एस. डी. ऑगस्टीन दिवाकर के पास वर्ष 2018 से 148276 रुपये हैं, जो वसूली योग्य हैं। कर्मचारियों से कुछ बेमेल प्राप्तियों/वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण खाता बही सहित देय राशियों का समाधान और मिलान प्रक्रिया में है।

8. कंपनी ने एमआईएएल और अन्य हवाईअड्डों से भूमि पट्टे के अधिकार लिए हैं, जहां किराए और इसकी देयता के लिए समझौतों में तय नहीं है। कंपनी ने एमआईएएल के 395826315.36/– रुपये के प्रावधान को उलट दिया है और वर्ष 2023–24 के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया है क्योंकि कंपनी की ऐसी आय एमआईएएल को देय किराए की सीमा तक बढ़ा दी गई है। कंपनी खर्चों का प्रावधान भी कर रही है और सीधे व्यय खाते में जमा कर रही है, जबकि इसे प्रावधान के अलग खाते में बनाए रखा जाना चाहिए। बैलेंस शीट के अनुसार प्रावधान की राशि में वर्ष के दौरान प्रदान किए गए और समायोजित किए गए वर्षवार व्ययों का विवरण नहीं है।

9. कंपनी के दुबई और काठमांडू में दो विदेशी प्रतिष्ठान हैं, कोई अलग से बही नहीं रखी जाती है और शाखाओं की कोई संपत्ति और देनदारियाँ नहीं हैं। दुबई के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा बैंक स्टेटमेंट के रूप में केवल नकदी प्रवाह बनाए रखा जाता है और काठमांडू के लिए कोई अलग बैंक नहीं है।

10. ग्राहक और विक्रेता खातों में अलग–अलग लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट का शुद्ध बैलेंस वसूली योग्य या देय के रूप में दिखाया जाता है। पार्टियों के बीच सामंजस्य के अभाव में हम इसकी प्राप्ति और देय भुगतान पर पुष्टि और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

11. कंपनी ने व्यय के लिए प्रावधान का लेखा–जोखा करते समय स्रोत पर आयकर नहीं काटा है। इस तरह के गैर–अनुपालन के प्रभाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

12. कंपनी ने अंतर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्ति योग्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न अंतर कंपनियों के साथ एमएसए के अनुसार ब्याज की गणना नहीं की है।

13. कंपनी ने नोट–36 और नोट संख्या–31 के अनुसार अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है, क्योंकि उल्लिखित आंकड़े सैप से नहीं हैं और मैन्युअल रूप से काम किए गए हैं, जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

14. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस–36 का अनुपालन नहीं किया है।

15. क) कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान की गई जमा और व्यापार देय के समाधान की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम इसकी देय और देय राशि की शुद्धता के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ख) कंपनी वास्तविक समय में ग्राहक के अनुसार 660991189.34/– रुपये के टीडीएस/टीसीएस प्राप्य विवरण नहीं रखती है और विवरण के अभाव में वर्षवार भुगतान समाधान नहीं है। इसके अलावा 9218690/– रुपये के अतिरिक्त कर का वर्षवार ब्योरा भी उपलब्ध नहीं है। कंपनी वित्तीय और एएस–26 के अनुसार स्रोत पर राजस्व और कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है। वेतन और अन्य के लिए अग्रिम टीडीएस भुगतान हैं जो इतने सालों से 5121512.30/– रुपये अप्रयुक्त हैं। इसका अर्थ है कि टीडीएस के नियमित जमा और टीडीएस की देयता के संबंध में सेट ऑफ के लिए कोई नियंत्रण या प्रक्रिया नहीं है।

ग) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआती नकारात्मक देयता 5,70,27,933/– रुपये है, जिसमें अभी भी 8,26,31,887/– रुपये का समापन शेष है, इसके अलावा जीएसटी खातों का शुद्ध डेबिट शेष 34,27,83,762.19/– रुपये है, जो कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया

में है। शुरुआती नकारात्मक देयता और अन्य डेबिट शेष काफी पुराने हैं और कोई वर्षवार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

16. कंपनी की नीति के अनुसार, पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए, कंपनी ने :

क) चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग शामिल है। फर्म ने दिनांक 11 जुलाई, 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 1.12 मिलियन रूपए डब्ल्यूडीवी वाले 25 अज्ञात आइटम नहीं मिले हैं और 6857 अतिरिक्त आइटम पाए गए हैं।

ख) प्रोफेशनल फर्म कोलकाता की दिनांक 22 जुलाई 2024 की रिपोर्ट नहीं मिली, 82 और 1059 की अधिकता पाई गई।

ग) तिरुवनंतपुरम की दिनांक 15 जुलाई 2024 की रिपोर्ट नहीं मिली 11,1978 की अधिकता पाई गई। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विसंगतियों और अधिकता को समायोजित/लेखांकित किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति सूची में दिए गए संपत्ति कोड की पहचान करने के लिए उत्पाद/संपत्ति कोड की अनुपलब्धता के कारण संपत्तियों की संख्या सत्यापित नहीं की जा सकी

17. पूर्व अवधि व्यय शून्य और पिछले वर्ष 2022–23 से संबंधित पूर्व अवधि आय 149.22/– मिलियन रुपये वर्ष 2023–24 में बुक की गई है (पी.वाई. पूर्व अवधि आय 175.66/– मिलियन रूपए और पूर्व अवधि व्यय 517.49/– मिलियन रूपए)। वर्ष 2022–2023 की बहियों को फिर से तैयार किया गया है और संबंधित वर्षों में परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय अर्हक है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें वे मामले हैं, जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थें। इन मामलों को वित्तीय विवरणो के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर हमारी राय बनाने में समग्र रुप से संबोधित किया गया था और इन मामलों पर हम अलग राय नहीं देते है। हमनें निम्न किए गए मामलों को, प्रमुख मामले माना है और अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले
1.	एआईईएसएल खातों को बनाए रखने के लिए दो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है बिलिंग, सामग्री आंदोलन, इन्वेंट्री के लिए रैमको और वित्तीय खातों को सैप पर बनाए रखा जाता है जो आपस में जुड़ा नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर स्वतंत्र डेटा पर काम करते हैं जबकि रैमको प्राइम डेटा है जो विमान इन्वेंट्री बनाए रखता है और गैर–विमान इन्वेंट्री केवल सैप में बनाए रखा जाता है। लेखांकन प्रविष्टियों के लिए रैमको डेटा को स्वचालित प्रक्रिया द्वारा एसएपी में खींचा जाता है और डेटा के समाधान की कोई प्रक्रिया नहीं है। बैलेंस शीट के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का मूल्य सैप सॉफ्टवेयर से लिया गया है और दोनों सॉफ्टवेयर में प्रारंभिक शेष के बिना वर्ष 2023–24 में 9,15,68,819.56/– रुपये का अंतर है जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सैप जीआरआईआर और आपूर्तिकर्ता सस्पेंस समाधान का स्वचालित डेटा प्रविष्टि नियंत्रण भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता। मार्च 2024 के अंत तक सैप के अनुसार इन्वेंट्री 683958784.58/– रूपए है, जिसमें पिछले वर्ष से जारी 50 करोड़ की असत्यापनीय इन्वेंट्री का प्रावधान है। कुछ मामलों में रैमको सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा का विवरण नकारात्मक है जबकि मूल्यांकन के लिए मात्रा सकारात्मक मूल्य दिखाती है। इन्वेंट्री के किसी भी क्रॉस/भौतिक सत्यापन और रैमको और सैप इन्वेंट्री मूल्य रिपोर्ट के गैर–समायोजन डेटा के अभाव में भरोसा नहीं किया जा सकता है। मूल्य के समायोजन की अनुपस्थिति में, हम कंपनी के लाभ, संपत्ति और देनदारियों के आंकड़े पर उपरोक्त के प्रभाव के लिए टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ शेष राशि उद्घाटन के बाद से नकारात्मक हैं। चूंकि लंबे समय से सामग्री और सेवाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से आयात से संबंधित चालान बुक नहीं किए गए हैं और यहां तक कि विक्रेता में पुराने डेबिट शेष सहित विक्रेता को अग्रिम भी। बोइंग/एमएमडी विभाग से चालान प्राप्त नहीं होने के कारण सामग्री या सेवाओं के एक वर्ष से अधिक समय बाद कई मामलों में चालान बुक किए गए हैं।
2.	अचल संपत्तियों का पूंजीकरण अधिग्रहण की तिथि या उपयोग की तिथि पर नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में संपत्ति का पूंजीकरण वर्ष के अंत में किया जाता है और अचल संपत्तियों में वृद्धि के मामले में पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया जाता है। कंपनी के पास परिसंपत्तियों के पूंजीकरण मूल्य की उचित प्रणाली नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में परिसंपत्तियों की खरीद के समय आकस्मिक व्यय के परीक्षण जांच मूल्य का उचित हिसाब नहीं रखा जाता है और एक मामले में चालान मूल्य में बेमेल के कारण खरीद आदेश पर अचल संपत्ति का पूंजीकरण किया गया था। परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में अधिशेष और अज्ञात मदें हैं जिनमें से 4,59,18,152.27/– रुपए इन्वेंट्री में समायोजन के साथ पूंजीकृत किए गए हैं। हम सत्यापन करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ परिसंपत्तियाँ काफी पुरानी हैं जिनका अब तक मूल्यह्रास हो चुका होगा और अज्ञात मदों के लिए कार्रवाई लंबित है।
3.	एमएसएमई विक्रेताओं के भुगतान और ब्याज की प्रयोज्यता को मैन्युअल आधार पर बनाए रखा जाता है क्योंकि सैप के पास पहचान की पूरी प्रणाली है जो चालू नहीं है। इसलिए, हम एमएसएमई भुगतान और ब्याज को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।
4.	कंपनी ने सैप द्वारा तैयार रिपोर्ट से मैन्युअल रूप से एजिंग की गणना की है, एक ही ग्राहक खाते में कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां हैं। चूंकि ग्राहकों से खातों की पुष्टि की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम एजिंग रिपोर्ट को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

5.	चालू वर्ष के बिलिंग में से वार्षिक आधार पर गैर–बिलित राजस्व की पहचान की जाती है, जिसे दो तरीकों से डेबिट किया जाता है, एक सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट करके और दूसरा बकाया वसूलियों में अनबिलित राजस्व को सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाता है, जहां इसे एक अलग शीर्ष में और तिमाही आधार पर हिसाब में रखना चाहिए, जबकि बेहतर नियंत्रण के लिए वार्षिक की मौजूदा प्रथा है। वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता सस्पेंस ऋण आदेश आईएएफ एसईएसएफ (रुपये 53,83,77,810.05/–) के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखा–जोखा नहीं रखा गया। 1956056851.98/– रुपये में से बिल रहित राजस्व दर्ज किया गया, जिसमें से 149218039.28/– रुपये पिछले वर्ष से संबंधित है। इस सिस्टम त्रुटि को रैमको/ सैप में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी बिलिंग नहीं हो पाई।
6.	कंपनी ने एमआईएएल और अन्य हवाईअड्डों से भूमि पट्टे के अधिकार लिए हैं, जहां किराए और इसकी देयता के लिए समझौतों में तय नहीं है। कंपनी ने एमआईएएल के 395826315.36/– रुपये के प्रावधान को उलट दिया है और वर्ष 2023–24 के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया है क्योंकि कंपनी की ऐसी आय एमआईएएल को देय किराए की सीमा तक बढ़ा दी गई है। कंपनी खर्चों का प्रावधान भी कर रही है और सीधे व्यय खाते में जमा कर रही है, जबकि इसे प्रावधान के अलग खाते में बनाए रखा जाना चाहिए। बैलेंस शीट के अनुसार प्रावधान की राशि में वर्ष के दौरान प्रदान किए गए और समायोजित किए गए वर्षवार व्ययों का विवरण नहीं है।
7.	ग्राहक और विक्रेता खातों में अलग–अलग लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट का शुद्ध बैलेंस वसूली योग्य या देय के रूप में दिखाया जाता है। पार्टियों के बीच सामंजस्य के अभाव में हम इसकी प्राप्ति और देय भुगतान पर पुष्टि और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी को तैयार करने का उत्तदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन तथा शेयरधारकों से संबंधित जानकारी शामिल है, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन समापन प्रस्तुत नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अन्य जानकारी में वस्तुतः असंगतता है तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना होगा। इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरादयित्व

अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण मानकों के अनसुरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस दायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन लागू करना, युक्तियुक्त तथा विवेकाधिकार निर्णय लेना एवं प्राक्कलन करना, सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत वाले तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलती के

परे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता तथा परिपूर्णता के निर्धारण के लिए प्रभावी तौर पर प्रचलित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव भी शामिल है।

जब तक की निदेशक मंडल या तो कंपनी का परिसमापन करने या फिर प्रचालन बंद करने के लिए इच्छुक न हो अथवा ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न होने तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में गोईंग कंन्सर्न के रुप में कंपनी की योग्यता को बनाए रखने का निर्धारण, गोईंग कंन्सर्न से संबंधित यथा लागू मामलों का प्रकटन तथा लेखाकरण के गोईंग कंन्सर्न आधार का उद्योग करने के लिए निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

धोखाधड़ी अथवा कपट के कारण वित्तीय विवरण संपूर्णतः तथ्यपरक गलती से परे है, इसके बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जिसमें हमारा मत शामिल है, को जारी करना हमारा प्रयोजन है। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लेखाकरण के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा महत्वपूर्ण तथ्यपरक गलती होने का सदैव पता लगाएगी। तथ्यपरक गलती धोखा अथवा त्रुटि के कारण हो सकता है तथा महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल अथवा सामूहिक तौर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर युक्तियुक्त रुप से प्रभाव डाल सकता है।

लेखा मानकों के अनुसरण में एक लेखापरीक्षक के रुप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं तथा लेखापरीक्षा के आरंभ से अंत तक व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हमारे द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य भी पूरे किए जाते हैः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की, कपट अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलतियों की पहचान तथा ज़ोखिमों का निर्धारण करना, उन ज़ोखिमों के प्रत्युत्तरदायिता में लेखापरीक्षा को डिज़ाईन तथा निष्पादित करना एवं लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हो। कपट के परिणामस्वरुप होने वाली तथ्यपरक गलती के पता न लगाए जाने की ज़ोखिम गलती से पता न लगने की तुलना में अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, ज़ालसाज़ी, इरादतन चूक, अन्यथा–कथन अथवा नियंत्रण का अभिभाव समाहित हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरुप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाईन किया जा सके। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3)(i) के अधीन कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के स्थापित होने तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता पर राय प्रकट करने के लिए भी हम उत्तरदायी है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटनों की युक्तियुक्तता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के गोइंग कर्न्सन आधार का प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर गोइंग कर्न्सन के तौर पर कंपनी के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकने वाली घटनाओं अथवा शर्तों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है अथवा नहीं इसका निष्कर्ष निकालना हमारे द्वारा महत्वपूर्ण अनिश्चितता के होने का निष्कर्ष निकाले जाने पर वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अथवा ऐसे प्रकटनों के अपर्याप्त होने की स्थिति में हमारी राय रुपांतरित करना हमारे लिए आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा शर्तें गोइंग कर्न्सन के तौर पर कंपनी का बने रहना समाप्त करा सकेगी।

- प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय–वस्तु तथा वित्तीय विवरण मूलाधार संव्यवहारों एवं घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के तौर पर दर्शाते हैं अथवा नहीं इसका मूल्यांकन करना।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ऐसे गलत विवरण शामिल है जो अकेले या सामूहिक रूप से, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हम (i) लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र को निर्धारित करने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी तथ्यपरक गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री तथा गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान देते है।

अन्य मामलों के अलावा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई कुछ महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्य–क्षेत्र तथा समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में हम शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनके साथ संप्रेषण करते है।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें हम स्वंतत्रता के बारे में संबंधित नीतिपरक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे द्वारा संकलित किया गया एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं तथा हमारे स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त रुप से दबाव डाल सकने वाले सभी संबंधित तथा अन्य मामले एवं जहां लागू हो, संबंधित संरक्षोपाय उन सभी को संप्रेषित करते हैं।

शासन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें संप्रेषित मामलों में से विद्यमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे उनका हम निर्धारण करते हैं तथा इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन हमारे द्वारा तब तक किया जाता है जब तक कि विधि अथवा विनियम द्वारा मामले पर सार्वजनिक प्रकटन प्रतिबाधित न किया जाए अथवा तथा जब अत्यंत विरल परिस्थितियो में हमारे द्वारा निर्धारण किया जाता है कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हितलाभों से युक्तियुक्त तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा होती है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम **अनुलग्नक–क** में लागू होने की सीमा तक आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि बल और प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हमारे मत के मद्देनजरः

   क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार अपेक्षित थे।

   ख) जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के मद्देनजर विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं।

   ग) तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के साथ हैं।

   घ) हमारी राय में, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधन के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

ड़) सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों से, निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05/06/2015 के परिपत्र संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी को छूट प्राप्त है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उपयुक्तता और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग कुशलता संबंध में **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनात्मक कुशलता पर अपरिवर्तित मत प्रकट करती है।

छ) एमसीए केदिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

ज) हमें खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियां मिली हैं, इसलिए हमने इस रिपोर्ट के अनुलग्नक बी के मुख्य लेखापरीक्षा मामले और बिंदु–V में उल्लिखित टिप्पणी की है।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :–

i. कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट 22 दखें;

ii. कंपनी के अनुसार व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि ठेकों पर कोई पूर्वानुमानित महत्वपूर्ण हानि नहीं है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. क) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस अर्थ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कोई भी निधि अग्रिम या उधार के रूप में या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या कोई अन्य स्रोत या धन से), कि मध्यस्थ,

- पक्ष द्वारा या उनकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें (अंतिम मध्यस्थ), या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करना, तथा

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (वित्त पोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई निधि प्राप्त नहीं की है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष या उसकी ओर से किसी भी तरीके (अंतिम मध्यस्थ) में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें।
- अंतिम लाभार्थीय से या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या समान प्रकार की निधि प्रदान करें।

ग) उक्त परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उचित मानी जाने वाली ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड iv (क) और iv (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने इस वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है, इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में हम रिपोर्ट करते है कि :–

क) क्या कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है?

यदि हां, तो लेखा कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर संसाधित करने का, वित्तीय प्रभावों सहित, लेखा आकलन पर होने वाले परिणाम को, यदि कोई हो, बताया जाए।

हां, निम्नलिखित के अलावा, कंपनी के पास सारे लेखा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था हैः–

- कंपनी के पास खातों के रखरखाव के लिए सैप और बिलिंग, सामग्री प्रबंधन और इन्वेंट्री के लिए रैमको है। रैमको सॉफ्टवेयर में सामग्री की आवाजाही का डेटा ठीक से नहीं रखा जाता है, जिससे रिकॉर्ड लीक होने/चोरी होने की संभावना रहती है और सॉफ्टवेयर की बुनियादी रिपोर्ट भी सही नहीं होती हैं और वास्तविक समय के आधार पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। कंपनी को सभी रिपोर्ट कंसल्टेंट से लेनी होती हैं और रिपोर्ट लेने और क्रॉस चेक करने के लिए कोई इन–हाउस सिस्टम नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर के डेटा के एकीकरण की भी समीक्षा की आवश्यकता है। पास की गई अधिकांश प्रविष्टियों में इसके साथ संलग्न सहायक जानकारी नहीं है। इस संबंध में सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- कंपनी ने बहुत सारी डुप्लिकेट/सुधार प्रविष्टियाँ पास की हैं और हमारी ऑडिट अवधि के दौरान दिनांक 31 मार्च 2024 को पिछली तारीख में महत्वपूर्ण संख्या में प्रविष्टियाँ पोस्ट की गई हैं।
- कंपनी के पास अंतर–कंपनी शेष राशि पर ब्याज की गणना की कोई प्रणाली नहीं है। इसे मैनुअली किया जाता है।

ख) क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा विद्यमान ऋण या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामलों की पुनःसंरचना की गई है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। अतः वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि का अभित्याग/बट्टे खाते में डालने से संबंधित कोई मामला नहीं है।

ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से योजनाओं के लिए कोई प्राप्त/प्राप्य निधि नहीं है।

कृते और की ओर से

एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739एन

सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 25086306BMJPGQ3089

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 26.03.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–क

हमारी समतिथिक रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैरा–I में संदर्भित

i) (क) कंपनी अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और मूर्त संपत्ति की स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाया गया हैं,

ii) कंपनी के स्वामित्व में कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए इससे संबंधित पैरा लागू नहीं होते हैं।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास दो वर्ष में एक बार मूर्त संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विद्यमानप है। मूर्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक पेशेवर फर्म द्वारा किया गया है।

(ग) अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जो कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित पट्टा समझौते के साथ कंपनी द्वारा पट्टे पर दिए गए हैं), वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए कंपनी के नाम पर नहीं हैं। अचल संपत्तियों से संबंधित शीर्षक विलेखों का ब्यौरा, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, निम्नानुसार हैः–

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर धारित है	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनका संबंधी या कर्मचारी हो	धारण की अवधि – रेंज दर्शाएं जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारण न करने का कारण*
पीपीई					
क. भूमि	208.54	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2021	वित्तीय विवरणों के नोट 2(क).1 का संदर्भ लें
ख. भवन	2654.47	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	08.04.2021	वित्तीय विवरणों के नोट 2(क).1 का संदर्भ लें
ख. जेट 9डी टेस्ट आउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड	नहीं	01.04.2019	वित्तीय विवरणों के नोट 2(क)..2 का संदर्भ लें

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया दो वर्ष में एक बार की जाती है। लेकिन प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इसलिए, हम प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया की उपयुक्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हम इन्वेंटरी सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए समग्र रूप से लेखाबहियों में इसके परिणामी प्रभाव पर 10% या उससे अधिक की किसी भी विसंगतियों पर टिप्पणी करने में भी असमर्थ हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान चालू संपत्ति की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(1)(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक और किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है और कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लागू होने वाली सीमा तक किसी भी जमा राशि या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(अ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) (क) कंपनी की लेखाबहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमने देखा है कि कंपनी, टीडीएस, जीएसटी और भविष्य निधि को छोड़कर कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित थी। कंपनी ने इस तरह के सभी अविवादित बकायों को वर्ष के अंत तक चुका दिया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात 31 मार्च 2024 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की बकाया सांविधिक बकाया राशि निम्नानुसार है:

सांविधिक देय राशियों की प्रकृति	**दिनांक 31 मार्च 2024 को 6 माह से अधिक के लिए बकाया राशि (मिलियन रूपए में)**
माल और सेवाकर पर ब्याज	28.78
वेट	3.67
पीएफ	9.09

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल न किए गए विदेशी व्यापार क्षेत्र के संबंध में वैधानिक बकाया, यदि कोई हो, चूंकि रिकॉर्ड संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों में बनाए रखा जाता है, जो सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि बकाया राशि समय पर जमा की गई है या नहीं ।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण कंपनी द्वारा वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टीडीएस / आयकर	मांग राशि (मिलियन)
	2015–16	टीडीएस	28.41
	2016–17	टीडीएस	44.60
	2017–18	आयकर	63.58
	2018–19	टीडीएस	184.58
	2019–20	टीडीएस	323.77
		कुल	**644.74**

'उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2024 तक का ब्याज 314.55 करोड़ रुपयेहोगा।

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व की अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था।

तथापि, पूर्व अवधि की आय 149.22 मिलियन रुपए तथा पिछले वर्ष 175.66 मिलियन रुपए थी, जिसे चालू वर्ष में दर्ज किया गया है। (लेखा नोट के लिए नोट संख्या 24 देखें)।

(ix) (क) कंपनी ने किसी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक समग्र जांच पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई है।

(ड.) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, आदेश के खंड (ix)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) (क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्राथमिक आबंटन या निजी प्लेसमेंट किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर वर्ष के दौरान ध्यानार्थ या रिपोर्ट किया गया कोई धोखाधड़ी या कोई भौतिक धोखाधड़ी कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) वर्ष के दौरान, लागत लेखापरीक्षक/सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट या हमारे द्वारा केन्द्रीय सरकार के कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–13 के तहत निर्धारित के रूप में फॉर्म एडीटी –4 में दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा गया है।

(xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(vii)(क),(ख) और (ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा–177 और 188 के अनुपालन में हैं, और इसके विवरणों को वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं है।

(ख) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक, रिपोर्ट का अनुपालन लंबित था और इसलिए वित्तीय विवरणों पर कोई परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(xv) कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ और अपने निदेशकों से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई भी गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, इस आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–1ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड(xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) जैसा कि प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है, कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में निहित समूह की परिभाषा के अनुसार समूह के पास एक से अधिक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष में और तत्काल पूर्व के पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है। तुलन पत्र की तिथि को, मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते

हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां जब भी वे देय हों, कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(xx) (क) कंपनी को अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xx)(क) और (ख), कंपनी पर लागू नहीं हैं!

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते और की ओर से

एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739एन

सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 25086306BMJPGQ3089

स्थान :फरीदाबाद
दिनांक : 26.03.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर समतिथिक ''हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2(च) में संदर्भित''

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (क) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोटिंर्ग (मार्गदर्शी नोट) पर आतंरिक वित्तीय नियत्रंणों की लखेापरीक्षा की मागर्दर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, सामग्री में महत्वपूर्ण कमी की जोख़िम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। वित्तीय विवरणों में धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोख़िम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाईन की गई प्रक्रिया। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित होते हुए युक्तिसंगत वर्णन के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती है। (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए है तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं, ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं। (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम का समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

दुर्भिसंधि की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या फिर कपट के परिणामस्वरूप विवरणों में व्यापक गलती हो सकती है तथा उनका पता नहीं चल सकता। आगे की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है।

हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई :

i) कंपनी के पास, प्रविष्टियों के समय पर लेखाकरण, की कोई प्रभावी प्रणाली विद्यमान नहीं थी ताकि लेखांकन प्रविष्टियों के दोहरीकरण/संशोधन को रोका जा सके। सैप में अकाउंटिंग बुक को फ्रीज नहीं किया जाता है क्योंकि बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कुछ प्रविष्टियां पास की जाती हैं। एक साल के वित्तीय विवरण को फ्रीज करने और प्रविष्टि अधिकारों को पास करने का आंतरिक नियंत्रण एक व्यक्ति के पास होता है, जिसे वरिष्ठ पद के व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने के लिए जांच की आवश्यकता होती है।

ii) बेहतर नियंत्रण प्रक्रिया के लिए मेकर चेकर प्रक्रिया होनी चाहिए। 5,99,27,09,319.87/– रुपये (सैप दस्तावेज संख्या 8103013661) की एक एकल प्रविष्टि पास की गई और फिर रिवर्सल द्वारा सही की गई, जिसे अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जांचा जाना चाहिए था। बहुत सारी दोहरावदार सुधारात्मक प्रविष्टियाँ हैं जिनसे बचना चाहिए।

iii) सैप में अधिकांश प्रविष्टियां और अन्य समूह कंपनियों द्वारा वहन किए गए खर्चों से संबंधित प्रविष्टियां और फिर कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई प्रविष्टि की वैधता की जांच करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।

iv) कंपनी के पास अन्य पक्षों के साथ शेष राशि के मिलान की प्रभावी प्रणाली नहीं थी।

v) कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा की जाती है, जिसमें लेखापरीक्षा कार्य का दायरा, कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय के आकार और मात्रा के अनुसार संपूर्ण नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन अभी भी लंबित है और इसलिए, हम कंपनी की लेखा बहियों में किसी भी परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारा सुझाव है कि अनुपालन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित अंतराल पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।

मुख्य कमी

''मुख्य कमी'' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समयानुसार निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश लेख में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा सौंपी गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंण पर आधारित दिनांक 31 मार्च 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त और कुशल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुरक्षण किया है।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित मुख्य खामियों पर विचार किया है और ये मुख्य खामियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते और की ओर से

एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739एन

सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 25086306BMJPGQ3089

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक :26.03.2025

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए दिशा–निर्देश का अनुपालन किया है।

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007739एन

ह/–
सीए अजय के. बजाज
भागीदार
सदस्यता सं. 86306
यूडीआईएन– 25086306BMJPGQ3089

स्थानः फरीदाबाद
दिनांक :26.03.2025

****

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

मामले पर बल हेतु एआईईएसएल की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (4), धारा 177 और धारा 178 की छूट के लिए लोक उद्यम विभाग को दिनांक 01.09.2020 को पत्र लिखा है। लोक उद्यम विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है।	यह तथ्यात्मक विवरण है। कंपनी अधिनियम 2013, धारा 149(4) और 178 के अनुसार तथा नियम 4(2) के अनुसार, कंपनी को एक असूचीबद्ध कंपनी तथा एआईएएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 2010 पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई में क्रमशः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने दिनांक 01.09.2020 के पत्र संदर्भ संख्या एआईईएसएल/सीएस/एचक्यू/25 तथा दिनांक 10.05.2024 के मेल द्वारा अनुस्मारक के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए डीपीई को आवेदन किया है। उक्त पत्र पर डीपीई से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।
2.क) इन्वेंटरी पर भारतीय लेखा मानक–2 के पैरा–9 के अनुसारः एआईईएसएल बिलिंग, सामग्री संचलन, इन्वेंट्री के लिए खातों को बनाए रखने के लिए रैमको सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है और वित्तीय खातों को सैप पर बनाए रखा जाता है जो आपस में जुड़ा नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर स्वतंत्र डेटा पर काम करते हैं जबकि रैमको प्राइम डेटा है जो विमान इन्वेंट्री बनाए रखता है और गैर–विमान इन्वेंट्री केवल सैप में बनाए रखा जाता है। लेखांकन प्रविष्टियों के लिए रैमको डेटा को स्वचालित प्रक्रिया द्वारा सैप में खींचा जाता है और डेटा के समाधान की कोई प्रक्रिया नहीं है। बैलेंस शीट के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का मूल्य सैप सॉफ्टवेयर से लिया गया है और दोनों सॉफ्टवेयर में प्रारंभिक शेष के बिना वर्ष 2023–24 में 9,15,68,819.56/– रुपये का अंतर है जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सैप जीआरआईआर और आपूर्तिकर्ता सस्पेंस समाधान का स्वचालित डेटा प्रविश्टि नियंत्रण भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता। मार्च 2024 के अंत तक सैप के अनुसार इन्वेंट्री 683958784.58/– रूपए है, जिसमें पिछले वर्ष से जारी 50 करोड़ की असत्यापनीय इन्वेंट्री का प्रावधान है। कुछ मामलों में रैमको सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा का विवरण नकारात्मक है जबकि मूल्यांकन के लिए मात्रा सकारात्मक मूल्य दिखाती है। इन्वेंट्री के किसी भी क्रॉस/भौतिक सत्यापन और रैमको और सैप इन्वेंट्री मूल्य रिपोर्ट के गैर–समायोजन डेटा के अभाव में भरोसा नहीं किया जा सकता है। मूल्य के समायोजन की अनुपस्थिति में, हम कंपनी के लाभ, संपत्ति और देनदारियों के आंकड़े पर उपरोक्त के प्रभाव के लिए टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ शेष राशि उद्घाटन के बाद से नकारात्मक हैं। चूंकि लंबे समय से सामग्री और सेवाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से आयात से संबंधित चालान बुक नहीं किए गए हैं और यहां तक कि विक्रेता में पुराने डेबिट शेष सहित विक्रेता को अग्रिम भी। बोइंग/एमएमडी विभाग से चालान प्राप्त नहीं होने के कारण सामग्री या सेवाओं के एक वर्ष से अधिक समय बाद कई मामलों में चालान बुक किए गए हैं।	क) वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिकांश इन्वेंटरी तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) द्वारा कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी (लगभग 415.59 मिलियन रुपये)। यह केवल बुक ट्रांसफर था, और कोई भौतिक हैंडओवर–टेकओवर नहीं हुआ था। रैमको और सैप सॉफ्टवेयर दोनों को सितंबर 23 तक पूर्व होल्डिंग कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया गया था। इसके अलावा, एआईईएसएल के लिए सामग्री प्रबंधन कार्यों का भी एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्वहन किया जा रहा था। सामग्री मास्टर्स, जीएल मास्टर्स का कॉन्फिगरेशन, रैमको से सैप तक सूचना का प्रवाह आदि भी एयर इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और तत्कालीन होल्डिंग कंपनी के ईआरपी प्रबंधक/सलाहकारों द्वारा प्रबंधित किया गया था। इसके अलावा, वित्त टीम में एआईएल कार्मिक भी शामिल थे, जिन्हें एआईईएसएल में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था। काफी समय तक इन्वेंट्री आइटम का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कई आइटम, जो संपत्ति की प्रकृति के थे, उन्हें भी इन्वेंट्री में शामिल किया गया था। उपयोगकर्ताओं के बीच कुछ असंगत प्रथाएँ विकसित हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री अकाउंटिंग और बैलेंस में और असंतुलन और बेमेल हो गए। कई वर्षों तक भौतिक और बुक बैलेंस के बीच सामंजस्य स्थापित न होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चालू वर्ष के दौरान, समस्या के समाधान के लिए कुछ कार्रवाई की गई। इनमें शामिल हैं: i) एआईईएसएल ने अक्टूबर 2023 से स्वतंत्र रैमको और सैप सलाहकार को नियुक्त किया। ii) एआईईएसएल में अलग से सामग्री प्रबंधन विभाग स्थापित किया गया है।

ख. इन्वेंटरी को लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर मापा जाएगा। कंपनी ने वर्ष के दौरान भारित औसत लागत पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया है। वर्ष के अंत में इन्वेंटरी का मूल्यांकन इंड एएस–2 के अनुसार नहीं किया गया है। इसलिए, हम इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	iii) रैमको, एमएमडी टीम के साथ नियमित बातचीत के लिए एआईएल से सेवानिवृत्त एक समर्पित वित्त व्यक्ति को नियमित निगरानी और सुधार के लिए नियुक्त किया गया है। iv) उपयोगकर्ताओं को सख्त सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों द्वारा लाए गए स्पेयर/सामग्री को एआईईएसएल इन्वेंट्री में शामिल न करें। v) इन्वेंट्री में पहले शामिल की गई वस्तुओं को 2022–23 और 2023–24 के दौरान पूंजीकृत किया गया है। 2024–25 के लिए आगे की कार्रवाई भी प्रगति पर है। vi) रैमको में उचित नियंत्रण स्थापित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रैमको में दर्ज किए गए लेन–देन की सभी लेखा प्रविष्टियाँ बिना किसी अपवाद के सैप में पोस्ट की जाएँ। vii) इन्वेंट्री के मूल्य में किसी भी कमी का ध्यान रखने के लिए 50 करोड़ रुपये (2022–23 में बनाया गया) का मौजूदा प्रावधान बनाए रखा गया है। viii) इन्वेंट्री आइटम का सही मूल्य स्थापित करने के लिए 31 मार्च 2025 को सभी स्टेशनों पर सभी इन्वेंट्री आइटम का भौतिक सत्यापन करने की योजना बनाई गई है। उपरोक्त कार्रवाइयों से, यह उम्मीद की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान मुद्दों का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। रैमको में सामग्री की प्राप्ति के समय प्राप्त सामग्री के लिए देयता दर्ज की जाती है। ऐसी प्रविष्टियाँ एक मध्यवर्ती खाते में जमा की जाती हैं और बाद में चालान प्राप्त होने पर विक्रेताओं के खाते में चली जाती हैं। ख) इन्वेंट्री पर इंड एएस–2 के पैरा 9 के अनुसार "इन्वेंट्री को लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा।" हालांकि, पैरा 21 लागत के मापन के लिए तकनीक के अनुसार, इन्वेंट्री की लागत के मापन के लिए तकनीक, जैसे कि मानक लागत विधि या खुदरा विधि, का उपयोग सुविधा के लिए किया जा सकता है यदि परिणाम लागत के करीब हों। मानक लागत में सामग्री और आपूर्ति, श्रम, दक्षता और क्षमता उपयोग के सामान्य स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर संशोधित किया जाता है।

	इसके अलावा, पैरा 25 लागत सूत्र के अनुसार, पैराग्राफ 23 में बताए गए इन्वेंट्री की लागत (पैरा – 23 उन वस्तुओं की इन्वेंट्री की लागत जो आम तौर पर विनिमेय नहीं हैं और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उत्पादित और अलग किए गए सामान या सेवाओं को उनकी व्यक्तिगत लागतों की विशिष्ट पहचान का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जाएगा।) को छोड़कर, पहले–आए, पहले–जाए (एफआईएफओ) या भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्दिष्ट किया जाएगा। एक इकाई सभी इन्वेंट्री के लिए एक ही लागत सूत्र का उपयोग करेगी जिसका इकाई के लिए समान प्रकृति और उपयोग है। एक अलग प्रकृति या उपयोग वाली इन्वेंट्री के लिए, अलग–अलग लागत सूत्र उचित हो सकते हैं। हमारे द्वारा इन्वेंट्री का मूल्यांकन अनुमति के अनुसार भारित औसत के आधार पर किया गया है।
3. अचल संपत्तियों का पूंजीकरण अधिग्रहण की तिथि या उपयोग की तिथि पर नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में संपत्ति का पूंजीकरण वर्ष के अंत में किया जाता है और अचल संपत्तियों में वृद्धि के मामले में पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया जाता है। कंपनी के पास परिसंपत्तियों के पूंजीकरण मूल्य की उचित प्रणाली नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में परिसंपत्तियों की खरीद के समय आकस्मिक व्यय के परीक्षण जांच मूल्य का उचित हिसाब नहीं रखा जाता है और एक मामले में चालान मूल्य में बेमेल के कारण खरीद आदेश पर अचल संपत्ति का पूंजीकरण किया गया था। परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में अधिशेष और अज्ञात मदें हैं जिनमें से 4,59,18,152.27/– रुपए इन्वेंट्री में समायोजन के साथ पूंजीकृत किए गए हैं। हम सत्यापन करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ परिसंपत्तियाँ काफी पुरानी हैं जिनका अब तक मूल्यह्रास हो चुका होगा और अज्ञात मदों के लिए कार्रवाई लंबित है।	परिसंपत्ति पूंजीकरण विक्रेता के चालान के भुगतान से अलग प्रक्रिया है और कार्रवाई एक अलग अनुभाग द्वारा की जाती है। आम तौर पर अधिग्रहण की तारीख, भुगतान की तारीख और पूंजीकरण की तारीख के बीच अंतर होता है क्योंकि विक्रेता चालान, सामग्री विवरण और परिसंपत्ति कोड सहित सामग्री रसीद और साथ ही आकस्मिक लागत जैसे कस्टम ड्यूटी, हैंडलिंग शुल्क आदि जैसे विवरण विभिन्न स्रोतों पर उपलब्ध होते हैं और उन्हें एकत्र करने और मिलान करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान, प्रक्रिया को पूरा करने में देरी हुई। हालाँकि, इसे निर्धारित लेखांकन प्रक्रियाओं और मानकों के अनुसार पूरा किया गया। कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, नोट संख्या 2 (क)–2 (ii) के अनुसार विधिवत प्रकटन किया गया है ''परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास अधिग्रहण के पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जैसा कि नोट 2(ए)–iv के अनुसार बताया गया है, कुछ परिसंपत्तियों (आयातित उपकरण) के संबंध में, कंपनी ने अनुमान के आधार पर 0.64 मिलियन रूपए के लिए माल ढुलाई और हैंडलिंग शुल्क को पूंजीकृत किया है, जो कि भारतीय लेखा मानक 16 पर शैक्षिक सामग्री के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या–10 के अनुरूप है। कंपनी ने क्रय आदेश (यूएसडी 11,361) की तुलना में विक्रेता के कुछ चालान मूल्यों में बेमेल के कारण क्रय आदेश के मूल्य के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत किया है, क्योंकि परिसंपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं और उपयोग में आ चुकी हैं, लेकिन चालान आदि में विसंगतियों के कारण कंपनी द्वारा विक्रेता को भुगतान किया जाना बाकी है। इसका खुलासा नोट 2(क)v में किया गया है

	परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के दौरान, कुछ उपकरणों की पहचान अधिशेष के रूप में की गई है। चूंकि इनमें से कुछ अधिशेष आइटम इन्वेंट्री का हिस्सा पाए गए थे, इसलिए उन्हें इन्वेंट्री से हटा दिया गया है और रैमको सॉफ्टवेयर में दिखाई देने वाले ऐतिहासिक मूल्य को पूंजीकृत किया गया है। शेष अधिशेष वस्तुओं के लिए, उपयुक्त समायोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई आगामी वर्षों में की जानी है, साथ ही इन्वेंट्री मदों का समाधान/सत्यापन भी किया जाना है। इसका खुलासा नोट संख्या 2(क)iii में किया गया है।
4. एमएसएमई विक्रेताओं के भुगतान और ब्याज की प्रयोज्यता को मैन्युअल आधार पर बनाए रखा जाता है क्योंकि सैप के पास पहचान की पूरी प्रणाली है जो चालू नहीं है। इसलिए, हम एमएसएमई भुगतान और ब्याज को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड एमएसएमई/ एमएसई स्थिति सहित सभी विक्रेता विवरणों वाले केंद्रीकृत विक्रेता मास्टर का रखरखाव कर रहा था। एक समर्पित टीम विक्रेता मास्टर का प्रबंधन कर रही थी। एआईईएसएल में विक्रेता मास्टर का प्रबंधन करने वाली कोई समर्पित सैप टीम नहीं है, इसलिए सैप में विक्रेता डेटा सभी विवरणों के साथ अपडेट नहीं किया जा सकता है। उसी के मद्देनजर, पीपीएमएम विभाग द्वारा बनाए गए एमएसएमई विक्रेता के विवरण पर ब्याज के प्रावधान के लिए भुगतान में देरी के मामलों की पहचान करने के लिए विचार किया जाता है। सैप में विक्रेता डेटा को अपडेट करने के लिए एक प्रणाली लगाने का प्रयास किया जाएगा।
5. कंपनी ने सैप द्वारा तैयार रिपोर्ट से मैन्युअल रूप से एजिंग की गणना की है, एक ही ग्राहक खाते में कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां हैं। चूंकि ग्राहकों से खातों की पुष्टि की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम एजिंग रिपोर्ट को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	कुछ ग्राहक खातों में ओपन डेबिट और क्रेडिट लाइन आइटम दोनों मौजूद हैं। आयु की गणना करने के उद्देश्य से, उन्हें एफआईएफओ आधार पर मैन्युअल रूप से समायोजित किया गया है। यह भी नोट संख्या 6.1 (ii) के माध्यम से खुलासा किया गया है।
6. चालू वर्ष के बिलिंग में से वार्षिक आधार पर गैर–बिलित राजस्व की पहचान की जाती है, जिसे दो तरीकों से डेबिट किया जाता है, एक सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट करके और दूसरा बकाया वसूलियों में अनबिलित राजस्व को सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाता है, जहां इसे एक अलग शीर्ष में और तिमाही आधार पर हिसाब में रखना चाहिए, जबकि बेहतर नियंत्रण के लिए वार्षिक की मौजूदा प्रथा है। वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता सस्पेंस ऋण आदेश आईएएफ एसईएसएफ (रुपये 53,83,77,810.05/–) के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखा–जोखा नहीं रखा गया। 1956056851.98/– रुपये में से बिल रहित राजस्व दर्ज किया गया, जिसमें से 149218039.28/– रुपये पिछले वर्ष से संबंधित है। इस सिस्टम त्रुटि को रैमको/ सैप में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी बिलिंग नहीं हो पाई।	31 मार्च तक अर्जित राजस्व के मामलों में, कंपनी ने अगले वर्ष की पहली तिमाही के दौरान किए गए बिलिंग के मामलों में ग्राहक खाते को डेबिट करके राजस्व को बिना बिल के राजस्व के रूप में दर्ज किया। अन्य मामलों में ग्राहक खाते के बजाय बकाया वसूली डेबिट की जाती है। हालाँकि, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी। अंतर–विभागीय संचार अंतराल के कारण, भारतीय वायु सेना एसईएसएफ उड़ानों को प्रदान की गई आपूर्ति और सेवाओं के लिए बिलिंग कार्रवाई की सलाह देने में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। इस तरह की छूटी हुई बिलिंग की कुल राशि 53.84 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 14.92 करोड़ रुपये 2022–23 से संबंधित थे। इसके लिए आवश्यक बिलिंग कार्रवाई प्रक्रिया में है। भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की गई है।

7. कंपनी के पास कई असंगत कर्मचारी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हैं, जैसे कि दो परीक्षण मामलों में आर. कालीचेलवन के पास 2012 से 1631471.75/– रुपये और एस. डी. ऑगस्टीन दिवाकर के पास2018 से 148276 रुपये हैं, जो वसूली योग्य हैं। कर्मचारियों से कुछ बेमेल प्राप्तियों/वसूली योग्य और कुछ नियंत्रण खाता बही सहित देय राशियों का समाधान और मिलान प्रक्रिया में है।	2021–22 में एअर इंडिया के विनिवेष से पहले, एअर इंडिया द्वारा कंपनी को कई अंतर–कंपनी प्रविष्टियाँ हस्तांतरित की गईं। इनमें से कुछ पिछले वर्षों से संबंधित थीं, जिनके लिए पर्याप्त सहायक विवरण उपलब्ध नहीं थे। श्री आर कालीचेलवन के मामले में 16.31 लाख रुपये की राशि, प्रविष्टि एअर इंडिया द्वारा 2021 में स्थानांतरित की गई थी, जबकि श्री आर. कालीचेलवन वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। मामले को एयर इंडिया लिमिटेड को संदर्भित करने पर, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पास वर्तमान में कोई सहायक विवरण नहीं है। अंतरिम समायोजन के रूप में, इसे वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान खर्चों में चार्ज किया गया है। श्री एस डी ऑगस्टीन दिवाकर के खाते में डेबिट और क्रेडिट राशि दोनों पड़ी हैं और दिनांक 31.03.2024 तक उनके खिलाफ कोई बकाया नहीं है। कर्मचारियों के खिलाफ कुछ और बकाया राशि है जो मुख्य रूप से मेसर्स एयर इंडिया से स्थानांतरण से संबंधित है। पिछले दो वर्षों के दौरान इसे समायोजित/वसूली कर लिया गया है। शेष मदों के लिए कार्रवाई प्रगति पर है। दिनांक 31.03.2024 तक शेष राशि को वर्ष के दौरान व्यय में शामिल कर लिया गया है।
8. कंपनी ने एमआईएएल और अन्य हवाईअड्डों से भूमि पट्टे के अधिकार लिए हैं, जहां किराए और इसकी देयता के लिए समझौतों में तय नहीं है। कंपनी ने एमआईएएल के 395826315.36/– रुपये के प्रावधान को उलट दिया है और वर्ष 2023–24 के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया है क्योंकि कंपनी की ऐसी आय एमआईएएल को देय किराए की सीमा तक बढ़ा दी गई है। कंपनी खर्चों का प्रावधान भी कर रही है और सीधे व्यय खाते में जमा कर रही है, जबकि इसे प्रावधान के अलग खाते में बनाए रखा जाना चाहिए। बैलेंस शीट के अनुसार प्रावधान की राशि में वर्ष के दौरान प्रदान किए गए और समायोजित किए गए वर्षवार व्ययों का विवरण नहीं है।	कब्जे वाली जगह के संबंध में, कंपनी ने संबंधित हवाईअड्डा संचालकों के साथ पट्टा समझौते किए हैं। हालांकि, एएआई के साथ समझौते की अवधि समाप्त हो गई है और नवीनीकरण के लिए लंबित है। एमआईएएल ने मूल रूप से पूर्ववर्ती एअर इंडिया लिमिटेड को भूमि और स्थान पट्टे पर दिया था और एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेष के बाद एआईईएसएल को उसी दर पर बिल दे रहा था। वर्ष 2022–23 में एमआईएएल ने एक मसौदा पट्टा समझौता प्रदान किया, जिसे अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है क्योंकि प्रस्तावित दरें अधिक हैं और एआईईएसएल द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। वर्ष 2022–23 में बढ़े हुए किराए के लिए पुस्तकों में 39.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। चूंकि दरें स्वीकार नहीं की गई हैं, इसलिए वर्ष 2023–24 में कोई नया प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि वर्ष 2022–23 में किए गए प्रावधान संभावित ऊपरी संशोधन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। तदनुसार, 7.70 करोड़ रुपये के पट्टा किराया व्यय को समायोजित करने के बाद, 2022–23 में किए गए प्रावधान में से शेष 31.88 करोड़ रुपये का प्रावधान बही में रखा गया है। कंपनी के पास बैलेंस शीट के अनुसार प्रावधानों का वर्षवार ब्यौरा है।

9. कंपनी के दुबई और काठमांडू में दो विदेशी प्रतिष्ठान हैं, कोई अलग से बही नहीं रखी जाती है और शाखाओं की कोई संपत्ति और देनदारियाँ नहीं हैं। दुबई के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा बैंक स्टेटमेंट के रूप में केवल नकदी प्रवाह बनाए रखा जाता है और काठमांडू के लिए कोई अलग बैंक नहीं है।	काठमांडू के लिए सभी वित्तीय लेन–देन सीधे भारत से ही किए जाते हैं। दुबई में, केवल एक छोटा सा कार्यालय है जो वर्तमान में बंद है। कुछ ग्राहक और बैंक बैलेंस को छोड़कर, कोई अन्य संपत्ति/देयता नहीं है।
10. ग्राहक और विक्रेता खातों में अलग–अलग लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट का शुद्ध बैलेंस वसूली योग्य या देय के रूप में दिखाया जाता है। पार्टियों के बीच सामंजस्य के अभाव में हम इसकी प्राप्ति और देय भुगतान पर पुष्टि और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	ग्राहकों के संबंध में, एयर इंडिया, एयर एक्सप्रेस, एएएएल और कई अन्य ग्राहक खातों जैसे प्रमुख खातों में कुल प्राप्तियों का लगभग 87% शामिल है, जिनका समाधान किया गया है। बैलेंस शीट में दिखाए गए शेष ग्राहक के लिए सभी ग्राहक कोड के तहत डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को नेट करने के बाद ग्राहकवार एकल शेष हैं, जिन्हें एकल शेष माना जाता है। कुछ ग्राहकों के पास कंपनी की पुस्तकों में अलग–अलग जीएल कोड वाले कई खाते हैं, जो मुख्य रूप से जीएसटी आवश्यकता के कारण हैं। प्राप्तियों का लेखा ग्राहक के मुख्य जीएल खाते में किया जाता है और सभी शेष राशि को समूहीकृत किया जाता है। कुछ ग्राहकों और विक्रेताओं ने उत्तर दिया है और जहां भी ग्राहक/विक्रेता शेष राशि बहियों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतर का समाधान प्रगति पर है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हो, से समाधान समाधान पूरा होने तथा उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के वर्ष में निपटा जाएगा।
11. कंपनी ने व्यय के लिए प्रावधान का लेखा–जोखा करते समय स्रोत पर आयकर नहीं काटा है। इस तरह के गैर–अनुपालन के प्रभाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।	कंपनी की लेखा प्रक्रिया के अनुसार, सैप में कोई भी चालान संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमोदन पर बुक किया जाएगा। हालांकि जीएएपी के अनुसार, वर्ष के अंत में कंपनी ने अनुमानित आधार पर उन खर्चों का लेखा–जोखा रखा है, जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया है और जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा, सुबेक्स लिमिटेड बनाम डीसीआईटी (कर्नाटक उच्च न्यायालय) और अन्य विभिन्न उच्च न्यायालयों और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के मामले में निर्णय के अनुसार, यदि भुगतानकर्ताओं की पहचान नहीं की गई है, राशि निश्चित नहीं है और अगले वर्ष प्रावधान उलट दिया जाता है, तो वर्ष के अंत के प्रावधानों पर कोई रोक कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपरोक्त बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों पर टीडीएस नहीं काटा गया है। हालांकि, एसएपी में अनुमोदित चालानों के लेखांकन के समय टीडीएस काटा गया है और जमा किया गया है।

12. कंपनी ने अंतर कंपनियों के औसत शेष पर देय/प्राप्ति योग्य ब्याज की गणना की है। कंपनी ने विभिन्न अंतर कंपनियों के साथ एमएसए के अनुसार ब्याज की गणना नहीं की है।	समूह कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, शुरुआती और समापन शेष के औसत के आधार पर ब्याज लगाया गया है। समूह कंपनियों द्वारा इस प्रथा का लगातार पालन किया जाता है। एमएसए में आवश्यक संशोधन मार्च, 2022 के दौरान ही किए गए हैं।
13. कंपनी ने नोट–36 और नोट संख्या–31 के अनुसार अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा है, क्योंकि उल्लिखित आंकड़े सैप से नहीं हैं और मैन्युअल रूप से काम किए गए हैं, जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता है।	इस उद्देश्य के लिए सैप में कोई मानक रिपोर्ट नहीं है। विवरण संबंधित वर्षों के दौरान दर्ज आय और व्यय के चालान के आधार पर संकलित किए गए हैं।
14. कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस–36 का अनुपालन नहीं किया है।	भारतीय लेखा मानक–16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पैरा–63 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की क्षति हुई है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए, कोई इकाई भारतीय लेखा मानक 36, परिसंपत्तियों की क्षति लागू करती है। यह मानक बताता है कि कोई इकाई अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा कैसे करती है, वह किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण कैसे करती है, और वह कब किसी क्षति हानि को पहचानती है, या उसकी मान्यता को उलट देती है। I. अब भारतीय लेखा मानक 36 संपत्ति की क्षति के अनुसार सबसे पहले इकाई को ऐसी परिसंपत्ति की पहचान करनी होगी जो क्षतिग्रस्त हो सकती है। इस बात के संकेत के लिए कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, इकाई को भारतीय लेखा मानक 36 के पैरा 12 पर विचार करना चाहिए, अर्थात, निम्न में से कम से कम :– **बाहरी कारक** (क) ऐसे अवलोकनीय संकेत हैं कि परिसंपत्तियों के मूल्य में समय बीतने या सामान्य उपयोग के परिणामस्वरूप अपेक्षित अवधि के दौरान काफी अधिक गिरावट आई है। (ख) तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण में जिसमें इकाई संचालित होती है या जिस बाजार के लिए परिसंपत्ति समर्पित है, उस अवधि के दौरान इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, या निकट भविष्य में होने वाले हैं। (ग) बाजार ब्याज दरों या निवेश पर रिटर्न की अन्य बाजार दरों में अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, और उन वृद्धियों से परिसंपत्ति के उपयोग में मूल्य की गणना में उपयोग की जाने वाली छूट दर प्रभावित होने और परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि में भौतिक रूप से कमी आने की संभावना है। (घ) इकाई की शुद्ध परिसंपत्तियों की वहन राशि उसके बाजार पूंजीकरण से अधिक है।

	आंतरिक कारक (ड.) परिसंपत्ति के अप्रचलन या भौतिक क्षति का साक्ष्य उपलब्ध है। (च) इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन अवधि के दौरान हुए हैं, या निकट भविष्य में होने की उम्मीद है, इस सीमा तक या जिस तरीके से परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने की उम्मीद है। इन परिवर्तनों में परिसंपत्ति का निष्क्रिय हो जाना, परिसंपत्ति से संबंधित परिचालन को बंद करने या पुनर्गठित करने की योजना, पूर्व अपेक्षित तिथि से पहले परिसंपत्ति का निपटान करने की योजना और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को अनिश्चित के बजाय सीमित के रूप में पुनर्मूल्यांकन करना शामिल है। (छ) आंतरिक रिपोर्टिंग से साक्ष्य उपलब्ध है जो इंगित करता है कि परिसंपत्ति का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से खराब है या होगा। ख. भारतीय लेखा मानक–36 के पैरा–13 के अनुसार, कोई इकाई अन्य संकेतों की पहचान कर सकती है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है और इसके लिए इकाई को परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने की भी आवश्यकता होगी। क्षति वह राशि है जिससे किसी परिसंपत्ति या नकदी–उत्पादक इकाई की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त संकेतक दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 36 के पैरा 59 के अनुसार, यदि, और केवल यदि, किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दी जाएगी। वह कमी एक हानि है। प्रबंधन की राय के अनुसार, कंपनी के पास केवल एक सीजीयू है, अर्थात एमआरओ सेवा प्रदान करना, तथा कंपनी की पुस्तकों में परिसंपत्तियों की वहन राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से कम हो सकती है।
15. क) कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, प्राप्त जमा, भुगतान की गई जमा और व्यापार देय के समाधान की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम इसकी देय और देय राशि की शुद्धता के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	क) ग्राहकों के संबंध में, एयर इंडिया, एयर एक्सप्रेस, एएएएल जैसे प्रमुख खाते और कई अन्य ग्राहक खाते, जिनमें कुल प्राप्तियों का लगभग 87% शामिल है, का समाधान कर दिया गया है। बैलेंस शीट में दिखाए गए शेष ग्राहकवार एकल शेष हैं, जिन्हें सभी ग्राहक कोड के तहत ग्राहक के डेबिट और क्रेडिट शेष को नेट करने के बाद एकल शेष माना जाता है।

ख) कंपनी वास्तविक समय में ग्राहक के अनुसार 660991189.34/– रुपये के टीडीएस/टीसीएस प्राप्य विवरण नहीं रखती है और विवरण के अभाव में वर्षवार भुगतान समाधान नहीं है। इसके अलावा 9218690/– रुपये के अतिरिक्त कर का वर्षवार ब्योरा भी उपलब्ध नहीं है। कंपनी वित्तीय और एएस–26 के अनुसार स्रोत पर राजस्व और कर कटौती के समाधान की प्रक्रिया में है। वेतन और अन्य के लिए अग्रिम टीडीएस भुगतान हैं जो इतने सालों से 5121512.30/– रुपये अप्रयुक्त हैं। इसका अर्थ है कि टीडीएस के नियमित जमा और टीडीएस की देयता के संबंध में सेट ऑफ के लिए कोई नियंत्रण या प्रक्रिया नहीं है। ग) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआती नकारात्मक देयता 5,70,27,933/– है, जिसमें अभी भी 8,26,31,887/– का समापन शेष है, इसके अलावा जीएसटी खातों का शुद्ध डेबिट शेष 34,27,83,762.19/– है, जो कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया में है। शुरुआती नकारात्मक देयता और अन्य डेबिट शेष काफी पुराने हैं और कोई वर्षवार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।	कुछ ग्राहकों के पास कंपनी की पुस्तकों में अलग–अलग जीएल कोड वाले कई खाते हैं, जो मुख्य रूप से जीएसटी आवश्यकता के कारण हैं। प्राप्तियों को ग्राहक के मुख्य जीएल खाते में दर्ज किया जाता है और सभी शेष राषि को समूहीकृत किया जाता है। कुछ ग्राहकों और विक्रेताओं ने जवाब दिया है और जहां भी ग्राहक/विक्रेता शेष राशि पुस्तकों के अनुरूप नहीं है, वहां अंतर का समाधान प्रगति पर है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हो, को समाधान के पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा। ख) टीडीएस/टीसीएस का लेखा–जोखा ग्राहक के हिसाब से रसीदों के हिसाब–किताब के समय ही किया जाता है, जो ग्राहकों से प्राप्त विवरण के आधार पर होता है। हालांकि, ग्राहकों से विवरण प्राप्त होने में देरी के मामलों में, उनका लेखा–जोखा केवल विवरण प्राप्त होने के समय ही किया जाता है। वर्ष के अंत में, एएस 26 विवरण के आधार पर, शेष राशि के लिए टीडीएस क्रेडिट का भी लेखा–जोखा किया जाता है। ग) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), स्रोत पर कर कटौती और अन्य वैधानिक बकाया कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न और बनाए गए वैधानिक रिकॉर्ड के साथ सामंजस्य में हैं और सामंजस्य से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हो, को सामंजस्य के पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।
16. कंपनी की नीति के अनुसार, पीपीई के भौतिक सत्यापन के लिए, कंपनी ने : क) चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पीपीई (दिल्ली) की संपत्ति टैगिंग षामिल है। फर्म ने दिनांक 11 जुलाई, 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार1.12 मिलियन रूपए डब्ल्यूडीवी वाले 25 अज्ञात आइटम नहीं मिले हैं और 6857 अतिरिक्त आइटम पाए गए हैं। ख) पेशेवर फर्म कोलकाता की दिनांक 22 जुलाई 2024 की रिपोर्ट नहीं मिली 82, और 1059 की अधिकता पाई गई। ग) तिरुवनंतपुरम की दिनांक 15 जुलाई 2024 की रिपोर्ट में 11 नहीं मिली, 1978 की अधिकता पाई गई। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विसंगतियों और अधिकता को समायोजित/लेखांकित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, संपत्ति सूची में दिए गए संपत्ति कोड की पहचान करने के लिए उत्पाद/संपत्ति कोड की अनुपलब्धता के कारण संपत्तियों की संख्या सत्यापित नहीं की जा सकी।	16. (क से ग) परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन और परिणामी अधिशेष/कमी का विवरण लेखा नोट के पैरा 2(क)–iii में दिया गया है।

17. पूर्व अवधि व्यय षून्य और पिछले वर्ष 2022–23 से संबंधित पूर्व अवधि आय 149.22/– मिलियन रुपये वर्ष 2023–24 में बुक की गई है (पी.वाई. पूर्व अवधि आय 175.66/– मिलियन रूपए और पूर्व अवधि व्यय 517.49/– मिलियन रूपए) ।2022–2023 की बहियों को फिर से तैयार किया गया है और संबंधित वर्षों में परिणामी समायोजन/प्रकटीकरण किया गया है।	यह तथ्यों का विवरण है जैसा कि लेखा नोट के नोट–24 में बताया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर प्रबंधन का प्रति उत्तर

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	प्रबंधन का प्रतिउत्तर
1.	एआईईएसएल खातों को बनाए रखने के लिए दो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, बिलिंग, सामग्री आंदोलन, इन्वेंट्री के लिए रैमको और वित्तीय खातों को सैप पर बनाए रखा जाता है जो आपस में जुड़ा नहीं है। दोनों सॉफ्टवेयर स्वतंत्र डेटा पर काम करते हैं जबकि रैमको प्राइम डेटा है जो विमान इन्वेंट्री बनाए रखता है और गैर–विमान इन्वेंट्री केवल सैप में बनाए रखा जाता है। लेखांकन प्रविष्टियों के लिए रैमको डेटा को स्वचालित प्रक्रिया द्वारा सैप में खींचा जाता है और डेटा के समाधान की कोई प्रक्रिया नहीं है। बैलेंस शीट के लिए इन्वेंट्री मूल्यांकन का मूल्य सैप सॉफ्टवेयर से लिया गया है और दोनों सॉफ्टवेयर में प्रारंभिक शेष के बिना वर्ष 2023–24 में 9,15,68,819.56/– रुपये का अंतर है जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सैप जीआरआईआर और आपूर्तिकर्ता सस्पेंस समाधान का स्वचालित डेटा प्रविष्टि नियंत्रण भी कंपनी द्वारा नहीं किया जाता। मार्च 2024 के अंत तक सैप के अनुसार इन्वेंट्री 68,39,58,784.58/– रूपए है, जिसमें पिछले वर्ष से जारी 50 करोड़ की असत्यापनीय इन्वेंट्री का प्रावधान है। कुछ मामलों में रैमको सॉफ्टवेयर के अनुसार मात्रा का विवरण नकारात्मक है जबकि मूल्यांकन के लिए मात्रा सकारात्मक मूल्य दिखाती है। इन्वेंट्री के किसी भी क्रॉस/भौतिक सत्यापन और रैमको और सैप इन्वेंट्री मूल्य रिपोर्ट के गैर–समायोजन डेटा के अभाव में भरोसा नहीं किया जा सकता है। मूल्य के समायोजन की अनुपस्थिति में, हम कंपनी के लाभ, संपत्ति और देनदारियों के आंकड़े पर उपरोक्त के प्रभाव के लिए टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ शेष राशि उद्घाटन के बाद से नकारात्मक हैं। चूंकि लंबे समय से सामग्री और सेवाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन विशेष रूप से आयात से संबंधित चालान बुक नहीं किए गए हैं और यहां तक कि विक्रेता में पुराने डेबिट शेष सहित विक्रेता को अग्रिम भी। बोइंग/एमएमडी विभाग से चालान प्राप्त नहीं होने के कारण सामग्री या सेवाओं के एक वर्ष से अधिक समय बाद कई मामलों में चालान बुक किए गए हैं।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 2(क) में दी जा चुकी है।

2.	अचल संपत्तियों का पूंजीकरण अधिग्रहण की तिथि या उपयोग की तिथि पर नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में संपत्ति का पूंजीकरण वर्ष के अंत में किया जाता है और अचल संपत्तियों में वृद्धि के मामले में पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास लगाया जाता है। कंपनी के पास परिसंपत्तियों के पूंजीकरण मूल्य की उचित प्रणाली नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में परिसंपत्तियों की खरीद के समय आकस्मिक व्यय के परीक्षण जांच मूल्य का उचित हिसाब नहीं रखा जाता है और एक मामले में चालान मूल्य में बेमेल के कारण खरीद आदेश पर अचल संपत्ति का पूंजीकरण किया गया था। परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में अधिशेष और अज्ञात मदें हैं जिनमें से 4,59,18,152.27/– रुपए इन्वेंट्री में समायोजन के साथ पूंजीकृत किए गए हैं। हम सत्यापन करने में असमर्थ हैं क्योंकि कुछ परिसंपत्तियाँ काफी पुरानी हैं जिनका अब तक मूल्यह्रास हो चुका होगा और अज्ञात मदों के लिए कार्रवाई लंबित।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 3 में दी जा चुकी है।
3.	एमएसएमई विक्रेताओं के भुगतान और ब्याज की प्रयोज्यता को मैन्युअल आधार पर बनाए रखा जाता है क्योंकि सैप के पास पहचान की पूरी प्रणाली है जो चालू नहीं है। इसलिए, हम एमएसएमई भुगतान और ब्याज को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 4 में दी जा चुकी है।
4.	कंपनी ने सैप द्वारा तैयार रिपोर्ट से मैन्युअल रूप से एजिंग की गणना की है, एक ही ग्राहक खाते में कई डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां हैं। चूंकि ग्राहकों से खातों की पुष्टि की उचित प्रणाली नहीं है, इसलिए हम एजिंग रिपोर्ट को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 5 में दी जा चुकी है।
5.	चालू वर्ष के बिलिंग में से वार्षिक आधार पर गैर–बिलित राजस्व की पहचान की जाती है, जिसे दो तरीकों से डेबिट किया जाता है, एक सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट करके और दूसरा बकाया वसूलियों में अनबिलित राजस्व को सीधे ग्राहक के खाते में डेबिट किया जाता है, जहां इसे एक अलग शीर्ष में और तिमाही आधार पर हिसाब में रखना चाहिए, जबकि बेहतर नियंत्रण के लिए वार्षिक की मौजूदा प्रथा है। वर्ष के दौरान, आपूर्तिकर्ता सस्पेंस ऋण आदेश आईएएफ एसईएसएफ के हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन के साथ कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखा नहीं किया गया था, 1956056851.98 रुपये में से बिना बिल का राजस्व बुक किया गया था, जिसमें से 149218039.28 रुपये पिछले वर्ष से संबंधित हैं। इस सिस्टम त्रुटि को रैमको/ सैप में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी बिलिंग नहीं हो पाई।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 6 में दी जा चुकी है।

6.	कंपनी ने एमआईएएल और अन्य हवाईअड्डों से भूमि पट्टे के अधिकार लिए हैं, जहां किराए और इसकी देयता के लिए समझौतों में तय नहीं है। कंपनी ने एमआईएएल के 395826315.36/– रुपये के प्रावधान को उलट दिया है और वर्ष 2023–24 के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं किया है क्योंकि कंपनी की ऐसी आय एमआईएएल को देय किराए की सीमा तक बढ़ा दी गई है। कंपनी खर्चों का प्रावधान भी कर रही है और सीधे व्यय खाते में जमा कर रही है, जबकि इसे प्रावधान के अलग खाते में बनाए रखा जाना चाहिए। बैलेंस शीट के अनुसार प्रावधान की राशि में वर्ष के दौरान प्रदान किए गए और समायोजित किए गए वर्षवार व्ययों का विवरण नहीं है।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 8 में दी जा चुकी है।
7.	ग्राहक और विक्रेता खातों में अलग–अलग लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जिसमें बैलेंस शीट का शुद्ध बैंलेंस वसूली योग्य या देय के रूप में दिखाया जाता है। पार्टियों के बीच सामंजस्य के अभाव में हम इसकी प्राप्ति और देय भुगतान पर पुष्टि और टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	इस प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया पहले ही मामले पर बल के क्रम संख्या 10 में दी जा चुकी है।

****

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

(रूपए मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को (पुनर्स्थापित)
संपत्ति :			
1) गैर चालू परिसंपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2 (क)	5,089.36	5,482.69
(ii) परिसंपत्ति प्रयोग का अधिकार	2 (ख)	40.35	53.80
(iii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2 (ग)	1,137.68	1,137.68
(iv) वित्तीय संपत्ति :			
क) अन्य वित्तीय संपत्तियां	3	1.00	0.06
(v) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	1,739.26	1,550.14
(vi) आयकर संपत्ति	4	-	-
		8,007.64	**8,224.36**
2) वर्तमान संपत्ति			
i)इन्वेंटरियां	5	183.96	104.39
ii) वित्तीय संपत्तिः			
क) व्यापार प्राप्य	6	12,764.27	8,315.66
ख) नकद और नकद समतुल्य	7	2,213.27	397.84
ग) उपर्युक्त (ख) के अलावा अन्य बैंक शेष	8	2,401.38	3,628.88
घ) अन्य वित्तीय संपत्तियां	3	25.12	14.97
iii) वर्तमान कर संपत्ति	4	330.52	886.67
iv) अन्य वर्तमान संपत्तियां	9	833.31	840.91
		18,751.82	**14,189.31**
कुल		**26,759.46**	**22,413.68**
इक्विटी और देयताएं :			
1) इक्विटी			
i) इक्विटी शेयर पूंजी	10	1,666.67	1,666.67
ii) अन्य इक्विटी	11	-7,060.37	-9,417.65
		-5,393.71	**-7,750.99**
2) देनदारियां:			
गैर मौजूदा देनदारियों			
i) वित्तीय देनदारियां			
क) पट्टा देयताएं	2 (ग)	33.14	46.27
ख) व्यापार देय	13	-	-
ग) अन्य वित्तीय देनदारियां	14	20,822.96	21,739.44
ii) गैर–वर्तमान प्रावधान	12	6,284.77	3,773.08
iii) अन्य देयताएं		-	-
		27,140.88	**25,558.78**
वर्तमान देनदारियां			
i) वित्तीय देनदारियां			
क) पट्टा देयताएं	2 (ग)	13.12	11.31
ख) व्यापार देय	13		
– एमएसएमई		48.04	31.30
– एमएसएमई के अलावा		2,198.03	1,390.60
ग) अन्य वित्तीय देयता	14	954.83	757.97
ii) वर्तमान प्रावधान	12	1,376.74	1,466.99
iii) अन्य चालू देयताएं	15	421.52	947.72
		5,012.29	**4,605.88**
कुल		**26,759.46**	**22,413.68**

संलग्न नोट सं. 1 – 40 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
*त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 24 देखें।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते और उनकी ओर से
एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739एन

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन : 25086306BMJPGQ3089

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन 11001643

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण

(रूपए मिलियन में)

विवरण	नोट सं.	2023-24	2022-23 (पुनर्स्थापित)'
आय			
I प्रचालन से राजस्व	**16**	20,879.83	19,683.24
II अन्य आय	**17**	923.70	764.59
III कुल आय (I+II)		**21,803.53**	**20,447.83**
IV खर्च			
i कर्मचारी लाभ व्यय	**18**	7,653.24	6,855.75
ii वित्त लागत	**19**	1,856.64	1,920.84
iii मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**2(a) & 2(b)**	610.36	592.73
iv अन्य खर्चे	**20**	5,404.27	4,818.79
कुल खर्च (i+ii+iii+iv)		**15,524.50**	**14,188.11**
पूर्व अवधि के बाद कुल व्यय कर		**15,524.50**	**14,188.11**
V असाधारण से पहले लाभ/ (हानि) (iii-iv)		**6,279.03**	**6,259.72**
VI असाधारण मदें	**26**	-2,595.03	2,334.21
VII असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/ (हानि) (V+Vi)		**3,684.00**	**8,593.93**
VIII कर व्यय :			
i) वर्तमान कर		1,407.22	338.97
ii) आस्थगित कर आय		-189.12	1,652.73
iii) पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर हेतु अल्प प्रावधान		-83.97	168.31
IX अवधि के लिए कर के बाद लाभ/(हानि) (ix-x)		**2,549.87**	**6,433.92**
X अन्य व्यापक आय			
परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)		-192.59	10.42
कुल व्यापक आय		**2,357.28**	**6,444.35**
XI प्रति शेयर आय रु. 10 प्रत्येक			
मूल	**21**	**15.30**	**38.60**
विलयित	**21**	**15.30**	**38.60**

संलग्न नोट सं. 1 – 40 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
*त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप पुनर्कथन के संबंध में विवरण के लिए नोट 24 देखें।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते और उनकी ओर से
एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739एन

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन : 25086306BMJPGQ3089

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन 11001643

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण

लेखा नीति

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 (इंडएएस–7) में नकदी प्रवाह विवरण पर निर्धारित किया गया है, जहाँ वर्ष के लिए लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों, पिछले या भविष्य के परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है। कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल निवेशों को नकद समकक्ष मानती है जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं।

(रूपए मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
क.	**प्रचालनिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण**				
	निवल कर पूर्व लाभ / (हानि) और असाधारण मदें :		6,279.03		6,259.72
	समायोजन हेतु :	-	-		-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	610.36		592.73	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से (शुद्ध) लाभ /(हानि)	0.86		8.23	
	कॉल और सावधि जमा पर ब्याज	-376.18		-154.01	
	ब्याज व्यय	1,852.18		1,915.49	
	पट्टे की देनदारियों पर ब्याज	4.46		5.35	
	अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	73.23		142.72	
	अनावश्यक प्रावधान	21.16		15.76	
	इन्वेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	-		500.00	
	शुद्ध अप्राप्त विनिमय लाभ	45.31		67.62	
	कर्मचारी लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-192.59		10.42	
	अन्य समायोजन	-2,511.05	-472.27	2,165.90	5,270.23
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन (हानि)/लाभ		**5,806.76**		**11,529.95**
	संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन		-		-
	व्यापार और अन्य प्राप्तियां	-4,567.16		-2,991.51	
	व्यापार और अन्य देनदारियां	824.18		-2,010.23	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	1,920.11		-4,386.09	
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य देनदारियाँ	-2,104.92	-3,927.79	-4,518.25	-13,906.08
	परिचालन से नकदी प्रवाह		**1,878.97**		**-2,376.13**
	आयकर (भुगतान)/रिफंड		-188.01		266.61
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (प्रयुक्त)		**1,690.96**		**-2,109.52**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल संपत्तियों का अधिग्रहण	-206.67		-150.12	
	संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की बिक्री (निवल)	2.23		0.00	
	ब्याज आय	344.68	140.25	103.09	-47.03
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध नकदी प्रवाह		**140.25**		**-47.03**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	संपत्ति के उपयोग के अधिकार का किराया शुल्क	-15.77		-15.02	

(रूपए मिलियन में)

	विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शुद्ध नकदी प्रवाह/ वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किया गया		**-15.77**		**-15.02**
	नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		1,815.43		-2,171.57
	नकद और नकद समतुल्य (प्रारंभिक शेष)		**397.84**		**2,569.40**
	नकद और नकद समतुल्य (अंतिम शेष)		**2,213.27**		**397.84**
	नकद और नकद समकक्षों का घटक				
	उपलब्ध नकदी	0.46		0.60	
	चालू खाते में शेष	32.71		83.83	
	अन्य जमा खाता	2,180.10		313.40	
	ड्राफ्ट/ उपलब्ध चैक	-	**2,213.27**	-	**397.84**
			0.00		-0

संलग्न नोट सं. 1 – 40 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते और उनकी ओर से
एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739एन

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन : 25086306BMJPGQ3089

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2025

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन 11001643

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				
जोड़ें : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-
कम : बायबैक	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

रूपए मिलियन में

विवरण	अन्य इकिवटी (पुनर्स्थापित)		कंपनी के शेयरधारकों के प्रति कुल इक्विटी
	आरक्षित निधि और अतिरेक	अन्य वृहत आय – आरक्षित	
	प्रतिधारित आमदनी	निश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	
1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	-15,862.00	-	**-15,862.00**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	6,284.71	-	**6,284.71**
जमा / घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	149.22	-	**149.22**
अन्य व्यापक आय / (हानि)	-	10.42	**10.42**
31 मार्च 2023 तक शेष	**-9,428.08**	**10.42**	**-9,417.65**
1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	-9,417.65	-	**-9,417.65**
पिछले वर्षों के आस्थगित कर संपत्ति का प्रभाव	-	-	-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	2,549.87	-	**2,549.87**
जमा / घटा : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-	-	-
अन्य व्यापक आय / (हानि)	-	-192.59	**-192.59**
31 मार्च 2024 तक शेष	**-6,867.78**	**-192.59**	**-7,060.37**

-

संलग्न नोट सं. 1 – 40 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते और उनकी ओर से
एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739एन

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन : 25086306BMJPGQ3089

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन 11001643

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले अवलोकन और नोट

नोट–1 : परिदृश्य

क. निगमित सूचना

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (भारत सरकार की कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीआईएन : यू74210डीएल2004जीओआई125114 के साथ भारत में शामिल एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ने 3 अगस्त, 2020 को अपना नाम एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से बदलकर एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कर लिया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, सीआरए बिल्डिंग, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003 में स्थित है। कंपनी ने दिनांक 1 जनवरी, 2015 से एमआरओ सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी प्राप्त की। कंपनी भारतीय और विदेशी पक्षों, मुख्य रूप से एयरलाइंस को विमान इंजीनियरिंग से संबंधित सेवाएं, लाइन रखरखाव सेवाएं और एमआरओ सेवाएं प्रदान कर रही है।

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की 26.03.2025 को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांष नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि महत्वपूर्ण लेनदेन, अन्य घटनाओं और स्थितियों की रिपोर्ट कैसे की जाती है।

i) इंड एएस सहित अनुवालन

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधान (अधिसूचित सीमा तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशा–निर्देश। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

ii) वित्तीय विवरणों के तैयार करने और प्रसतुतीकरण का आधार

वित्तीय विवरणों को चालू व्यवसाय के आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भवन आधार पर तैयार और प्रस्तुत किया गया है, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के, जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य या परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

कंपनी के वित्तीय विवरण सभी भौतिक पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के साथ–साथ समय–समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू (12 महीने के भीतर) और गैर–चालू (12 महीने के बाद) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, इसलिए इसका कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं है तथापि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, चालू देनदारियों और चालू परिसंपत्तियों में गैर–चालू वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों का चालू हिस्सा शामिल है।

iii) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए प्राप्त किया जाएगा, भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है यदि बाजार सहभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे।

भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में इन वित्तीय विवरणों में मापन और/या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य, वित्तीय विवरणों का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है, सिवाय उन लीजिंग लेन–देन के जो भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में हैं, और ऐसे माप जो उचित मूल्य से कुछ समानता रखते हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे भारतीय लेखा मानक 2 में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या भारतीय लेखा मानक 36 में उपयोग में मूल्य।

इसके अलावा, मूल्य मापन को स्तर 1, 2, या 3 में तय किया जाता है, इस आधार पर मूल्य मापन के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें संपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है :

- स्तर 1 इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है,
- स्तर 2 इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट हैं, जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं, और
- स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रमाणित इनपुट हैं।

आवर्ती आधार पर तुलन पत्र में पहचाने जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

आवर्ती आधार पर तुलन पत्र में पहचाने जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

ग. अनुमानों, निर्णयों और अवलोकनों का प्रयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं क्योंकि प्रबंधन को अनुमानों के आसपास की परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में पता चलता है। अनुमानों और निर्णयों में परिवर्तन उस अवधि में वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

घ. ऋण लागत

i. उधार लेने की लागत जो सीधे अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य–प्रगति सहित अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग के प्रारंभ की तिथि तक परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है।

ii. 10.0 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले दीर्घकालिक उधार की प्राप्ति की प्रत्याशा में उधार ली गई धनराशि या अन्य अस्थायी उधार पर लगने वाले ब्याज को अधिग्रहण के समय बकाया ऋणों पर भारित औसत उधार दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

ड. परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि उसकी गैर–वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि क्षतिग्रस्त हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि के लिए प्रावधान इंड एएस–36 के अनुसार किया जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (यानी उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राषि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का वहन मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राषि से अधिक होता है। यदि वसूली योग्य राषि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में उलट दिया जाता है। परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती (किसी संचित मूल्यह्रास को घटाकर) यदि परिसंपत्ति के लिए पूर्व वर्षों में कोई हानि क्षति नहीं पहचानी गई होती।

च. कंपनी द्वारा अपनाए गए नए मानक, अर्थनिर्धारण और संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

छ. थ्रेशोल्ड सीमा

कंपनी ने व्यय/आय के वर्गीकरण और प्रकटीकरण में निम्नलिखित भौतिकता सीमा को अपनाया है:

थ्रेशोल्ड आइटेम्स	इकाई	थ्रेशोल्ड वैल्यू
पूर्व अवधि व्यय/राजस्व		
–व्यक्तिगत सीमा तक पुनर्निधारण	रूपए मिलियन में	80
–समग्र सीमा तक पुनर्निधारण		पिछले वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व का 1 प्रतिशत
वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य	रूपए मिलियन में	80
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण की खरीद	भारतीय रूपए	5000 रूपए

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट – 2 क : परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

लेखांकन नीति

1. संपत्ति संयंत्र और उपकरण

क. संपत्ति संयंत्र और उपकरण की लागत में अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक लागत और उन्हें उपयोग के लिए स्थान पर लाने और जहां लागू हो, संबंधित परिसंपत्ति के उपयोग की तिथि तक उधार लिए गए ऋणों पर ब्याज सहित उल्लेख किया गया है।

ख. परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन रोटेशन के आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का नीचे उल्लिखित क्रम में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सत्यापन किया जा सके और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उन्हें लेखा पुस्तकों में तदनुसार दर्ज किया जाता है।

क्र. सं	स्थान	वर्ष
1	दिल्ली और कोलकाता	2023-24
2	हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और अन्य सभी छोटे स्थान	2024-25
3	मुंबई और नागपुर	2025-26

2. मूल्यह्रास/ परिशोधन

i. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग C में प्रावधान के अनुसार सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है, जिसमें मूल लागत का 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य रखा जाता है।

ii. अधिग्रहण के पूरे वर्ष के लिए परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

iii. अमूर्त परिसंपत्ति जिसका एक निश्चित उपयोगी आर्थिक जीवन है, अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति जिसका अनिश्चित उपयोगी जीवन है, उसकी हानि के लिए जाँच की जाती है।

(रूपए मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		31 मार्च 2023 को	संवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष हेतु	मूल्यहास/ समायोजन	31 मार्च 2024 को कुल	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
	अमूर्त परिसंपत्तियां :											
क)	भूमि	208.54	-	-	-	208.54	-	-	-	-	208.54	208.54
ख)	भवन	2,654.47	2.72	-	-	2,657.19	211.38	103.33	-	314.71	2,342.49	2,443.09
ग)	**संयंत्र और उपकरण**											
	कारखाना उपकरण और उपस्कर	2,553.05	182.33	-	7.09	2,728.29	1,421.03	233.30	6.26	1,648.07	1,080.22	1,132.02
	मशीनरी और संयंत्र	1,934.77	3.92	-	0.01	1,938.68	410.06	185.50	0.01	595.55	1,343.13	1,524.71
	जीएच और रैम्प उपकरण	0.86	-	-	-	0.86	0.36	0.18	-	0.54	0.32	0.50
घ)	फर्नीचर और फिक्सचर	64.03	1.31	-	2.29	63.04	26.78	11.23	0.22	37.79	25.26	37.25
च)	इलैक्ट्रिक फिटिंग	218.81	1.42	-	-	220.22	103.05	51.57	-	154.62	65.61	115.76
छ)	कंप्यूटर सिस्टम	23.50	11.12	-	0.76	33.86	14.04	7.69	0.56	21.16	12.69	9.46
ज)	वाहन	12.61	1.85	-	-	14.46	8.24	1.65	-	9.89	4.58	4.38
झ)	कार्यालय उपकरण	20.18	2.00	-	-	22.17	13.19	2.46	-	15.65	6.52	6.99
	मूर्त परिसंपत्तियों का योग	**7,690.80**	**206.67**	**-**	**10.15**	**7,887.33**	**2,208.11**	**596.91**	**7.05**	**2,797.97**	**5,089.36**	**5,482.69**
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य : संदर्भ नोट सं **2(ए)i**		1,137.68	-	-	-	1,137.68	-	-	-	-	1,137.68	1,137.68
	कुल प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	**1,137.68**	**-**	**-**	**-**	**1,137.68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,137.68**	**1,137.68**
	सकल योग	**8,828.48**	**206.67**	**-**	**10.15**	**9,025.01**	**2,208.11**	**596.91**	**7.05**	**2,797.97**	**6,227.03**	**6,620.37**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट 2 क i : जीईएनएक्स/जीई90 इंजन ओवरहाल वर्कशॉप, नागपुर में प्रगति पर एक पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) ₹ 1137.68 मिलियन को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड और एआईईएसएल के बोर्ड के निर्णय के आधार पर अप्रैल, 2021 में कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। इस परियोजना को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निर्माणाधीन सुविधाओं को पूरा करने के लिए ₹ 600 मिलियन का पूंजीगत बजट प्रावधान कंपनी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बोर्ड ने इसे पीएमसी और ठेकेदारों के साथ एआईईएसएल के पक्ष में समझौतों के नवीकरण के अधीन अनुमोदित किया था, जो पहले एअर इंडिया लिमिटेड और जीबीएसए द्वारा जीई के साथ किया गया था ताकि एआईईएसएल को ऑफसेट क्रेडिट मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, इस संबंध में किसी भी आगे की प्रगति के नगण्य परिवर्तनों को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2024–25 के पूंजीगत बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी से समीक्षा और अनुमोदन के बाद की जाएगी।

नोट 2(क)-ii : उपरोक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में जेट 9डी टेस्ट हाउस भवन शामिल है, जिसे दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को तत्कालीन एअर इंडिया लिमिटेड से कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया है। भवन का निर्माण तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसे ₹ 10.42 मिलियन के वहन मूल्य पर कंपनी को हस्तांतरित किया गया है।

नोट 2(क)-ii : भौतिक सत्यापन और समायोजन

कंपनी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता (पिछले वर्ष मुंबई और नागपुर) स्थानों पर अचल संपत्ति रजिस्टर में दिखाई गई मात्रा के साथ परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, बार कोड टैगिंग और उनका मिलान पूरा कर लिया है। तदनुसार, कंपनी ने कंपनी की कुल पीपीई/परिसंपत्तियों की अधिकांश मात्रा का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता स्थानों के भौतिक सत्यापन के विवरण इस प्रकार हैं: –

क्र.सं	स्थान	अतिरेक मात्रा	अनिश्चित मात्रा
1	दिल्ली	6,857.00	24.00
2	तिरुवनंतपुरम*	1,978.00	48.00
3	कोलकाता	1,063.00	82.00

*कंपनी की नीति के अनुसार, तिरुवनंतपुरम स्थान का भौतिक सत्यापन वर्ष 2024–25 में होना है, हालांकि यह वर्ष 2023–24 में पूरा हो गया है।

तीनों में अज्ञात मदों का मूल्य ₹ 1.62 मिलियन है, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से उचित रूप से समायोजित किया गया है। इसके अलावा, अधिशेष परिसंपत्तियों को कंपनी की पुस्तकों में प्रदर्शित इन्वेंट्री, स्टोर और स्पेयर्स की मदों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद पूंजीकृत किया जाएगा क्योंकि यह संभव हो सकता है कि अधिशेष परिसंपत्तियों को कंपनी की इन्वेंट्री, स्टोर और स्पेयर्स में शामिल किया जा सकता है।

नोट 2(ए).iv: कुछ परिसंपत्तियों (आयातित उपकरण) के संबंध में, कंपनी ने अनुमान के आधार पर ₹ 0.64 मिलियन के लिए माल ढुलाई और हैंडलिंग शुल्क लिया है।

नोट 2(क)-v: कुछ मामलों में, कंपनी ने खरीद आदेश (यूएसडी 11,361) की तुलना में विक्रेता के चालान मूल्य में बेमेल के कारण खरीद आदेश के मूल्य के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत किया है। हालाँकि, संपत्ति पहले ही प्राप्त हो चुकी है और उपयोग में लाई जा चुकी है, लेकिन कंपनी द्वारा विक्रेता को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी पहले तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) के साथ सामान्य इंटरफेस वाले सामग्री प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप खरीद आदेश में तत्कालीन होल्डिंग कंपनी का विवरण शामिल है और विक्रेता ने तत्कालीन होल्डिंग कंपनी के नाम पर चालान भी जारी किया है और इसे सुधारने की प्रक्रिया चल रही है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट 2(ख) : परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार

लेखांकन नीतियां

पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन कर लेती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। यानी, अगर अनुबंध में किसी पहचानी गई संपत्ति के इस्तेमाल को विचार के बदले में कुछ समय के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है और कंपनी ने लेन–देन के मूल्यांकन के लिए ग्रैंडफादर दृष्टिकोण के व्यावहारिक लाभ को लागू किया है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 केवल उन अनुबंधों पर लागू होता है जिन्हें पहले भारतीय लेखा मानक 17 के तहत पट्टे के रूप में पहचाना गया था। पट्टेदार के रूप में पट्टे (पट्टे पर ली गई संपत्ति) कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है, सिवाय अल्पकालिक पट्टों, कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों और ऐसे पट्टा अनुबंधों के जिनमें पट्टेदार और पट्टादाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है, जिसमें मामूली दंड से अधिक नहीं है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में कुछ समय के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो अनुबंध पट्टा होता है या उसमें पट्टा होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्याः

i. यदि अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,

ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और

iii. कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

अल्पकालिक, कम मूल्य वाले पट्टों और पट्टा अनुबंधों के लिए, जिसमें पट्टेदार और पट्टादाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना पट्टे को समाप्त करने का अधिकार है, जिसमें मामूली दंड से अधिक नहीं है, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान पट्टे के भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टादाता के रूप मेंः

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब भी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टादाता होती है, तो वह मुख्य पट्टे और उप–पट्टे में अपने हितों का अलग–अलग हिसाब रखती है। उप–पट्टे को मुख्य पट्टे से उत्पन्न ROU परिसंपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के लिए, किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।"

(रूपए मिलियन में)

विवरण	भूमि
वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	67.24
इंड एएस 116 को अपनाने पर संक्रमण प्रभाव	-
जोड़ना	-
हटाना	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**67.24**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	13.45
जमा	13.45
घटा	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**26.90**
31 मार्च, 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**40.35**
विवरण	**भूमि**
वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ	
सकल वहन राशि	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	-
इंड एएस 116 को अपनाने पर संक्रमण प्रभाव	-
जमा	67.24
घटा	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**67.24**
संचित मूल्यह्रास	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	-
जमा	13.45
घटा	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**13.45**
31 मार्च, 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**53.80**

नोट 2(ख).i: आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया है।

नोट 2(ग) पट्टा देयताएं

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक वर्तमान और गैर–वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 अप्रैल को आरंभिक मान्यता पर पट्टा देयताएँ	**57.57**	**67.24**
अतिरिक्त	-	-
अर्जित ब्याज	4.46	5.35
लीज मूलधन भुगतान	11.31	9.67
लीज ब्याज भुगतान	4.46	5.35
रिवर्सल	15.77	15.02
31 मार्च तक :–		
वर्तमान लीज देयताएँ	13.12	11.31
गैर–वर्तमान लीज देयताएँ	33.14	46.27
कुल	**46.27**	**57.57**

नीचे दी गई तालिका दिनांक 31 मार्च 2024 तक पट्टा देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1 वर्ष से कम	13.12	11.31
	33.14	46.27
1– 5 वर्ष	-	-
5 वर्ष से अधिक	**46.27**	**57.57**

नोट 2(ग)-i: कंपनी को अपनी पट्टा देयताओं के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि चालू परिसंपत्तियां पट्टा देयताओं से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, जब भी वे देय हों।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट – 3 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2024 को	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
बैंक जमा – (12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) (नोट संख्या 22.ii देखें)	1.00	-	0.06	-
सुरक्षा जमा	-	25.12	-	14.94
अन्य गैर व्यापार प्राप्य	-	-	-	0.03
कुल	**1.00**	**25.12**	**0.06**	**14.97**

नोट – 4 : आयकर

लेखांकन नीतियां

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान आयकर

वर्तमान कर के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता प्राप्त है। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो, वहां प्रावधान स्थापित करता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आगे ले जाने वाले कर घाटे, अनुपलब्ध कर क्रेडिट और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन्हें समायोजित किया जा सकता है। पहचाने न गए या पहचाने गए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है/घटाया जाता है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना है/अब संभावना नहीं है। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर किसी ऐसे लेनदेन में परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक घटाया जाता है कि यह अब संभावित नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होगा। लाभ उपलब्ध होगा जिससे परिसंपत्ति का पूरा या आंशिक हिस्सा वसूला जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्ति की संभावना निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान होता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित होता है। आस्थगित कर का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि वसूलने या निपटाने की अपेक्षा करने के तरीके से उत्पन्न होंगे।

एक वर्ष में भुगतान किया गया **न्यूनतम वैकल्पिक कर** (MAT) वर्तमानकर के रूप में लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है। कंपनी केवल उस सीमा तक उपलब्ध MAT क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है, जब तक कि इस बात के पुख्ता सबूत न हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी, वह अवधि जिसके लिए MAT क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। ऐसे वर्ष में कंपनी MAT क्रेडिट को एक आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं रह जाता है कि परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को वसूलने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देनदारियाँ तब ऑफसेट होती हैं, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।"

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

वर्ष के लिए चालू और स्थगित कर

चालू और स्थगित करों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और स्थगित करों को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहाँ चालू कर या स्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहाँ कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

स्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ तब ऑफसेट होती हैं जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं और संबंधित इकाई अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

लाभ और हानि विवरण में आयकर व्यय में शामिल हैं :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	2023-24	2022-23
वर्तमान कर	1,407.22	338.97
स्थगित कर व्यय/(आय)	-189.12	1,652.73
पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन*	-83.97	168.31
कुल	**1,134.13**	**2,160.00**

*यह चालू वर्ष में पहचाने गए पिछले वर्षों के आयकर (शुद्ध) के कम/(अधिक) प्रावधान को दर्शाता है।

आयकर से पूर्व आय पर वैधानिक आयकर दर लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर प्रावधान का समाधान नीचे संक्षेप में दिया गया है :

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पूर्व लाभ / (हानि)	**6,279.03**	**6,259.72**
कुल कर योग्य आय (क)	5,445.61	7,459.22
अग्रेणीत हानि (ख)	-	6,112.40
शुद्ध कर योग्य आय (क–ख)	**5,445.61**	**1,346.82**
प्रभावी आयकर दर (प्रतिशत)	25.168	25.168
अग्रेणीत हानि	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर	1,407.22	338.97

दिनांक 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक आयकर परिसंपत्तियों और आयकर देनदारियों का विवरण :

(रूपए मिलियन में)

व्यक्ति	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2024 को	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
आयकर और टीडीएस के लिए कुल अग्रिम भुगतान				
घटा : कर के लिए प्रावधान	-	1,737.74	-	1,225.63
	-	1,407.22	-	338.97
कुल	**-**	**330.52**	**-**	**886.67**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सकल आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों (सेट ऑफ से पहले) में उतार–चढ़ाव निम्नानुसार है:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(डीटीएल) के कारण स्थगित कर देयताएँ		
मूल्यह्रास	90.38	73.06
कुल स्थगित कर देयताएँ	**90.38**	**73.06**
(डीटीए) के कारण स्थगित कर परिसंपत्ति		
संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	168.40	150.33

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
40क(i) 30 : व्यय	1,033.59	1,056.78
43ख(एच) अस्वीकृतियाँ	11.64	14.49
इन्वेंट्री अप्रचलन/पुनरावृत्ति के लिए प्रावधान	31.77	176.14
अन्य कर अस्वीकृतियाँ/(भत्ते)	4.60	-
	125.84	125.84
	453.78	99.61
	1,829.63	**1,623.20**
शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति	**1,739.26**	**1,550.14**

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (डीटीए) अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कटौती योग्य अस्थायी अंतर (जो अस्थायी अंतर हैं जो भविष्य की अवधि के कर योग्य लाभ (कर हानि) का निर्धारण करते समय कटौती योग्य राशि के रूप में परिणत होंगे, जब परिसंपत्ति या देयता की वहन राशि वसूल या निपटाई जाती है) के आगे ले जाने के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूल किए जाने वाले आयकर की राशियाँ हैं। आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल) कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशियाँ हैं। कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अप्रयुक्त कर घाटे, कटौती योग्य समय अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निकट भविष्य में इकाई द्वारा किया जा सकता है। इसलिए भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर' के अनुरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ बनाई गई हैं।

महत्वपूर्ण अस्थायी अंतरों के कर प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां हुईं, निम्नानुसार हैं :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	1,829.63	1,623.20
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	90.38	73.06

नोट 5 : इन्वेंटरियां

लेखा नीति

इन्वेंट्री में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर तथा खुले उपकरण शामिल होते हैं। इन्वेंटरी में विभिन्न स्टोर और स्पेयर शामिल होते हैं, जिनका मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ("एनआरवी") में से कम पर किया जाता है। इन्वेंटरी की लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इन्वेंटरी के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
स्टोर और कलपुर्जे	17.42	17.46
ढीले उपकरण	402.76	431.60
ईंधन, गैस, कोयला, तेल और स्नेहक	0.55	0.55
गैर–विमान सूची	6.38	6.38
अन्य सूची	256.84	148.40
कुल	**683.96**	**604.39**
घटाएँ– सूची समाधान के लिए प्रावधान (नोट संख्या 5.i देखें)	500.00	500.00
कुल	**183.96**	**104.39**

नोट 6 : इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन

भंडार और पुर्जों की प्रकृति की सामग्रियों की सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इन्वेंट्री का प्रमुख मूल्य तत्कालीन होल्डिंग कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा एआईईएसएल में किसी भी भौतिक सत्यापन के बिना स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष के दौरान उसी की समीक्षा करते समय, यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में मद संपत्ति (मुख्य रूप से उपकरण) की प्रकृति में हैं जिन्हें इन्वेंट्री में शामिल किया गया है। रैमको (इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) और एसएपी (जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) के बीच सामंजस्य नहीं किया गया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

इसलिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, सत्यापन, विश्लेषण और सुलह के लिए पूरी कार्रवाई लंबित होने तक, पूंजीगत परिसंपत्तियों, अप्रचलन, कमी के साथ–साथ किसी भी अन्य समान लेखन आदि पर मूल्यह्रास के प्रभाव पर विचार करते हुए इन्वेंट्री के मूल्य में संभावित कमी के लिए ₹ 500.00 मिलियन का प्रावधान किया गया है।

नोट 5-ii: कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण के लिए एफईडीएआई मासिक औसत विदेशी विनिमय दर का उपयोग कर रही है। हालांकि, तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (एअर इंडिया लिमिटेड) के साथ कॉमन मैटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम (रैमको) से अलग प्रक्रिया के कारण, कंपनी ने एसएपी में विनिमय दरों को अपडेट किए जाने के बावजूद रैमको में अगले तीन महीनों के लिए नवंबर, 2023 की मासिक औसत विदेशी विनिमय दर का उपयोग किया है। इसका प्रभाव इस प्रकार है –

विवरण	वृद्धि	कमी	निवल प्रभाव
कलपुर्जों की खरीद	0.00	-0.05	-0.05
पूंजीगत खरीद	0.00	-0.05	-0.05
आई ए एफ खरीद – खपत	0.01	-0.04	-0.03
कुल	**0.01**	**-0.13**	**-0.12**

नोट 6 : व्यापार प्राप्य

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
रक्षित, वसूलीयोग्य	-	-
असुरक्षित, वसूलीयोग्य	12,764.27	8,315.66
व्यापार प्राप्तियों में क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	669.10	597.30
प्राप्य व्यापार अशोध्य ऋण	-	-
कुल	**13,433.37**	**8,912.95**
घटाः संदिग्ध हेतु प्रावधान	669.10	597.30
कुल	**12,764.27**	**8,315.66**

नोट 6.i: व्यापार प्राप्य अवधि संवर्धन अनुसूची

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च, 2024 तक		**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					**कुल**
विवरण	**बिना बिल देय**	**6 माह से कम**	**6 माह–1 वर्ष**	**1–2 वर्ष**	**2–3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	1,956.06	5,409.70	2,850.77	811.91	1,705.95	29.90	12,764.27
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	6.23	2.78	53.89	12.71	593.48	669.10
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**1,956.06**	**5,415.93**	**2,853.54**	**865.80**	**1,718.66**	**623.37**	**13,433.37**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च, 2023 तक		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
विवरण	बिना बिल देय	6 माह से कम	6 माह–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	2,730.03	3,280.87	434.24	1,750.62	99.06	20.83	8,315.66
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	27.19	14.96	16.79	6.19	532.17	597.30
अविवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – अशोध्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध व्यापार प्राप्य	**2,730.03**	**3,308.06**	**449.20**	**1,767.42**	**105.25**	**553.00**	**8,912.95**

i. सेवाओं की बिक्री पर ऋण अवधि, सुरक्षा के साथ या उसके बिना 30 से 60 दिनों तक होती है।

ii. कंपनी आमतौर पर इन शेष राशियों पर कोई संपार्श्विक या अन्य क्रेडिट वृद्धि नहीं रखती है और न ही कंपनी द्वारा प्रतिपक्ष को दी गई किसी भी राशि के प्रति ऑफसेट का कानूनी अधिकार है हालांकि ऑफसेट को FIFO आधार पर समायोजित किया गया है।

iii. संबंधित पक्षों से प्राप्य व्यापार विवरण नोट 29ई में वर्णित किया गया है।

iv. व्यापार प्राप्तियों में कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शामिल नहीं हैं।

v. व्यापार प्राप्तियों में बंद कंपनियों से प्राप्तियों की कोई राशि शामिल नहीं है।

नोट 7 : नकद और नकद समतुल्य

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों के पास शेष राशि		
क) चालू खातों में	32.71	83.83
ख) जमा खातों में (3 महीने से कम परिपक्वता)	2,180.10	313.40
ग) उपलब्ध नकदी	0.46	0.60
उपलब्ध चेक व ड्राफ्ट	-	-
कुल	**2,213.27**	**397.84**

नोट 7.i : वर्ष के अंत में नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है और नकदी शेष राशि का प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

नोट 7.ii: कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2024 तक बैंक से शेष राशि की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। कंपनी ने सभी बैंक खातों/सावधि जमाओं के संबंध में पुष्टि/बैंक विवरण प्राप्त कर लिए हैं। वे दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की खाता बहियों के साथ सामंजस्य में हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट 8 : नकद और नकद से इतर बैंक शेष

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों में शेष राशि		
मार्जिन मनी जमा में (3 < परिपक्वता < 12) (नोट संख्या 22.ii देखें)	240.99	1.00
अन्य सावधि जमा (3 < परिपक्वता < 12)	2,160.39	3,627.88
कुल	**2,401.38**	**3,628.88**

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रीपेड खर्च	272.38	122.69
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	167.17	264.85
छोटी नकदी	0.00	0.02
जीएसटी टीडीएस प्राप्य	5.70	4.30
एफडीआर पर अर्जित ब्याज	88.42	56.93
जीएसटी इनपुट	299.62	392.11
कुल	**833.31**	**840.91**

नोट 10 : इक्विटी शेयर पूंजी

	विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
		शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
क.	**प्राधिकृत**				
	प्रति 10 रूपए मूल्य के 10,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,000,000)	1,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00
		1,000.00	**10,000.00**	**1,000.00**	**10,000.00**
ख.	**जारी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त शेयर**				
	प्रति 10 रुपये मूल्य के 1666,66,500 इक्विटी शेयर	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
		166.67	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

ग. <u>शेयरों की संख्या का समायोजन</u> :

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67
जमा : वर्ष के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**166.67**	**1,666.67**	**166.67**	**1,666.67**

घ. <u>इक्विटी शेयरों के साथ संबद्ध अधिकार वरियता और प्रतिबंध</u>

i कंपनी के पास शेयरों की एकल श्रेणी है अर्थात इक्विटी शेयर जिनकी कीमत 10 प्रति शेयर के बराबर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

ii कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

iii कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था और नकद के अलावा अन्य विचाराधीन शेयर जारी किए जाने का एक उदाहरण है और कंपनी द्वारा निगमन तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया है।

iv नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार आवंटित शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले 5 वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर शून्य हैं (पिछले वर्ष : शून्य)।

ङ. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा

विवरण धारक कंपनी द्वारा धारित शेयर	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड*	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67

*12 जनवरी, 2022 से

च. 5 प्रतिशत से अधिक रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में	शेयरों की संख्या	रूपए मिलियन में
एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड**	166.67	1,666.67	166.67	1,666.67

**12 जनवरी, 2022 से

छ. प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2024 का		31 मार्च 2023 को	
	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%	धारित शेयरों की संख्या मिलियन में	%
एआईएसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	166.67	100%	166.67	100%

टिप्पणी :

धारित शेयरों की संख्या और धारण का प्रतिशत, व्यक्तिगत क्षमता में रखे गए शेयरों को दर्शाते हैं।

यहां प्रमोटर का तात्पर्य प्रमोटर है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधित रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट 11 : अन्य इक्विटी

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष/(घाटा) :				
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार शेष		-9,417.65		-15,862.00
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	2,549.87		6,284.71	
घटा:				
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	-		-	
जमा / घटा : पूर्व अवधि समायोजन	-		149.22	
अन्य वृहत आय				
जमा: परिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-192.59		10.42	
निवल अधिशेष		2,357.28		6,444.35
कुल भंडारण और अधिशेष		**-7,060.37**		**-9,417.65**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

प्रतिधारण आय :

प्रतिधारित आय वह लाभ है, जो कंपनी ने आज की तारीख तक अर्जित किया है, घटा–सामान्य रिजर्व, लाभांश या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरणों में से कोई भी स्थानान्तरण। प्रतिधारित आय में परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन हानि/(लाभ), करों का निवल जो लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया हो, शामिल है। प्रतिधारित आय, कंपनी के लिए उपलब्ध मुक्त आरक्षित निधि है।

नोट 12: प्रावधान

लेखा नीति

क) माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करने वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभावना होती है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व–कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

ख) प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है। जब किसी प्रावधान को वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, तो इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य राशि की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तो इसे परिसंपत्ति के रूप में माना जा सकता है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
क) ग्रेच्युटी (नोट संख्या 18.iख देखें)	1,872.62	529.90	1,891.95	543.19
ख) छुट्टी नकदीकरण	1,264.53	383.59	1,302.84	407.54
ग) अन्य लाभ	3,147.62	-	578.28	-
कर्मचारी लाभ के अलावा अन्य प्रावधान				
क) कर्मचारियों के अलावा अन्य	-	463.24	-	516.25
कुल	**6,284.77**	**1,376.74**	**3,773.08**	**1,466.99**

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण	48.04	31.30
अन्य देय	2,198.03	1,390.60
कुल	**2,246.07**	**1,421.90**

नोट 13.1 : व्यापार प्राप्यों की एजिंग

31 मार्च 2024 को				(रूपए मिलियन में)	
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1 – 2 वर्ष**	**2 – 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	45.05	2.34	0.51	0.14	48.04
(ii) अविवादित देय राशि (अन्य)	1,929.83	215.71	28.74	23.75	2,198.03
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**1,974.88**	**218.05**	**29.25**	**23.89**	**2,246.07**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

31 मार्च 2023 को

(रूपए मिलियन में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित बकाया (एमएसएमई)	30.98	0.17	-	0.16	31.30
(ii) अविवादित देय राशि (अन्य)	71.82	411.12	771.48	136.18	1,390.60
(iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशि (अन्य)	-	-	-	-	-
कुल	**102.80**	**411.28**	**771.48**	**136.34**	**1,421.90**

i. देय व्यापार सामान्य रूप से 30 से 60 दिनों के भीतर तय किया जाता है

ii. संबंधित पक्षों को देय व्यापार नोट 29ई

नोट 14 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू	चालू
प्रतिभूति जमा राशि	-	39.32	-	30.42
बयाना राशि	-	1.62	-	4.93
ऋण और अग्रिम	-	142.34	-	175.34
कर्मचारियों को देय	-	646.31	-	455.41
अंतर–कंपनी देय/प्राप्य	20,822.96	-	21,739.44	-
अन्य	-	125.23	-	91.87
कुल	**20,822.96**	**954.83**	**21,739.44**	**757.97**

नोट 15 अन्य चालू देयताएं

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सांविधिक देय	302.12	572.65
भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान सहायता (नोट संख्या 15.1 देखें)	119.40	375.07
कुल	**421.52**	**947.72**

नोट 15.1 सरकारी अनुदान

भारत सरकार (एमओसीए) के निर्णय के अनुसार, एसईएसएफ व्यय के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु एक योजना को मंजूरी दी गई है। उक्त योजना के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी को प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग का सारांश निम्नानुसार है :–

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2023–24
अव्ययित अनुदान सहायता आरंभ करना	375.07	338.90
कंपनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त कुल बजटीय सहायता/अनुदान	-	393.10
एसईएसएफ व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	255.67	356.93
कुल अव्ययित अनुदान सहायता	**119.40**	**375.07**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट 16 : प्रचालनों से राजस्व

लेखांकन नीतियाँ

i. कंपनी मुख्य रूप से रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाओं (एमआरओ सेवाओं) और विमान इंजन और अन्य विमान से संबंधित सेवाओं के लाइन रखरखाव (तकनीकी हैंडलिंग) से राजस्व प्राप्त करती है।

ii. संचालन से राजस्व

राजस्व तब पहचाना जाता है जब इकाई वादा किए गए सामान या सेवा (अर्थात एक परिसंपत्ति) को ग्राहक को हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। एक परिसंपत्ति तब हस्तांतरित की जाती है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है।

विमान और विमान इंजन द्वारा उड़ाए गए ब्लॉक घंटों के आधार पर अनुबंध के मामले में, राजस्व को वास्तविक ब्लॉक घंटों के आधार पर पहचाना जाता है।

लाइन रखरखाव सेवाओं के लिए अन्य अनुबंधों के मामले में, राजस्व को संभाली गई उड़ानों की संख्या के आधार पर पहचाना जा रहा है।

प्रशिक्षण सेवाओं से राजस्व तब पहचाना जाता है जब प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं।

(रूपए मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	**सेवाओं की बिक्री**		
	तकनीकी हैंडलिंग सेवा राजस्व	7,196.89	5,555.29
	अन्य सेवा राजस्व	12,565.24	13,391.57
		19,762.13	**18,946.87**
2	**अन्य प्रचालनिक राजस्व**		
	इंजीनियरिंग प्रशिक्षण राजस्व	157.73	67.36
		157.73	**67.36**
3	**संभावित राजस्व**	959.96	669.01
		959.96	**669.01**
	प्रचालन से कुल राजस्व	**20,879.83**	**19,683.24**

संविदागत शेष :

i) अनुबंध परिसंपत्तियाँ

अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्रतिफल पाने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करके कार्य करती है, तो अनुबंध परिसंपत्ति को व्यापार प्राप्तियों सहित अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है।

ii) अनुबंध देयताएँ

अनुबंध देयता ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की एक राशि देय है) प्राप्त किया है। यदि ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम सहित अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है।

iii) रिफंड देयताएँ

रिफंड देयता ग्राहक से प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिफल के कुछ या सभी हिस्से को वापस करने का दायित्व है और इसे उस राशि से मापा जाता है जिसे कंपनी अंततः ग्राहक को वापस करने की अपेक्षा करती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में रिफंड देयताओं के अपने अनुमानों को अपडेट करती है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

नोट 17 : अन्य आय

लेखा नीतियाँ

अन्य आय में मुख्य रूप से ब्याज आय, लाभांश आय, निवेश पर लाभ/हानि और वायदा एवं विकल्प अनुबंधों पर विनिमय लाभ/हानि तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद शामिल हैं।

i. ब्याज से आय को समय अनुपात के आधार पर प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके पहचाना जाता है। किराये से आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

ii. शुद्ध मूल्यह्रास मूल्य पर पीपीई की बिक्री/स्क्रैप से होने वाले लाभ या हानि को गैर–परिचालन राजस्व या अन्य व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

iii. बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाले दावों का लेखा बीमा कंपनी द्वारा ऐसे दावों की स्वीकृति पर किया जाता है।

iv. विक्रेताओं से प्राप्त वारंटी दावों/क्रेडिट नोटों को दावे की स्वीकृति/क्रेडिट नोट की प्राप्ति पर पहचाना जाता है।

vi. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद

क. विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय लेनदेन स्थापित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों के आधार पर) पर दर्ज किए जाते हैं।

ख. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का अनुवाद भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा प्रसारित विनिमय दर का उपयोग करके किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की प्राप्ति/निपटान और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद के कारण होने वाले लाभ/(हानि) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

vii. **सरकारी अनुदान**

कंपनी सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता देती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में मान्यता दी जाती है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी भरपाई करने की मंशा है।

(रूपए मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	ब्याज आय	635.54	343.99
2	अनुदान सहायता राजस्व (नोट संख्या 15.1 देखें)	255.67	356.93
3	अन्य आय	32.49	63.67
	कुल	**923.70**	**764.59**

नोट 18 : कर्मचारी लाभ व्यय

लेखांकन नीतियां

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ : सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी और अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति आदि जैसे लाभ और बोनस, अनुग्रह राशि की अपेक्षित लागत उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट

ख) नियोजन पश्चात लाभ : परिभाषित अंशदान योजनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान शामिल है। कंपनी के पास दिनांक 1 दिसंबर 2021 तक स्थायी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट हैं। उसके बाद, ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत राशि ईपीएफओ को हस्तांतरित कर दी गई है। निर्धारित अवधि संविदा (एफटीसी) कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कार्यालय में भविष्य निधि (पीएफ) बकाया जमा किया जाता है। दिनांक 28 फरवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट (एससी) का एक फैसला आया था, जो वेतन संरचना के उन घटकों से संबंधित था जिन्हें ईपीएफ अधिनियम के तहत भविष्य निधि में अंशदान की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। फैसले से संबंधित व्याख्यात्मक पहलू हैं जिनमें आवेदन की प्रभावी तिथि शामिल है। प्रबंधन के अनुसार, पीएफ के लिए अंशदान की गणना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार की जानी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी भुगतान के अंतर्गत आने वाली सेवाएँ करते हैं।

ईएसआई बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाएँ, जो वित्त पोषित नहीं हैं, उनमें ग्रेच्युटी, बीमारी की छुट्टी सहित छुट्टी नकदीकरण और अन्य लाभ शामिल हैं। ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए देयता वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत एक्चुरियल रूप से निर्धारित की जाती है। सभी पात्र और स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (तत्कालीन एआईएल से कंपनी में स्थानांतरित) के चिकित्सा लाभों के लिए, सरकार ने 16 फरवरी 2022 को एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत ऐसे सभी कर्मचारी एआईएएचएल (मूल कंपनी) के माध्यम से सीजीएचएस सुविधाओं के सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेंगे और इस योजना के लिए संबंधित व्यय भारत सरकार द्वारा एआईएएचएल को बजटीय सहायता से वहन किया जाएगा।

(रूपए मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	वेतन, मजदूरी और बोनस	6,550.93	5,976.59
2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	300.80	297.67
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	283.29	161.40
4	ग्रेच्युटी का प्रावधान	242.97	261.20
5	छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	275.25	158.89
	कुल	**7,653.24**	**6,855.75**

नोट 18.1 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

क. परिभाषित अंशदान योजना

कर्मचारी भविष्य निधि : कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत ई.पी.एफ.ओ. में अंशदान करती है, जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करती है। कंपनी के साथ–साथ कर्मचारी भी भविष्य निधि में लागू दरों पर अंशदान करते हैं, जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है। लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान ₹ 300.80 मिलियन है (पिछले वर्ष : ₹ 297.67 मिलियन)

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ग्रेच्युटी देय है। कंपनी के पास भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (अनफंडेड) है। ग्रेच्युटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर किया जाता है और ग्रेच्युटी के लिए कंपनी की योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।

उपदान के इंड एएस के अनुसार प्रकटन विवरण :

(रूपए मिलियन में)

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च, 2024 तक**	**31 मार्च, 2023 तक**
1	लाभ का प्रकार	ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी
2	देश	भारत	भारत
3	रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रूपया	भारतीय रूपया
4	रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा	भारतीय लेखा
5		मानक 19 (इंड एएस 19)	मानक 19 (इंड एएस 19)
6	फंडिंग स्थिति	अनफंडेड	अनफंडेड
7	प्रारंभिक अवधि	01–04–2023	01–04–2022
8	रिपोर्टिंग की तिथि	31–03–2024	31–03–2023
9	रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने
10	संदर्भ आईडी	915080	788472
11	**मान्यताएँ (पिछली अवधि)**	**वित्त वर्ष 2022–23**	**वित्त वर्ष 2021–22**
i	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	एनए	एनए
ii	छूट की दर	7.50 प्रतिशत	7.23 प्रतिशत
iii	वेतन वृद्धि की दर	5.50 प्रतिशत	5.50 प्रतिशत
iv	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
v	नियोजन के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्य	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्य
vi		(2012–14) शहरी	(2012–14) शहरी
12	**मान्यताएँ (वर्तमान अवधि)**	**वित्त वर्ष 2023–24**	**वित्त वर्ष 2022–23**
i	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	छूट की दर	7.22 प्रतिशत	7.50 प्रतिशत
iii	वेतन वृद्धि की दर	5.50 प्रतिशत	5.50 प्रतिशत
iv	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
v	नियोजन के दौरान मृत्यु दर	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्य	भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्य
		2012–14 (शहरी)	2012–14 (शहरी)
		31 मार्च, 2024 तक	**31 मार्च, 2023 तक**
13	**परिभाषित लाभ दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,435.14**	**2,716.91**
i	ब्याज लागत	181.03	192.95
ii	वर्तमान सेवा लागत	61.93	68.25
iii	पिछली सेवा लागत	-	-
iv	अधिग्रहण में स्थानांतरित देयता	-	-
v	(बाहर स्थानांतरित देयता / विनिवेश)	-	-
vi	(लाभ) / कटौती पर हानि	-	-
vii	(निपटान पर समाप्त देयताएं)	-	-
viii	(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-468.18	-532.55
ix	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-

x	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
xi	जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	-	-
xii	वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	29.07	-25.57
xiii	अनुभव के कारण	163.53	15.14
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,402.52**	**2,435.14**
14	**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका**		
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**
i	ब्याज आय	-	-
ii	नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
iii	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
iv	अंतरित परिसंपत्तियाँ/अधिग्रहण	-	-
v	(अंतरित परिसंपत्तियां/विनिवेश)	-	-
vi	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
vii	(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
viii	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
ix	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
x	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**
		31 मार्च, 2024 तक	**31 मार्च, 2023 तक**
15	**तुलन पत्र में स्वीकृत राशि**		
i	(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	-2,402.52	-2,435.14
ii	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
iii	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	-2,402.52	-2,435.14
	बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति	**-2,402.52**	**-2,435.14**
16	**चालू अवधि के लिए निवल ब्याज लागत**		
i	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,435.14	2,716.91
ii	(अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य)	-	-
iii	शुरुआत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	2,435.14	2,716.91
iv	ब्याज लागत	181.03	192.95
v	(ब्याज आय)	-	-
	वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	**181.03**	**192.95**
16	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
i	वर्तमान सेवा लागत	61.93	68.25
ii	शुद्ध ब्याज लागत	181.03	192.95
iii	पिछली सेवा लागत	-	-
iv	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान)	-	-
v	(लाभ)/कटौतियों और निपटान पर हानि	-	-

vi	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
	मान्यता प्राप्त व्यय	**242.97**	**261.2**
17	**वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय**		
i	अवधि के लिए दायित्व पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि	192.59	-10.42
ii	योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	-	-
iii	परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
	ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	**192.59**	**-10.42**
		31 मार्च, 2024 तक	**31 मार्च, 2023 तक**
18	**तुलन पत्र समायोजन**		
i	**आरंभिक शुद्ध देयता**	2,435	**2,716.91**
ii	लाभ या हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	243	261.2
iii	ओसीआई में पहचाने गए व्यय	193	-10.42
iv	शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) स्थानांतरण	-	-
v	शुद्ध (देयता)/परिसंपत्ति स्थानांतरण	-	-
vi	(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-468	-532.55
vii	(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
	बैलेंस शीट में पहचाने गए शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	2,402.52	**2,435.14**
19	**परिसंपत्तियों की श्रेणी**		
i	भारत सरकार की संपत्तियाँ	-	-
ii	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
iii	विशेष जमा योजना	-	-
iv	ऋण उपकरण	-	-
v	कॉर्पोरेट बांड	-	-
vi	नकद और नकद समकक्ष	-	-
vii	बीमा निधि	-	-
viii	परिसंपत्ति–समर्थित प्रतिभूतियाँ	-	-
ix	संरचित ऋण	-	-
x	अन्य	-	-
xi	**कुल**	**-**	**-**
20	**अन्य ब्यौरा**		
i	सेवारत सदस्यों की संख्या	4,789	4,503
ii	सेवारत सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	250.99	220.34
iii	परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	6	5
iv	औसत अपेक्षित भावी सेवा	14	12
v	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – कुल	2,402.52	2,435.14
vi	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	34.93	21.35
vii	अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान – –	-	-
21	**लाभ भुगतान के मृत्यु दर विश्लेषण**		

	रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों में अनुमानित देय लाभ		
i	पहला अनुवर्ती वर्ष	529.90	543.19
ii	दूसरा अनुवर्ती वर्ष	278.70	256.14
iii	तीसरा अनुवर्ती वर्ष	415.71	441.64
iv	चौथा अनुवर्ती वर्ष	298.91	381.54
v	पांचवां अनुवर्ती वर्ष	207.64	272.3
vi	6 से 10 वर्षों का योग	687.93	679.81
vii	11 और उससे अधिक वर्षों का योग	1,241.68	933.88
22	संवेदनशीलता विश्लेषण	**31 मार्च, 2024 तक**	**31 मार्च, 2023 तक**
	वर्तमान मान्यताओं पर परिभाषित लाभ दायित्व	2,402.52	**2,435.14**
i	छूट की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-99.83	-89.24
ii	छूट की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	111.73	98.11
iii	वेतन वृद्धि की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	72.29	61.43
iv	वेतन वृद्धि की दर में –1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-73.08	-63.76
v	कर्मचारी टर्नओवर की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	16.53	15.08
vi	कर्मचारी टर्नओवर की दर में – 1 प्रतिशत परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-18.11	-16.23
vii	संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले संबंधित मान्यताओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है, जबकि अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखा गया है।		
viii	ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असंभव है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर घटित होगा, क्योंकि कुछ मान्यताएं परस्पर संबंधित हो सकती हैं।		
ix	इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि वही पद्धति है जो बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होती है।		
x	संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और मान्यताओं में पूर्व वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ।		
23	**नोट**		
	रिपोर्ट में वर्णित इकाई की योजना के अनुसार ग्रेच्युटी देय है।		
	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के अंतर्गत घटना की अवधि में बीमांकिक लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है।		
	ओसीआई के उपरोक्त सभी आंकड़े कराधान के बाद हैं।		
	वेतन वृद्धि और कार्य–छोड़न दर को इकाई द्वारा दी गई सलाह के अनुसार माना जाता है, वे कर्मचारियों की पदोन्नति और मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग अभ्यास के अनुरूप प्रतीत होते हैं।		
	लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण, ऊपर बताए अनुसार, सदस्यों के लिए संबंधित वर्ष में भावी वेतन, क्षति और मृत्यु को ध्यान में रखते हुए बिना छूट वाला नकदी प्रवाह है।		
	औसत अपेक्षित भावी सेवा, रोजगार–पश्चात लाभ दायित्व की अनुमानित अवधि को दर्शाती है। परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि नकदी प्रवाह समय का भारित औसत है, जहाँ भार प्रत्येक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से लेकर कुल वर्तमान मूल्य तक प्राप्त किए जाते हैं। प्रकटीकरण में देयता और निधि आंदोलन को दर्शाने के लिए योजना परिसंपत्तियों में किसी भी लाभ भुगतान और योगदान को वर्ष के अंत में होने वाला माना जाता है।		
24	**मात्रात्मक प्रकटन**		
	पैरा 139 क : परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएं		
	इकाई के पास भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (अनफंडेड) है। इकाई की परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना कर्मचारियों के लिए एक अंतिम वेतन योजना है।		
	ग्रेच्युटी का भुगतान इकाई द्वारा देय होने पर किया जाता है और ग्रेच्युटी के लिए इकाई योजना के अनुसार भुगतान किया जाता है।		

	पैरा 139 (ख) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम
	ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है और इकाई निम्नलिखित जोखिमों के संपर्क में है :
	ब्याज दर जोखिमरू सरकारी प्रतिभूति दर से जुड़ी छूट दर में गिरावट से देयता का वर्तमान मूल्य बढ़ जाएगा जिसके लिए उच्च प्रावधान की आवश्यकता होगी।
	वेतन जोखिमरू परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सदस्यों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। इस प्रकार, सदस्यों के वेतन में अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
	परिसंपत्ति देयता मिलान जोखिमरू योजना में नकदी प्रवाह के मिलान के संबंध में एएलएम जोखिम का सामना करना पड़ता है। इकाई को अपने स्वयं के फंड से भुगतान के आधार पर भुगतान का प्रबंधन करना होता है।
	मृत्यु जोखिमः चूंकि योजना के अंतर्गत लाभ जीवन भर के लिए देय नहीं हैं तथा केवल सेवानिवृत्ति की आयु तक ही देय हैं, इसलिए योजना में दीर्घायु जोखिम नहीं है।
	पैरा 139 (ग) परिभाषित लाभ योजनाओं की विशेषताएं
	वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती और निपटान नहीं किया गया।
	पैरा 147 क
	उपदान योजना गैर–वित्तपोषित है।

नोट 19 : वित्तीय लागत

(रूपए मिलियन में)

क.सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	ब्याज व्यय	1,852.18	1,915.49
2	पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	4.46	5.35
	कुल	**1,856.64**	**1,920.84**

नोट 20 : अन्य व्यय

(रूपए मिलियन में)

क.सं	विवरण	2023-24	2022-23
1	बीमा व्यय	171.97	167.31
2	स्टोर और स्पेयर से संबंधित उपभोज्य व्यय	1,606.39	631.87
3	हैंडलिंग शुल्क	158.51	208.70
4	संचार शुल्क	9.70	9.24
5	यात्रा व्यय	186.03	206.24
6	किराया	1,078.60	1,087.24
7	दरें और कर	55.55	160.09
8	मरम्मत रखरखाव :		
	i) भवन	29.18	33.51
	ii) अन्य	978.04	699.32
9	परिवहन का किराया	211.30	150.25
10	डी जीसीए को शुल्क	4.05	1.20
11	बिजली और हीटिंग शुल्क	292.68	296.07
12	पानी का शुल्क	12.22	16.34
13	प्रचार और बिक्री संवर्धन	2.25	3.07
14	मुद्रण और स्टेशनरी	8.31	6.73
15	पेशेवर और कानूनी शुल्क	36.00	23.91

16	**लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक और व्यय**		
	i) लेखा परीक्षा शुल्क	0.40	0.40
	ii) अन्य व्यय	0.04	0.03
17	अन्य लेखा परीक्षा व्यय	0.23	0.69
18	बैंक शुल्क	6.57	0.49
19	एसईएसएफ व्यय (नोट संख्या 15.I देखें)	255.67	356.93
20	विनिमय भिन्नता	60.80	-
21	संपत्तियों/स्क्रैप की बिक्री पर हानि	0.86	8.23
22	संदिग्ध प्राप्य और अग्रिम के लिए प्रावधान	73.23	142.72
23	इन्वेंट्री सुलह (व्यय) के लिए प्रावधान	-	500.00
24	सीएसआर व्यय	91.00	40.94
25	अन्य विविध व्यय	74.66	67.28
	कुल	**5,404.27**	**4,818.79**

नोट 21 : प्रति शेयर आमदनी

लेखांकन नीति

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और पतला आय/(हानि) (ईपीएस) डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर पतला आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और पतला संभावित इक्विटी शेयरों के योग से कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

भारतीय लेखा मानक – 33 के अनुसार प्रति शेयर आय (ईपीएस) गणना का प्रकटीकरण

विवरण	**2023-24**	**2022-23**
लाभ और हानि विवरण के अनुसार विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	2,549.87	6,433.92
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	166.67	166.67
मूल और विलयित ईपीएस	15.30	38.60
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10

नोट 22 : आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं

लेखांकन नीति

i. आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट के माध्यम से उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं।

ii. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं। एक आकस्मिक परिसंपत्ति का खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

भारी अनुबंधः एक भारी अनुबंध तब माना जाता है जब कंपनी के पास एक अनुबंध होता है जिसके तहत अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती है। भारी अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों को प्रावधानों के रूप में पहचाना और मापा जाता है।

22.i. आकस्मिक देयताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (कुछ मामलों में ब्याज और दंड को छोड़कर) और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार हैः

(रूपए मिलियन में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च 2024 को शेष	31 मार्च 2023 को शेष
(i)	कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जो अपील के अधीन हैं (*)।	644.74	643.65
(ii)	कर्मचारियों के कारण अन्य दावे'' / न्यायालय में लंबित सिविल / मध्यस्थता मामले	राशि निर्धारित नहीं है	राशि निर्धारित नहीं है
	कुल	**644.74**	**643.65**

अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण:

***कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर (टीडीएस) मांग नोटिस जो अपील के अधीन हैं :**

वि.व	धारा 210(1) के तहत डिफॉल्ट की कुल राशि	धारा 210(1) के तहत ब्याज की कुल राशि	कुल मांगा	अपील की स्थिति
2014-15	16.48	11.93	28.41	मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
2015-16	27.75	16.85	44.60	मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई। दिनांक 13.07.2022 के नोटिस के अनुसार सुनवाई की तिथि 28.07.2022 थी और स्थगन मांगा गया था।
2016-17	42.68	20.70	63.38	28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
2017-18	135.72	48.86	184.58	28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
2018-19	261.11	62.67	323.77	28.08.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई।
कुल	**483.74**	**161.00**	**644.74**	

*31 मार्च, 2024 तक उपरोक्त मांग पर धारा 220(2) के तहत ब्याज ₹ 314.55 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 237.49 मिलियन) होगा।

**कंपनी के कर्मचारियों ने स्टाफ मामलों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में मामले दायर किए हैं, जिसमें कंपनी को एक पक्ष बनाया गया है। प्रबंधन की राय में, कंपनी पर देनदारियों की राशि उत्पन्न नहीं हो सकती है।

22.ii. कंपनी द्वारा दी गई गारंटी

कंपनी ने अनुबंध के तहत दायित्व के उचित निष्पादन के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) को ₹ 2.00 मिलियन की राशि के साथ ₹ 58.79 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1.00 मिलियन) की निष्पादन गारंटी (बीजी), सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (सीएबीएस) को ₹ 10.00 मिलियन, आईएनएस गरुड़ को ₹ 0.06 मिलियन और रक्षा मंत्रालय को ₹ 46.73 मिलियन और अग्रिम के रूप में भारत के राष्ट्रपति को ₹ 183.14 मिलियन दिए हैं।

नोट 23 : विनिवेश की स्थिति

तत्कालीन एअर इंडिया (एआई) के विनिवेष पर नीति आयोग की सिफारिषों और विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) की सिफारिशों के मद्देनजर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2017 को हुई अपनी बैठक में तत्कालीन एयर इंडिया समूह के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दे दी थी। सीसीईए ने रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) का भी गठन किया। चार सहायक कंपनियों एआईएएसएल, एएएएल, एआईईएसएल, एचसीआई, गैर–मुख्य संपत्तियों, पेंटिंग्स और कलाकृतियों और अन्य गैर–परिचालन संपत्तियों के साथ किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं

संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए अब एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के रूप में जाने जाने वाले नाम और शैली के तहत एसपीवी के गठन के लिए फरवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक पूर्व–अनुमोदन दिया गया था। नागर विमानन मंत्रालय के पत्र सं 17046/56/2019–एआई दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के माध्यम से तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों (एआईएएसएल, एएएएल, एआईईएसएल और एचसीआई) को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित करने के एआईएसएएम के निर्णय से अवगत कराया है। सहायक कंपनियों में निवेश को हस्तांतरित करने के एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी (एआईईएसएल) के शेयरों को तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड से एआईएएचएल को बुक वैल्यू पर हस्तांतरित किया गया था। तदनुसार, एआईईएसएल के शेयरों के हस्तांतरण के लिए तत्कालीन एआईएल और एआईएएचएल के बीच शेयर खरीद समझौता (एसपीए) दिनांक 10 जनवरी, 2022 को निष्पादित किया गया था। भारत सरकार के निर्णय और एसपीए के अनुसार, कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता तत्कालीन एआईएल से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दी गई है और कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है 12 जनवरी, 2022 से एआईएएचएल को हस्तांतरित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की नई मूल कंपनी/होल्डिंग कंपनी बन गई है।

सरकार ने एआईएएचएल (एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड) की तीन सहायक कंपनियों के विनिवेष की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विनिवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए समितियों का गठन किया गया है और दीपम ने विनिवेश के लिए निवेशक बैठकों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) नियत समय में जारी किया जाएगा और इच्छुक बोलीदाता अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दीपम को प्रस्तुत करेंगे और योग्य बोलीदाता उचित परिश्रम के बाद वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करेंगे। विनिवेश की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रणनीतिक साझेदार का चयन किया जाएगा।

नोट 24 : इंड एएस–8 लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों, के अनुसार पूर्व अवधि की त्रुटियों में सुधार

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने पाया है कि वित्तीय विवरणों की नीचे उल्लिखित लाइन मद पिछले वर्ष में गलत तरीके से लेखा/प्रकट की गई थी। इन त्रुटियों को अब पिछले वर्ष के प्रभावित वित्तीय विवरण लाइन आइटम को फिर से बताकर ठीक कर दिया गया है।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 (जैसा कि पहले बताया गया है)	त्रुटि सुधार के कारण वृद्धि /(कमी)	31 मार्च 2023 को (पुनर्स्थापित)
तुलन पत्र / सार			
व्यापार प्राप्य	8,763.74	149.22	8,912.95
कुल चालू परिसंपत्तियां	14,040.10	149.22	14,189.31
अन्य इक्विटी	-9,566.87	149.22	-9,417.65
कुल इक्विटी	-7,900.20	149.22	-7,750.99
लाभ और हानि विवरण/सार			
प्रचालनों से राजस्व	19,534.02	149.22	19,683.24
कुल आय	20,298.61	149.22	20,447.83
अवधि के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)	6,284.71	149.22	6,433.92
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	6,295.13	149.22	6,444.35

पिछले वर्ष के लिए प्रति षेयर मूल और विलयित आय को भी घटाया गया है। प्रति शेयर मूल और पतला आय दोनों के लिए सुधार की राशि ₹0.89 प्रति शेयर की वृद्धि थी।

नोट 25 : समायोजन/पुष्टि

(i) कंपनी ने सभी प्रमुख व्यापारिक प्राप्तियों और व्यापारिक देयताओं के लिए शेष राशि की पुष्टि की मांग की है। हालाँकि, केवल कुछ पक्षों ने ही जवाब दिया है और वे कंपनी की पुस्तकों से सहमत हैं। जहाँ भी पुष्टि की गई शेष राशि पुस्तकों से सहमत नहीं है, उस मामले में अंतर का समाधान प्रक्रियाधीन है। व्यापारिक प्राप्तियों के मामले में, कंपनी के पास एअर इंडिया, एआईएक्सएल, एएएएल और कुछ अन्य ग्राहकों से प्राप्तियों की शेष राशि की पुष्टि है, जिसमें कंपनी की प्राप्तियों का 87.89 प्रतिशत (पिछले वर्ष 75.57 प्रतिशत) शामिल है और समाधान पूरा हो गया है और शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। व्यापार देयताओं के मामले में कुछ पक्षों ने जवाब दिया है और जहाँ भी पार्टी की शेष राशि पुस्तकों से सहमत नहीं है, अंतर का समाधान प्रगति पर है। समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों का प्रभाव, यदि कोई हो, समाधान के पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटा जाएगा।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य वैधानिक बकाया राशि का कंपनी द्वारा दाखिल रिटर्न तथा रखे गए वैधानिक रिकार्डों के साथ मिलान किया जा रहा है तथा मिलान के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हों, का समाधान मिलान पूरा होने तथा उचित प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के वर्ष में किया जाएगा।

(iii) कंपनी के पास कुछ मेल खाते हुए षेश और कुछ बेमेल प्राप्य/कर्मचारियों से वसूली योग्य तथा कुछ नियंत्रण खाता बही सहित देय राशियाँ हैं। इसके अलावा, मुख्य रूप से आपूर्तिकर्ता सस्पेंस खातों, जीआरआईआर खातों, विक्रेताओं से सुरक्षा जमा आदि में लीजेंडरी ट्रांसफर प्रविष्टियों के कारण तत्कालीन होल्डिंग कंपनी (विनिवेश से पहले एयर इंडिया लिमिटेड) से स्टाफ और देय राशियों से बेमेल प्राप्य/ वसूली योग्य शेष राशि के लिए, कंपनी इसके समाधान के लिए एक समिति बनाने की प्रक्रिया में है और समाधान से उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजनों के प्रभाव, यदि कोई हो, को समाधान पूरा होने और उचित प्राधिकारी से अनुमोदन के वर्ष में निपटाया जाएगा।

नोट 26 : आपवादिक मदें

i. भारी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अधिसूचना संख्यॉ–08/005/2016–डीपीई/डब्ल्यूसी दिनांक 9 जून, 2016 के तहत सीपीएसई के कर्मचारियों को कंपनी की लाभप्रदता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करने हेतु उपयुक्त कार्य स्थितियां, परिलब्धियां और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) नियुक्त की थी। समिति ने दिनांक 21 नवंबर, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे लागू करने की सिफारिश की। कंपनी ने पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यान्वयन के लिए ₹ 2,532.60 मिलियन का अनुमान लगाया है और वित्त वर्ष 2023–24 में खातों की किताबों में ₹ 2,532.60 मिलियन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत के लिए एक समिति गठित की गई है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अनुसार एफटीई वेतन वृद्धि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। कुल ₹ 2,595.02 की राशि के लिए दोनों प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना थी जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता था। भारत सरकार ने 16 फरवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से विनिवेश के बाद एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) के पात्र स्थायी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ सुविधा को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरूआत के बाद, इस योजना के तहत सभी व्यय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा होल्डिंग कंपनी एआईएएचएल को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से वहन किए जाएंगे। इसके अलावा, उपर्युक्त चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के 15 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन में एआईईएसएल द्वारा इस तरह के किसी भी समर्पण की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 2334.20 मिलियन की संचित देनदारी को वापस लिख दिया है, जिसका लेखा एक्चुअरी मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

नोट 27: आंतरिक नियंत्रण

कंपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने की निरंतर प्रक्रिया में है, ताकि सभी क्षेत्रों को कवर किया जा सके और स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, उपयोगकर्ता विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने आंतरिक ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र फर्म को नियुक्त किया है, ताकि सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव दिए जा सकें, यदि कोई हो।

नोट 28 : सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के सीईओ को भारतीय लेखा मानक 108, परिचालन खंडों द्वारा परिभाषित मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है। सीओडीएम कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है; हालाँकि, कंपनी एमआरओ (विमान, इंजन और घटकों का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सेवाओं में लगी हुई है, जो इसका प्राथमिक और एकमात्र रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है और सभी परिचालन भारत में हैं। इसलिए कंपनी के पास भारतीय लेखा मानक 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

क. 10 प्रतिशत से अधिक के राजस्व वाले ग्राहकों का प्रकटन :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
एअर इंडिया लि.	13,214.76	14,070.49
भारतीय वायु सेना	4,377.46	2,878.71

नोट 29 : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए देय :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण कंपनी द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक किया गया है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के अंतर्गत आने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण समय रहते सुनिश्चित किया जाएगा।

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
बकाया मूलधन और बकाया राशि	48.04	31.30
अतिदेय राशि पर बकाया ब्याज	0.82	0.25
वर्श के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
विलंब की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज	0.82	0.25
उपार्जित और बकाया ब्याज	0.82	0.25
आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज की शेष राशि	-	-

यह सूचना ऐसे विक्रेता के संबंध में दी गई है, जहां तक कि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में पहचाना जा सके।

नोट 30 : संबंधित पक्ष प्रकटन

वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय लेखा मानक 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के नाम और पदनाम का प्रकटीकरण :

संबंधित पक्षों की सूची : (जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

i. भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, निम्नलिखित संबंधित पक्ष सरकार से संबंधित संस्थाएं हैं, अर्थात् महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) :

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (12 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	धारक कंपनी

ii. फेलो सहायक कंपनियों की सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एच सीआई)	फेलो सहायक कंपनी
2	एअर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	फेलो सहायक कंपनी
3	एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)	फेलो सहायक कंपनी

iii. कंपनी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	सरकार द्वारा समान नियंत्रण वाला निकाय
2	नागर विमानन मंत्रालय	

ख. निदेशक मंडल

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री असंगबा चुबा आओ	सीएमडी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
		अध्यक्ष और नामित निदेशक, एआईईएसएल (01.01.2024 से प्रभावी)
2	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा	अध्यक्ष, एआईईएसएल (01.03.2023 से 01.01.2024 तक)
		नामित निदेशक, एआईईएसएल (02.02.2017 से 01.01.2024 तक)
3	श्री पदम लाल नेगी	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय
		नामित निदेशक, एआईईएसएल (18.01.2023 से प्रभावी)
4	श्रीमती परम सेन	अतिरिक्त सचिव (पूर्व संयुक्त सचिव), निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
		नामित निदेशक (महिला निदेशक), एआईईएसएल (11.02.2022 से 12.12.2023 तक)
5	श्री राहुल जैन	संयुक्त सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति एसेट मैनेजमेंट
		नामित निदेशक, एआई ईएसएल (12.12.2023 से 14.05.2024 तक)
6	श्रीमती नियोनिका दत्ता	संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय
		नामित निदेशक, एआईईएसएल (12.02.2024 से)

ग. मुख्य प्रबंधन कार्मिक

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के नाम	पदनाम
1	श्री शरद अग्रवाल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
		01.05.2022 से
2	श्री राकेश कुमार जैन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
		20.05.2022 से
3	सुश्री साक्षी मेहता	कंपनी सचिव
		09.11.2021 से

घ. मुख्य प्रबंधन व्यक्ति के साथ संव्यवहार

i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक और भत्ते के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है। वर्ष 2023–24 के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए पारिश्रमिक और भत्ते ₹ 5.36 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 5.17 मिलियन), मुख्य वित्तीय अधिकारी के लिए ₹ 2.83 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 2.70 मिलियन) और कंपनी सचिव के लिए ₹ 1.01 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 0.97 मिलियन) हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के पास कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

ड. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, कुछ सरकारी संबद्ध संस्थाओं अर्थात महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (भारत सरकार) और सरकार से संबद्ध पक्षों के अलावा अन्य के साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम और लेन–देन की प्रकृति	2023-24 (रूपए मिलियन में)	2022-23 (रूपए मिलियन में)
1	**एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी**		
	व्यय		
	एआईएएचएल को देय बकाया राशि पर ब्याज	1,840.76	1,865.56
	किराया	396.72	467.35
	एआईईएसएल से एआईएएचएल को प्रतिपूर्ति	38.84	69.22
	आय		
	एआईएएचएल से एआईईएसएल को प्रतिपूर्ति	23.56	15.05
	31 मार्च को समापन शेष (देय)/ प्राप्य	**-20,822.99**	**-21,739.44**
2	**एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)**		
	आय		
	संचालन से राजस्व	577.34	586.70
	अन्य आय (ब्याज)	210.70	173.45
	व्यय	-	-
	कुल व्यय		
	समापन शेष (देय)/ प्राप्य	**2,584.75**	**2,309.77**

3	**एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)**		
	संचालन से राजस्व	28.81	12.42
	व्यय		
	हैंडलिंग शुल्क	120.87	200.82
	मैनपावर लागत	2.57	3.26
	एआईएएसएल बकाया राशि पर ब्याज	1.36	21.87
	समापन शेष (देय) / प्राप्य	**-38.14**	**6.62**
4	**सेंटौर होटल (एचसीआई)**		
	व्यय		
	होटल का खर्च– ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी	18.48	16.38
	समापन शेष (देय) / प्राप्य	**-7.67**	**-3.79**

नोट 31 : वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित और व्यय की गई विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखित है :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**
विदेशी मुद्रा अर्जन	979.58	1,254.99
विस्तारित विदेशी मुद्रा	2,147.71	737.99
निवल विदेशी मुद्रा अर्जन	**(1,168.14)**	**517.00**

नोट 32 : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या कारोबार एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन करना होगा, जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अलावा धारा 135(5) के अनुसार, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे।

इसके आधार पर कंपनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹91.00 मिलियन (पिछले वर्ष ₹40.94 मिलियन) का योगदान दिया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय : –

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु**
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय हेतु अपेक्षित राशि	91.00	40.94
किए गए व्यय की राशि	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		
क. निर्माण/अधिग्रहित की गई कोई परिसंपत्ति	-	-
ख. उपर्युक्त से इतर कोई अन्य प्रयोजन	91.00	40.94
वर्ष/अवधि के अंत में कमी	-	-
पूर्व वर्षों की कमी का कुल योग	-	-
कमी के कारण	-	-
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति :	प्रधानमंत्री राहत निधि में अंशदान	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंशदान

नोट 33 : स्वतंत्र निदेशक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013, धारा 149(4) और 178 तथा नियम 4(2) के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशक रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है तथा एआईएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हालांकि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर–सूचीबद्ध सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, लेखापरीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें दोनों समितियों का गठन स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने दिनांक 01.09.2020 के पत्र संदर्भ संख्या एआईईएसएल/सीएस/एचक्यू/25 के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए डीपीई को आवेदन किया है। उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

नोट 34 : अनुसूची–।।। द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(i) निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम राशि ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाने योग्य हैं।

(ii) **बेनामी संपत्ति का विवरण**

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

(iii) जानबूझकर चूक करने वाला

कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला घोषित नहीं किया गया है।

(iv) **कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन**

कंपनियों (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या। कंपनियों की परतों की संख्या के साथ ऐसा अनुपालन पीएसयू के लिए लागू नहीं है।

(v) **व्यवस्था की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन**

कंपनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है, जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्श पर लेखांकन प्रभाव हो।

(vi) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी के सभी उधार का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए यह लागू नहीं है।

(vii) अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई भी आय समर्पित या प्रकट नहीं की गई है, जिसे खाता बही में दर्ज नहीं किया गया है।

(viii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(ix) कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख़

तुलन पत्र में संगत लाइन मद	संपति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्यय/रूपए मिलियन में	नाम जिस पर टाइटल डीड धारित है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कंपनी के नाम पर धारित न करने के कारण
पीपीई	i. भवन	2,644.05	एअर इंडिया लिमिटेड और 8 अप्रैल 2021 को धारित	नहीं	संदर्भ नोट 2क–1
	ii. जेट9 डी टेस्ट हाउस	10.42	एअर इंडिया लिमिटेड और 1 अप्रैल 2021 को धारित	नहीं	संदर्भ नोट 2क–3
निवेश परिसंपत्ति	भूमि	-			
	भवन	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति	भूमि	-	-	-	-
	भवन	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-

(x) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि हेतु सीडब्ल्यूआईपी में रूपए मिलियन में				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी परियोजनाएं	-	-	-	1,137.68	1,137.68

(xi) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीस (आरओसी) के साथ शुल्कों का पंजीकरण

कोई चार्ज नहीं है इसलिए लागू नहीं है।

(xii) स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध :

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के पास कोई बकाया शेष नहीं है (पिछली अवधि : शून्य)।

(xiii) अनुपात

(रूपए मिलियन में)

चालू अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
कुल चालू परिसंपत्तियां	18,751.82	14,189.31
कुल चालू देयताएं	5,012.29	4,605.88
अनुपात	3.74	3.08
प्रतिशत परिवर्तन	**21%**	**96%**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में चालू परिसंपत्तियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य में वृद्धि) के साथ–साथ चालू देयता में वृद्धि के कारण।	
ऋण इक्विटी अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
कुल ऋण	-	-
शेयरधारक इक्विटी	-5,393.71	-7,750.99
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	**-**	**-**
कारण	कोई ऋण नहीं है	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (ईबीआईडीटीए)	8,746.02	8,773.29
कुल ऋण	-	-
अनुपात	-	-
प्रतिशत परिवर्तन	**-**	**-**
कारण	कोई ऋण नहीं है	
इक्विटी पर प्रतिफल		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
कर पश्चात निवल लाभ	2,549.87	6,433.92
औसत शेयरधारक इक्विटी	-6,572.35	-11,047.77
अनुपात	-0.39	-0.57
प्रतिशत परिवर्तन	**-32%**	**-27%**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में कमी और औसत शेयरध ारकों की इक्विटी में सुधार के कारण	
इंवेटरी टर्नओवर अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
बेचे गए सामान की लागत	1,606.39	631.87
औसत इंवेटरी	144.18	355.31
अनुपात	11.14	1.78
प्रतिशत परिवर्तन	**526%**	**-43%**
कारण	भंडार की खपत सीधे तौर पर रखे गए माल से संबंधित नहीं है	

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
प्रचालनों से राजस्व	20,879.83	19,683.24
व्यापार प्राप्य समापन	12,764.27	8,315.66
अनुपात	1.64	2.37
प्रतिशत परिवर्तन	**-31%**	**-30%**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ व्यापार प्राप्य में भी वृद्धि हुई है।	

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
अन्य व्यय	5,404.27	4,818.79
व्यापर देय समापन	2,246.07	1,421.90
अनुपात	2.41	3.39
प्रतिशत परिवर्तन	**-29%**	**87%**
कारण	अन्य व्ययों में वृद्धि और समापन व्यापार देयताओं में वृद्धि के कारण।	

निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
प्रचालनों से राजस्व	20,879.83	19,683.24
कार्यशील पूंजी	13,739.53	9,583.44
अनुपात	1.52	2.05
प्रतिशत परिवर्तन	**-26%**	**-61%**
कारण	मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी (देनदार और बैंक बैलेंस) में वृद्धि के कारण।	

निवल लाभ अनुपात		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
वर्ष के लिए निवल लाभ	2,549.87	6,433.92
प्रचालनों से राजस्व	20,879.83	19,683.24
अनुपात	0.12	0.33
प्रतिशत परिवर्तन	**-63%**	**-26%**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में कर व्यय प्रभाव के कारण लाभ कम हुआ।	

प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
असाधारण वस्तु एवं कर तथा वित्त लागत से पूर्व लाभ	8,135.67	8,180.56
प्रयुक्त पूंजी	21,747.17	17,807.80
अनुपात	0.37	0.46
प्रतिशत परिवर्तन	**-19%**	**-12%**
कारण	पिछले वर्ष की तुलना में असाधारण मद एवं कर तथा वित्त लागत से पूर्व लाभ में कमी तथा नियोजित पूंजी में सुधार के कारण।	

निवेश पर प्रतिफल		
विवरण	**31 मार्च 2024 को**	**31 मार्च 2023 को**
निवेश पर आय	शून्य	शून्य
निवेश पर समापन शेष	शून्य	शून्य
अनुपात	शून्य	शून्य
प्रतिशत परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**
कारण	कोई निवेश नहीं किया गया	
1. कुल ऋण = गैर–वर्तमान उधार + वर्तमान उधार		
2. ब्याज और कर से पहले की कमाई (ईबीआईटी) = असाधारण मद और कर से पहले का लाभ + वित्त लागत		
3. बेची गई वस्तुओं की लागत = उपभोग की गई सामग्रियों की लागत + स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद + तैयार माल और कार्य–प्रगति की सूची में परिवर्तन		
4. कार्यशील पूंजी = कुल चालू परिसंपत्तियाँ – कुल चालू देयताएँ		
5. नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी + कुल गैर चालू देयताएँ		
6. कुल इक्विटी = गैर–नियंत्रित ब्याज को छोड़कर कुल इक्विटी (कम)/ जोड़ें (आस्थगित कर संपत्तियाँ)/आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		

नोट 35 : वित्तीय साधन और उचित मूल्य माप

<u>लेखांकन नीति</u>

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय (एफ वीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतें।

(iii) अनुवर्ती माप

उत्तरवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ : व्युत्पन्न और विशिष्ट निवेशों के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ : विशिष्ट निवेश वाली वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जिन्हें इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि इसके व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँरू व्युत्पन्नों से युक्त एक वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, का बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्य रूप से तब रद्द की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर हानि का आकलन करती है जो व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य आदि हैं।

(vi) राइट–ऑफ

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि को (या तो आंषिक रूप से या पूरी तरह से) इस सीमा तक राइट–ऑफ कर दिया जाता है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं रह जाती। यह आम तौर पर तब होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियाँ या आय के स्रोत नहीं हैं जो राइट–ऑफ के अधीन राशियों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकें। हालाँकि, राइट–ऑफ की गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ अभी भी देय राशियों की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती हैं।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के शुद्ध। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार, और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत करती है, लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों को छोड़कर। डेरिवेटिव सहित ऐसी देनदारियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा।

(iii) बाद का मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ :

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के शुद्ध। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

ख) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ: लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग–अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है। व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) मान्यता रद्द करना एक वित्तीय देयता तब मान्यता रद्द कर दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्ति हो जाती है।

(v) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर बेचने का इरादा है, तो परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ बेचने के लिए।

नोट 35.i. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य है :

i. चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना ताकि कंपनी हितधारकों को रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करने में सक्षम हो: और

ii. ऋण और इक्विटी संतुलन की एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

iii. कंपनी की पूंजी संरचना में कंपनी की कुल इक्विटी शामिल है।

iv. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल समय–समय पर कंपनी की पूंजी संरचना की समीक्षा करते हैं। समिति पूंजी की लागत और पूंजी के प्रत्येक वर्ग से जुड़े जोखिमों पर आवश्यकतानुसार विचार करती है।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की अग्रणीत राशि और उचित मूल्य को दर्शाती है, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तर भी शामिल हैं।

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और हानि मार्ग के तहत				ओसीआई के तहत				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
				स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ													
व्यापार प्राप्य	-	12,764.27	12,764.27	-	-	-	-	-	-	-	-	12,764.27	12,764.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1.00	25.12	26.12	-	-	-	-	-	-	-	-	26.12	26.12
नकदी और नकदी समकक्ष	-	2,213.27	2,213.27	-	-	-	-	-	-	-	-	2,213.27	2,213.27
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष	-	2,401.38	2,401.38	-	-	-	-	-	-	-	-	2,401.38	2,401.38
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**1.00**	**17,404.04**	**17,405.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,405.04**	**17,405.04**
वित्तीय देनदारियाँ	-												
लीज देनदारियाँ	33.14	13.12	46.27	-	-	-	-	-	-	-	-	46.27	46.27
व्यापार देय	-	2,246.07	2,246.07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,246.07	2,246.07
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	20,822.96	954.83	21,777.80	-	-	-	-	-	-	-	-	21,777.80	21,777.80
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**20,856.11**	**3,214.03**	**24,070.14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,070.14**	**24,070.14**
31 मार्च, 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ	**गैर चालू**	**चालू**	**कुल**	**लाभ और हानि मार्ग के तहत**				**ओसीआई के तहत**				**परिशोधित लागत पर वहन**	**कुल राशि**
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**		
व्यापार प्राप्य													
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	8,315.66	8,315.66	-	-	-	-	-	-	-	-	8,315.66	8,315.66
नकदी और नकदी समतुल्य	0.06	14.97	15.04	-	-	-	-	-	-	-	-	15.04	15.04
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक षेश	-	397.84	397.84	-	-	-	-	-	-	-	-	397.84	397.84
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	3,628.88	3,628.88	-	-	-	-	-	-	-	-	3,628.88	3,628.88

(रूपए मिलियन में)

31 मार्च 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	गैर चालू	चालू	कुल	लाभ और हानि मार्ग के तहत				ओसीआई के तहत				परिशोधित लागत पर वहन	कुल राशि
				स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल		
वित्तीय देनदारियाँ	**0.06**	**12,357.35**	**12,357.41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,357.41**	**12,357.41**
लीज देनदारियाँ													
व्यापार देय													
व्यापार देय	46.27	11.31	57.57	-	-	-	-	-	-	-	-	57.57	57.57
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	-	1,421.90	1,421.90	-	-	-	-	-	-	-	-	1,421.90	1,421.90
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21,739.44	757.97	22,497.41	-	-	-	-	-	-	-	-	22,497.41	22,497.41
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**21,785.71**	**2,191.17**	**23,976.88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,976.88**	**23,976.88**

कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को प्राप्य/देय राशि का अनुबंध बाजार ब्याज दर पर किया गया है, जो नियमित अंतराल पर रीसेट होती रहती है। तदनुसार, ऐसे उधारों का वहन मूल्य (उपार्जित ब्याज सहित) उचित मूल्य के करीब होता है।

* व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और नकद समकक्ष, और अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि, उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उचित मूल्य के लगभग होती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है जिसका उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है जो या तो अवलोकनीय या अवलोकनीय नहीं होते हैं और निम्नलिखित तीन स्तरों से मिलकर बनते हैं :

स्तर 1 : इनपुट समान परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) हैं।

स्तर 2 : इनपुट स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतें) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3 : इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं अवलोकनीय इनपुट नहीं हैं। उचित मूल्य पूरी तरह या आंशिक रूप से उन मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो न तो उसी उपकरण में अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित हैं।

नोट 36 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है :

i. ऋण जोखिम

ii. तरलता जोखिम

iii. बजार जोखिम – क. विदेशी मुद्रा और ख. ब्याज दर

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकदी और नकद समकक्षों को वित्तपोषित करना है जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबधन की देखरेख करता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति बनाता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है :

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों) से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है।

रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण के लिए अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों से है। व्यापार प्राप्तियां आम तौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण की निगरानी करती है जिसमें यह काम करती है। कंपनी ऋण स्वीकृति के माध्यम से अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है और ग्राहकों की ऋण पात्रता की निरंतर निगरानी करती है, जिसके लिए कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में ऋण शर्तों को ब्रांड करती है।
व्यापार प्राप्तियों में एक ही विमानन उद्योग के कई ग्राहक शामिल हैं। बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा इसकी समूह कंपनियों से है और जिसके लिए प्रबंधन को कोई ऋण जोखिम की उम्मीद नहीं है। तदनुसार, समूह कंपनियों से प्राप्तियों पर कोई अपेक्षित ऋण हानि नहीं मानी गई है।
समूह कंपनी के अलावा, सरकार और अन्य पक्षों के संबंध में ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेंद्रण नहीं है। आईएएफ एंड एसईएसएफ को छोड़कर, किसी भी वर्ष में किसी भी ग्राहक ने 10 प्रतिशत या उससे अधिक राजस्व का हिसाब नहीं दिया। बकाया व्यापार प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, और अतिदेय प्राप्तियों के संग्रह के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार, कंपनी डिफॉल्ट भुगतानों के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करके व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट घाटे का प्रावधान करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित प्रावधान करती है जहां भी बकाया अवधि लंबी है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है। प्राप्तियां एकत्र करने का हमारा ऐतिहासिक अनुभव कम क्रेडिट जोखिम का संकेत देता है। इसलिए, व्यापार प्राप्तियां वित्तीय परिसंपत्तियों का एक एकल वर्ग माना जाता है। जिस कारोबारी माहौल में कंपनी काम करती है, उसके आधार पर प्रबंधन का मानना है कि अगर भुगतान 36 महीने से अधिक समय से बकाया है तो व्यापार प्राप्तियां डिफॉल्ट (क्रेडिट विकार) हैं। इसके अलावा, कंपनी ने पार्टी की वर्तमान स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत आधार पर भी क्रेडिट जोखिम बिगड़ा हुआ है।

समूह	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
सरकारी कंपनी तीन साल से ज्यादा समय से बकाया है	100.00%	100.00%
ग्रुप कंपनी	0.00%	0.00%
अन्य पक्षों एक साल से ज्यादा और तीन साल तक बकाया हैं	2.26%	3.90%
अन्य पक्षों तीन साल से ज्यादा समय से बकाया हैं	100.00%	100.00%
व्यक्तिगत आधार पर विशिष्ट क्रेडिट जोखिम हानि	100.00%	100.00%

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम जोखिम निम्नानुसार है :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	सकल वहन रूपए	हानि प्रावधान	सकल वहन रूपए	हानि प्रावधान
अदेय ऋण	-	-	-	-
देय ऋण	13,433.37	669.10	8,912.95	597.30
कुल	**13,433.37**	**669.10**	**8,912.95**	**597.30**

अपेक्षित ऋण हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार है :

(रूपए मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	597.30	559.91
वर्ष के दौरान गतिविधि	71.80	37.38
वर्ष के अंत में शेष राशि	**669.10**	**597.30**

(ii) तरलता जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्व को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिसका निपटान नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वितरित करके किया जाता है।

तरलता को प्रबंधित करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों में अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता रखना है, बिना अस्वीकार्य नुकसान उठाए या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए।

कंपनी का मानना है कि कुल नकदी (बैंक जमा ग्रहणाधिकार सहित और अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज को छोड़कर) सहित इसकी तरलता स्थिति, परिचालन से भविष्य में आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाले फंडों का अनुमान लगाती है, और इसकी पूरी तरह से उपलब्ध, ₹ शून्य (31 मार्च, 2021 रू शून्य : 1 अप्रैल, 2020 रू शून्य) की परिक्रामी अप्रयुक्त ऋण सुविधा इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपने भविष्य के ज्ञात दायित्व को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि, यदि कोई तरलता की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो कंपनी का मानना है कि उसके पास वित्तपोषण व्यवस्था, भार रहित परिसंपत्तियों के मूल्य तक पहुंच है, जो इसे अपनी चालू पूंजी, परिचालन और तरलता आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

प्रबंधन द्वारा निगरानी की जाने वाली कंपनी की तरलता प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिन–प्रतिदिन का वित्तपोषण, भविष्य के नकदी प्रवाह की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यकता पूरी की जा सके।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति का रोलिंग पूर्वानुमान बनाए रखना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को बनाए रखना।

रिपोर्टिंग डेटा पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वताएँ निम्नलिखित हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस सबसे प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है :

तरलता जोखिम का खतरा

31 मार्च 2024

(रूपए मिलियन में)

विवरण	वहन मूल्य	संविदागत रोकड प्रवाह			
		1 वर्ष तक	1–5	5 वर्ष से अधिक	कुल
वर्तमान					
व्यापार देयताएँ	2,246.07	2,246.07	-	-	2,246.07
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,001.10	967.96	33.14	-	1,001.10

31 मार्च 2023

(रूपए मिलियन में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**संविदागत रोकड प्रवाह**			
		1 वर्ष तक	**1–5**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
वर्तमान					
व्यापार देयताएँ	1,421.90	1,421.90	-	-	1,421.90
अन्य वित्तीय देयताएँ	815.54	769.28	46.27	-	815.54

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह है कि वित्तीय साधन का उचित मूल्य और भविष्य के नकदी प्रवाह बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेंगे। बाजार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम शामिल हैं : मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न को अनुकूलित करना है।

(क) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी किसी भी उधार के लिए जोखिम में नहीं है।

(ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों के संपर्क में है। जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से कार्यात्मक मुद्रा और अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक भारतीय रुपये में व्यक्त मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के जोखिम के बारे में मात्रात्मक डेटा का सारांश नीचे दिया गया है :

31 मार्च 2023 को **(रूपए मिलियन में)**

विवरण	**एईडी**	**एयूडी**	**बीडीटी**	**सीएनवाई**	**ईयूआर**
नकद और नकद समकक्ष	0.85	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.01	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	0.03	-	-	-	0.01
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.83**	**-**	**-**	**-**	**0.01**
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-0.01	-	-	-	-0.34
कुल वित्तीय देयताएँ	**-0.01**	**-**	**-**	**-**	**-0.34**
विवरण	**जीबीपी**	**एचकेडी**	**जेपीवाई**	**एलकेआर**	**एनपीआर**
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-
व्यापार देय	0.01	-	-0.07	0.08	0.04
कुल वित्तीय देयताएँ	**0.01**	**-**	**-0.07**	**0.08**	**0.04**

विवरण	एसएआर	एसईके	एसजीडी	यूएसडी	
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	0.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	
व्यापार प्राप्य			-	9.53	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**9.54**	
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	0.95	
व्यापार देय	-	-	0.00	-10.98	
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**0.00**	**-10.030**	
31 मार्च 2023 को				**(रूपए मिलियन में)**	
विवरण	**एईडी**	**एयूडी**	**डीबीटी**	**सीएनवाई**	**ईयूआर**
नकद और नकद समकक्ष	0.78	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.24	0.05	0.03	0.06	0.01
व्यापार प्राप्य	-0.02	-	-	-	0.01
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**1.01**	**0.05**	**0.03**	**0.06**	**0.02**
अन्य वित्तीय देयताएँ	0	-	-	-	-
व्यापार देय	0.03	-	-	-	-0.06
कुल वित्तीय देयताएँ	**0.03**	**-**	**-**	**-**	**-0.06**
विवरण	**जीबीपी**	**एचकेडी**	**जेपीवाई**	**एलकेआर**	**एनपीआर**
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.01	0.59	-	-	0.95
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.01**	**0.59**	**-**	**-**	**0.95**
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-0.01	-	-	-0.08	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-0.01**	**-**	**-**	**-0.08**	**-**
विवरण	**एसएआर**	**एसईके**	**एसजीडी**	**यूएसडी**	
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	0.01	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	0.03	-	0.05	0.25	
व्यापार प्राप्य	-	-	-	22.72	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**0.03**	**-**	**0.05**	**22.99**	
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	
व्यापार देय	-	-	-0.01	-1.63	
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**-0.01**	**-1.63**	

संवेदी विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय रूपए के मुकाबले यूएसडी में (5 प्रतिशत) मजबूती / (कमजोरी) का एक उचित संभावित परिवर्तन नीचे दिखाए गए ₹ द्वारा अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों के लाभ या हानि और माप को प्रभावित करेगा। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और पूर्वानुमानित बिक्री और खरीद के किसी भी प्रभाव को अनदेखा करती हैं।

भारतीय रूपए में प्रभाव/ कर पूर्व	लाभ या हानि	
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढ	कमजोर
5 प्रतिशत की गति	शून्य	शून्य
भारतीय रूपए में प्रभाव/ कर पूर्व	**लाभ या हानि**	
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	सुदृढ	कमजोर
5 प्रतिशत की गति	शून्य	शून्य

नोट 37 : इंड–एएस 115 : प्रदर्शन दायित्व और शेष प्रदर्शन दायित्व दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्णतः या आंशिक रूप से असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों का कुल मूल्य ₹शून्य (31 मार्च, 2023 तक ₹शून्य) है।

नोट 38 : कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या अन्य हवाईअड्डा संचालकों द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर निर्मित होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व वाले हैंगर और सहयोगी भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया नियत समय में पूरी हो जाएगी।

नोट 39 : एआईईएसएल ने प्रभावी तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए दो बी–777 ईआर विमानों के विशेष अतिरिक्त सेक्शन उड़ानों (एसईएसएफ) के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से 4 मार्च, 2021 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के साथ दीर्घकालिक रखरखाव समझौते (एलटीएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं। एलटीएमए की प्रभावी तिथि 28 मार्च, 2021 है

नोट 40 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के साथ संगत होने के लिए और इंड–एएस में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार, उपलब्ध जानकारी और संकलन के लिए आवश्यक सीमा तक, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते और उनकी ओर से
एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 007739एन

हस्ता./–
सीए अजय के. बजाज
साझेदार
एम सं. 086306
यूडीआईएन : 25086306BMJPGQ3089

निदेशक मंडल के कृते और उनकी ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष
डीआईएन 11001643

हस्ता./–
पदम लाल नेगी
निदेशक
डीआईएन : 10041387

हस्ता./–
शरद अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ता./–
साक्षी मेहता
कंपनी सचिव

हस्ता./–
राकेश कुमार जैन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.03.2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 26 मार्च, 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जाँच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जाँच तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(प्रमोद कुमार)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(अवसंरचना), नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः16–05–2025

9K-AOE

VT-AYD
AIR INDIA
express
NO SMOKING

एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

द्वितीय तल, सीआरए भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र,
दिल्ली–110003
फ़ोनः +91–11–24600763
ईमेलः marketing.aiesl@aiesl.in; वेबसाइटः www.aiesl.in
CIN: U74210DL2004GOI125114

@AIESL_MRO @AIESL @aiesl_mro @AIESL_MRO